



मैनुअल-17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए

ANY OTHER INFORMATION
PROVIDED

17	मैनुअल-17 ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए	01-143
17.1	सामान्य सूचना	03-10
17.2	बर्ड फ्लू फैलने की आंशका की स्थिति में रोकथाम की कार्ययोजना	10-16
17.3	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय सूचनायें	17-82
17.4	भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2025-26	83-98
17.5	पशु पालन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों एवं अन्य विभागीय संस्थाओं की जनपदवार सूची	99-133
17.6	महत्वपूर्ण शासनादेश	134-146

17.1 सामान्य सूचना :-

पशुपालन विभाग की पृथक् रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गयी। इससे पूर्व सिविल वेटरीनरी डिपार्टमेंट एवं कृषि विभाग द्वारा ही पशुपालन सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते थे। उस समय पशुपालन विभाग मुख्यतः पशु रोग नियंत्रण एवं अश्व प्रजनन का कार्य करता था। बाद में पशु पालन विभाग की पृथक् रूप से स्थापना होने पर पशु पालन का सर्वांगीण विकास करने हेतु पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण के साथ पशुधन विकास, प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये। वर्तमान में पशुपालन विभाग ग्राम्य विकास से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु संकल्पित है।

उद्देश्य:-

पशुपालन विभाग का मूल उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध पशुधन को उन्नतशील बनाने एवं उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्बल आय वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। इसी उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न योजनायें/कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के लगभग 44.27 लाख पशु एवं 50.18 लाख कुक्कुट पक्षियों (वर्ष-2019 की पशुगणना के अनुसार) की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, उन्नत प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराने, भेड़ विकास कार्यक्रमों का सुदृढीकरण, कुक्कुट विकास एवं चारा विकास आदि कार्यक्रमों का विस्तार कर राज्य में दुग्ध, अण्डा, मांस एवं ऊन उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश व देश की आवश्यकता की पूर्ति करना है।

समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों के द्वारा पशुधन को स्वस्थ रखना तथा उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग।

- विभागीय एवं वैज्ञानिक नीतियों से विभिन्न पशुधन की प्रजनन व उत्पादन क्षमता में बढोत्तरी पशुधन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
- पशुधन हेतु पर्याप्त चारा एवं पोषण की व्यवस्था करना तथा उन्नत प्रबन्धन विधियों का प्रचार प्रसार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को गाँवों में ही स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उद्यमिता विकास और उसमें व्यवसायिक विविधिकरण हेतु चेतना जागृत करना।
- गौ नस्ल/गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखना।
- प्रदेश में विभिन्न पशुधन उत्पादों की क्षमता में वृद्धि कर दूध, ऊन, अण्डा, व मांस, आदि का उत्पादन बढ़ाना तथा पशुपालकों को उनके पशुधन उत्पादों का समुचित मूल्य उपलब्ध कराना।
- समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों के द्वारा पशुधन को स्वस्थ रखना तथा उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग।

वर्तमान में अपनायी जा रही पशु-पक्षी प्रजनन नीति (संक्षिप्तीकरण):-

प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में पशुधन की उत्पादकता व उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु वर्तमान में संस्तुत प्रजातियों गौ वंशीय पशुओं को क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार जर्सी तथा फ्रीजन व भैसो में मुरा प्रजाति से संकरण कराना, भेड़ों में विदेशी नस्लों अर्थात् रेम्बुले व मेरीनो प्रजाति के भेड़ों से स्थानीय भेड़ों को प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भेड़े उपलब्ध कराना। अंगोरा नस्ल के बकरे द्वारा स्थानीय प्रजाति की बकरी नस्लों में उन्नयन, स्थानीय सूकर/सूकरियों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु नस्ल सुधार के लिए विदेशी मिडिल व्हाइट यासायर नस्ल के सूकर सांडों का प्रयोग, शशक का विकास जर्मन अंगोरा प्रजाति से, स्थानीय अश्वों व गर्दभों की भार वाहन क्षमता बढ़ाने के लिए उनमें नस्ल सुधार हेतु काठियावाड़ी घोड़े व इटेलियन प्रजाति के गर्दभ

सांडो का प्रयोग किया जा रहा है, इटैलियन गर्दभ को कठियावाड़ी घोड़े से क्रॉस कराकर खर्च का उत्पादन, राज्य में बैकयार्ड कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों द्विकाजी (अण्डा/मांस) क्रायलर पक्षी तथा मांस उत्पादन की दृष्टि से ब्रायलर पक्षी का उत्पादन किया जा रहा है।

पशु सम्पदा:-

प्रदेश में वर्ष 2019 की पशुगणना के आधार पर कुल पशुधन संख्या 47.27 लाख है जिनमे से गौवंशीय पशु 18.52 लाख, महिषवंशीय पशु 8.66 लाख, भेड़ 2.85 लाख, बकरी 13.72 लाख, घोड़े टटटू 0.075 लाख, खच्चर 0.26 लाख, लाख सूकर 0.18 लाख, है। इसके अतिरिक्त खरगोश 4628, कुत्ते 2.31 लाख है। कुक्कुट पक्षियों की कुल संख्या 50.19 लाख है।

पशुजन्य पदार्थों के अनुमान तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता:-

1. विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य में कुल दुग्ध उत्पादन 1897.84 हजार मीट्रिक टन, अण्डा उत्पादन 5940.78 लाख, ऊन उत्पादन 461.60 हजार किलोग्राम व मीट उत्पादन 245.600 लाख किलोग्राम (वधालयो में वध किये गये पशुओं के अनुसार) है।
2. वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता 446 ग्राम, वार्षिक अण्डों की उपलब्धता 51, प्रति व्यक्ति वार्षिक मांस की उपलब्धता 2.11 कि०ग्रा० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आंकी गयी है।

उपरोक्त आंकड़े भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तथा उनके द्वारा जारी बुलेटिन में प्रकाशित है।

कार्यरत विभागीय संस्थाएँ:-

प्रदेश में ग्राम्य स्तर पर 778 पशु सेवा केन्द्र, 10''द'' श्रेणी पशु औषधालय विकास खण्ड स्तर व नगर क्षेत्र में 329 पशु चिकित्सालय (95 विकास खण्ड स्तरीय तथा 234 अन्य क्षेत्रों में) जनपद स्तर पर सचल पशु चिकित्सालय, सचल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र, 11 भेड़ प्रक्षेत्र, 03 बकरी प्रक्षेत्र, 04 पशुधन प्रक्षेत्र, 07 कुक्कुट प्रक्षेत्र, 02 अंगोरा शशक प्रक्षेत्र, 8 सघन कुक्कुट विकास प्रायोजनाएं, 113 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र/मेढा केन्द्र, 02 सूकर प्रक्षेत्र, 768 विभागीय तथा अन्य 1094 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा 07 रोग निदान प्रयोगशालाये कार्यरत है।

मानव शक्ति:-

विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के सफल संचालन एवं ग्रिन्वयन हेतु वर्तमान में समूह 'क' के 197 पद, समूह 'ख' के 390 पद, समूह 'ग' 1729 पद, समूह 'घ' के 830 पद (कुल-3146 पद) राज्य स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर, व ग्राम स्तर तक सृजित है।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1. पशु चिकित्सा हेतु दवा वैक्सीन आदि य/शिविरों का आयोजन (जिला सैक्टर)-

राज्य के पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों पर आवश्यक औषधियों, वैक्सीन तथा उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के माध्यम से पशुपालकों के बहुमूल्य पशुधन को समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। सचल वाहन के माध्यम से भी पशुओं की चिकित्सा की जाती है।

2. पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण (जिला सैक्टर)-

माननीय जनप्रतिनिधियों की माँग पर जिला नियोजन तथा अनुश्रवण समिति से अनुमोदित विभागीय संस्थाओं जो किराये के भवनों में चल रहे हैं, को राजकीय भवनों में स्थापित किया जाता है।

3. वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढीकरण एवं स्थापना (जिला सैक्टर)-

पशु नस्ल सुधार कार्यक्रमके अन्तर्गत, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के माध्यम से पशुपालकों के दुधारु प्रजनन योग्य पशुओं में कृत्रिम रूप से प्रजनन की सुविधा पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2003-04 से यह कार्य उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 से बायफ केन्द्रों का संचालन भी उक्त योजनान्तर्गत किया जा रहा है।

4. बकरा सांडों का वितरण (जिला सैक्टर)–

उत्तराखण्ड राज्य में बकरी पालकों की संख्या काफी अधिक है तथा बकरी पालन पशुपालक के आय का मुख्य श्रोत भी है, परन्तु एक ही प्रकार की प्रजाति से वह अपनी आजीविका हेतु आय में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। उत्तम नस्ल का एक बकरा सांड य कर 90 प्रतिशत अनुदान में वितरित करने की योजना चलाई जा रही है।

5. ग्राम्य और प्रसार कार्यक्रमके अन्तर्गत प्रदर्शनियों का आयोजन (जिला सैक्टर)–

आधुनिकतम पशुपालन कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करने तथा पशुपालन के प्रति लोगों की अभिरुचि जागृति करने के उद्देश्य से प्रायः सभी जनपदों में होने वाले मेलों तथा अन्य राष्ट्रीय उत्सवों पर जिला प्रशासन द्वारा पशु प्रदर्शनियों के आयोजन पर बल दिया जाता है। अतः प्रत्येक जनपद में होने वाले मेलों तथा अन्य राष्ट्रीय पर्वों में पशु प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु योजना चलाई जा रही है।

6. रोजगारपरक कार्यक्रम–(कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना) (जिला सैक्टर)–

अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने/स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 50 कुक्कुट पक्षी क्षमता की एक कुक्कुट इकाई शत प्रतिशत अनुदान पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

7. पर्वतीय क्षेत्र में चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं विकास(जिला सैक्टर)–

पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण यहां पर पशुओं के लिये उन्नत चारे की समस्या को देखते हुये विभाग द्वारा उन्नत प्रजाति के बहुवर्षीय चारा बीज य कर पशुपालकों को वितरित कराने की योजना संचालित है।

8. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढीकरण (राज्य सैक्टर)–

विभागीय कार्मिकों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने एवं उनकी कार्यकौशलता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुदृढीकरण योजना चलाई जा रही है।

9. बंदी नस्ल की गायों के संरक्षण एवं संवर्धन की योजना–

नरियालगांव–चम्पावत में स्थापित पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में स्वदेशी बंदी नस्ल की गाय के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु योजना संचालित की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नस्ल पंजीकरण समिति द्वारा स्वदेशी नस्ल की “बंदी गाय” को एक नस्ल के रूप में पंजीकरण की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

10. पशु चिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था (राज्य सैक्टर)–

प्रदेश में राजकीय पशु चिकित्सालयों में पशुपालकों के अति गम्भीर बीमार पशुओं की गहन/शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद–ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चम्पावत, देहरादून, तथा हरिद्वार के एक–एक पशु चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सा सुविधा पशुपालकों को उपलब्ध कराई जा रही है।

11. पशु चिकित्सालयों व पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना (राज्य सैक्टर)–

पशुपालकों के बहुमूल्य पशुधन को न्याय पंचायत स्तर पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 110 पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना (99 सामान्य, 6 स्पेशल एवं 5 ट्राइबल) विभिन्न जनपदों के असंतुष्ट न्याय पंचायतों में अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत की गयी है। योजना का उद्देश्य पशुपालकों के बहुमूल्य पशुधन को निकटस्थ स्थान पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

12. पशु चिकित्सालयों व पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण (राज्य सैक्टर)–

अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत स्वीकृत 110 पशु सेवा केन्द्रों को राजकीय भवन में स्थापित कर पशुपालकों के बहुमूल्य पशुधन को निकटस्थ स्थान पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

13. राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य–

पशुपालन निदेशालय, अपर निदेशालयों व कुक्कुट प्रक्षेत्र विण व पशुलोक के कार्यालय व आवासीय भवनों की स्थापना हेतु वर्तमान में योजना चलाई जा रही है।

14. पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डेरी यूनिट की स्थापना (राज्य सैक्टर)–

पशुलोक प्रक्षेत्र के अर्न्तगत कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र एवं सेवा कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों पर समय-समय पर प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से डेरी यूनिट स्थापित की गई है।

15. अहिल्याबाई होल्कर भेड़-बकरी विकास योजना (राज्य सैक्टर)–

भेड़ बकरी पालकों के लिए अहिल्याबाई होल्कर योजनान्तर्गत भेड़पालकों का बायोमैट्रिक पंजीकरण, तथा उन्नत प्रजाति की भेड़ एवं बकरी इकाईयों की स्थापना 90 प्रतिशत अनुदान में वितरित की जाती है।

16. भेड़ बकरी विकास विभाग (राज्य सैक्टर)–

मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित उक्त विभाग हेतु शासन द्वारा पदों का सृजन नहीं किया गया है तथा प्रावधानित धनराशि को "भेड़ बकरी विकास विभाग पशुपालन विभाग का अभिन्न अंग" होने का उल्लेख करते हुए अवमुक्त नहीं की गयी है।

17. पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव की योजना (राज्य सैक्टर)–

पशुओं में होने वाले विभिन्न संक्रामक रोगों पर यथाशीघ्र नियंत्रण पाने तथा संक्रमित रोगों से अन्य पशुओं को बचाने हेतु आवश्यक वैक्सीन आदि क्रय कर बीमारी/संक्रमण पर नियंत्रण रखा जाता है।

18. गौ सदनों की स्थापना (राज्य सैक्टर)–

राज्य में आवारा, निशक्त, बीमार ऐसे पशु जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं या पशुस्वामी द्वारा अनुत्पादक हो जाने की दशा में छोड़ दिये जाते हैं यातायात बाहुल्य क्षेत्रों में इधर उधर घूमने के कारण दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं। ऐसे पशुओं को उचित शरणस्थली प्रदान करने हेतु गौ सेवा में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं को गौशाला निर्माण एवं भरण पोषण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

19. अनुसूचित जातियों/जनजातियों हेतु बकरी पालन योजना–(राज्य सैक्टर)–

अनुसूचित जाति/जनजाति के बी०पी०एल० वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु 10 बकरियों एवं 01 बकरे की एक इकाई (कुल लागत रु० 70000.00) 90 प्रतिशत राजकीय अनुदान में उपलब्ध करायी जाती है।

20. अनुसूचित जातियों/जनजातियों हेतु भेड़ पालन योजना–(राज्य सैक्टर)–

अनुसूचित जाति/जनजाति के बी०पी०एल० वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु 10 भेड़ एवं 01 मेढ़ा की एक इकाई (कुल लागत रु० 70000.00) 90 प्रतिशत राजकीय अनुदान में उपलब्ध करायी जा रही है।

21. अनुसूचित जातियों/जनजातियों हेतु गौ पालन योजना–(राज्य सैक्टर)–

अनुसूचित जाति/जनजाति के बी०पी०एल० वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु चतुर्थ ब्यात तक की एक गाय की इकाई (कुल लागत रु० 40000.00) 90 प्रतिशत राजकीय अनुदान में उपलब्ध करायी जाती है।

22. चारा एवं चारागाह विकास विभाग (राज्य सैक्टर)–

मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित उक्त विभाग हेतु शासन द्वारा पदों का सृजन नहीं किया गया है तथा प्रावधानित धनराशि को "चारा एवं चारागाह विकास विभाग पशुपालन विभाग का अभिन्न अंग" होने का उल्लेख करते हुए अवमुक्त नहीं की गयी है।

23. चारा बैकों (भण्डारण एवं वितरण गृह) की स्थापना (राज्य सैक्टर)–

राज्य में चारे की कमी दूर करने व पशुओं हेतु सुपाच्य चारा काम्पैक्ट फीड ब्लाक व चाटन भेली निकटतम स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु योजना संचालित है।

24. केदारनाथ आपदा 2013 में विधवा हुई महिलाओं को गाय वितरण योजना(रा.सै.)–

केदारनाथ आपदा में विधवा हुई महिलाओं के जीवन उत्थान एवं उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने हेतु एक दुधारू गाय उपलब्ध कराई जा रही है।

25. विकासखण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी के पशुपालकों की आजीविका उत्थान की योजना(रा.सै.)–

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी के पशुपालकों की आजीविका उत्थान हेतु उन्हें बकरी पालन, भेड़ पालन, गौ पालन, खच्चर पालन, कुक्कुट पालन, बकरा एवं मेढ़ा सांड वितरण इकाईयाँ 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराई जा रही है।

26. महिला बकरी पालन योजना—

राज्य में परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित तथा अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभावित महिलाओं को स्वावलम्बी एवं सम्मानजनक आर्थिक स्थिति में लाने तथा स्वरोजगार प्रदान करने हेतु शत प्रतिशत अनुदान पर योजना संचालित की जा रही है।

27. राज्य में ऊन कतरन एवं विपणन योजना

राज्य में भेड़ पालकों की भेड़ों की ऊन उतारने एवं उत्पादित ऊन के विपणन की कोई सुविधा न होने के कारण ऊन कतरन एवं विपणन की योजना चलाई जा रही है, जिससे भेड़पालक को निकटतम स्थान ऊन की गुणवत्तानुसार विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

28. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का गठन (50 प्र0के0पो0)—

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार पशु चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने तथा पशु चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीकरण करने हेतु भारत सरकार की 50 प्रतिशत सहायता से उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् की स्थापना की जा चुकी है। उक्त प्रयोजन हेतु योजना वर्तमान में संचालित है।

29. उत्तराखण्ड राज्य में आर0पी0 रोग का उन्मूलन तथा सर्विलेन्स कार्यक्रम (NPRSM) (100 प्र0के0स0)—

पशुओं में रेन्डरपेस्ट एवं पी0पी0आर0 रोग अत्यन्त घातक रोग है जिससे पशुओं की अल्प समय में ही मृत्यु हो जाती है। योजना का उद्देश्य पशु प्लेग तथा सामक बोवाइन प्लेरो-न्यूमोनिया का उन्मूलन करना तथा अंतर्देशीय देश इपीजूटिस कार्यालय पेटिस द्वारा निर्धारित पाथवे का अनुपालन करना है। भारत सरकार द्वारा यद्यपि देश को आर0पी0रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है, परन्तु देश में यह रोग पैदा न होने पाये इसलिये इस रोग पर निरन्तर निगरानी रखने के लिये इसके सर्विलेन्स का कार्यक्रम चलाया गया है।

30. पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) (90 प्र0के0स0)—

पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार की 90 प्रतिशत सहायता के अन्तर्गत पशुओं को टीकाकरण, पशु चिकित्सा जैवकीय उत्पादन यूनितों तथा रोग निदान प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण, कार्यशालाओं/सेमिनारों के आयोजन के साथ-साथ सेवाधीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

31. पशु रोग सूचना तंत्र (NADRS) (100 प्र0के0स0)

राज्य में फैलने वाली असामयिक सामक बीमारियों से बचाव तथा रोग पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा एन.आई.सी. के माध्यम से समस्त ब्लॉक स्तरीय पशु चिकित्सालय/जनपद तथा राज्य मुख्यालय में वी.पी.एन. कनेक्शनयुक्त कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे क्षेत्र में फैलने वाली असामयिक सामक बीमारियों पर त्वरित सूचना संवहन से नियंत्रण पाया जायेगा।

32. वर्तमान पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (ESVSD) (90प्र0के0स0)

भारत सरकार के 90 प्रतिशत सहायता से पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण योजना चलाई जा रही है जिसमें पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों के नवनिर्माण तथा सुदृढीकरण तथा उन्हें फर्नीचर उपकरण आदि से सुसज्जित किया जाना है। वर्तमान में पशुचिकित्सालय ऋषिकेश के भवन की मरम्मत तथा पशुचिकित्सालय पहाड़पानी के भवन के नवनिर्माण किया जा रहा है।

33. ब्रूसैला रोग नियंत्रण की योजना (Brocello C.P) (90प्र0के0स0)

ब्रूसैला एक जीवाणुजनित रोग है जिसका पशुओं से मनुष्यों तक सक्रमण की संभावना रहती है। इस रोग से पशुओं में अन्तिम समय में गर्भपात हाने की अत्यधिक संभावना रहती है। योजनान्तर्गत ब्रूसैला रोग की स्क्रीनिंग हेतु रोज बंगाल एंटीजन से जांच की जाती है।

34. नेशनल पशुधन मिशन योजना (NLM)(90प्र0के0स0)—

नेशनल पशुधन मिशन योजनान्तर्गत पशुधन बीमा योजना, कुक्कुट पालन योजना, चारा एवं चारागाह विकास तथा कलाकौशलता में वृद्धि योजना को एक छतरी के अंतर्गत भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार आच्छादित किया जा रहा है।

35. नेशनल प्रोग्राम फार बोवाईन ब्रीडिंग (NPBB)(100प्र0के0स0)

पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना, संचालित केन्द्रों के सुदृढीकरण, गाय व भैंसा सांडों का उपार्जन/वितरण, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण व रिफ्रेसर प्रशिक्षण, पशुचिकित्साविदों को वीर्य उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के संचालन, बॉझपन निवारण शिविरों का आयोजन, भ्रूण प्रत्यारोपण इत्यादि का प्रशिक्षण, प्रबन्धकीय अनुदान, बोर्ड द्वारा विकसित एमआईएस साफ्टवेयर का संचालन आदि कार्य किये जाने हैं।

36. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण पी.पी.आर-सी.पी. (PPR-C.P) (90प्र0के0स0)

भेड़ बकरियों में होने वाली विभिन्न बीमारियों पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार की 90 प्रतिशत सहायता के अर्न्तगत योजना संचालित है। योजनान्तर्गत भेड़ बकरियों को विभिन्न सामक रोगों के नियंत्रण हेतु टीकाकरण किया जाना है।

37. प्रदेश में पशुगणना का कार्य Livestock Census (100प्र0के0स0)–

भारत सरकार की गाईड लाईन के आधार पर 20वीं पशुधन संगणना का कार्य सम्पन्न करने के लिए योजना संचालित है।

38. पशुपालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना Integrated sample survey (50 प्र0के0पो0)

पशुपालन विभाग का सांख्यिकी प्रभाग दूध, अण्डा, मांस तथा ऊन जैसे प्रमुख पशु उत्पाद का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण आयोजित करने तथा राज्य में पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन के वार्षिक अनुमान निकालने हेतु भारत सरकार की 50 प्रतिशत सहायता से योजना संचालित है।

39. नेशनल प्रोग्राम फार बोवाईन ब्रीडिंग (NPBB)(100प्र0के0स0)

पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना, संचालित केन्द्रों के सुदृढीकरण, गाय व भैंसा सांडों का उपार्जन/वितरण, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण व रिफ्रेसर प्रशिक्षण, पशुचिकित्साविदों को वीर्य उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के संचालन, बॉझपन निवारण शिविरों का आयोजन, भ्रूण प्रत्यारोपण इत्यादि का प्रशिक्षण, प्रबन्धकीय अनुदान, बोर्ड द्वारा विकसित एमआईएस साफ्टवेयर का संचालन आदि कार्य किये जाने हैं।

40. राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना

भारत सरकार द्वारा पशुओं के नस्ल सुधार हेतु योजना चलाई गई है, गाईड लाईन के अनुसार प्रोजेक्ट तैयार किये जा रहे हैं।

41. नकुल स्वास्थ्य पत्र

भारत सरकार द्वारा पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने हेतु योजना चलाई गई है, गाईड लाईन के अनुसार प्रोजेक्ट तैयार किये जा रहे हैं।

42. ई पशुधन हाट

भारत सरकार द्वारा ब्रीडर एवं किसानों को आपस में जोड़ने हेतु ई पशुधन हाट योजना चलाई गई है, गाईड लाईन के अनुसार योजना भारत सरकार द्वारा चलायी जानी है।

43. राष्ट्रीय देशी जेनोरिक केन्द्र

भारत सरकार द्वारा देशी नस्ल को संरक्षित करने हेतु और उसमें सुधार हेतु राष्ट्रीय देशी जेनोरिक केन्द्र योजना चलाई गई है, गाईड लाईन के अनुसार योजना भारत सरकार द्वारा चलायी जानी है।

आयोजनेत्तर योजनायें

1. निदेशन तथा प्रशासन–

विभाग के सभी अवस्थापना संबंधी केन्द्र जैसे पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केन्द्र, रोग निदान प्रयोगशालायें, तरल नत्रजन केन्द्र, भेड़ प्रक्षेत्र, भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र, अंगोरा शशक प्रक्षेत्र, आदि में कार्यरत स्टाफ हेतु अधिष्ठान मदों में एवं विभिन्न संस्थाओं में व्यवस्थित पशुधन के लिए आहार, चारा आदि की व्यवस्था हेतु योजना संचालित है।

2. अन्य पशुधन विकास–राज्य पशुधन एवं कृषि संबंधी प्रक्षेत्र–

इस योजना के कार्यरत पशुधन प्रक्षेत्र कालसी, भरारीसैण बछड़ा पालन केन्द्र में कार्यरत अधिष्ठान व्यय एवं पशुओं हेतु राशन आदि की व्यवस्था के लिए योजना संचालित है।

**उत्तराखण्ड में पशुपालन एवं कुक्कुट पालन
(एक दृष्टि में)**

क्र०सं०	विवरण	संख्या
1	पशुचिकित्सालय	333
2	"द" श्रेणी पशु औषधालय	10
3	पशु सेवा केन्द्र	777
4	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (विभागीय)	762
5	भेड़ प्रक्षेत्र	11
6	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र	03
7	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	04
8	कुक्कुट प्रक्षेत्र	07
9	अंगोरा शशक प्रक्षेत्र	05
10	सघन कुक्कुट विकास प्रायोजना	08
11	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र/मेढ़ा केन्द्र	113
12	रोग निदान प्रयोगशाला	06
13	सूकर प्रक्षेत्र	02
14	ऊन श्रेणीकरण केन्द्र	01
15	ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला	01
16	याक प्रजनन प्रक्षेत्र	01
17.	कार्यरत बोर्ड/आयोग	
	1. उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद	01
	2. उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड	01
	3. उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड	01
	4. उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग	01
	5. उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद	01
	पशुगणना-2019	
1	गोवंशीय पशुओं की संख्या	1852123
2	महिषवंशीय पशुओं की संख्या	866318
3	भेड़ों की संख्या	284615
4	बकरियों की संख्या	1371971
5	घोड़े/टट्टूओं की संख्या	7452
6	खच्चरों की संख्या	26293
7	सूकरों की संख्या	17659
8	याक की संख्या	54
9	कुक्कुट पक्षियों की संख्या	5018684

उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य पशुजन्य उत्पादों का राष्ट्र से तुलनात्मक विवरण

क्र० सं०	विवरण	दुग्ध उत्पादन (हजार टन)		अण्डा (लाख संख्या में)		माँस उत्पादन (हजार टन में)		ऊन उत्पादन (हजार कि०ग्रा० में)	
		2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	उत्तराखण्ड	1898	1957	5941	6310	24.56	256	462	471
2	भारत	239299	247870	1427716	1491114	10252.65	105045	33689	34574

3	राज्य का अंश (प्रतिशत में)	0.79	0.79	0.42	0.42	0.24	0.24	1.37	1.36
---	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

**भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आहार दिशा निर्देशानुसार
उत्तराखण्ड राज्य में दुग्ध, अण्डा तथा मांस की आवश्यकता**

समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार	मद			वर्ष 2001 तथा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुमानित जनसंख्या (लाख में)
	दुग्ध	अण्डा	मांस	2024-25
आवश्यकता	300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	180 प्रति व्यक्ति वार्षिक	10.950 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति वार्षिक	118.24
उपलब्धता (2024-25)	446 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	51 प्रति व्यक्ति वार्षिक	2.11 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति वार्षिक	

पशुजन्य उत्पादों का वर्ष 2024-25 की कुल आवश्यकता, उपलब्धता एवं अभाव

मद	आवश्यकता	उपलब्धता	अभाव
दुग्ध (हजार टन में)	1298	1957	—
अण्डा (लाख संख्या में)	21283	6310	14973
मांस (लाख कि.ग्रा. में)	1294.728	256	1038.728

17. 2 बर्ड फ्लू फैलने की आंशका की स्थिति में रोकथाम की कार्ययोजना :-

1 सर्तक एवं तैयार रहने की आवश्यकता

1.1 मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारियों को राजकीय कुक्कुट प्रेक्षत्र एवं निजी कुक्कुट प्रबन्धकों के साथ सतत सम्पर्क में रहना चाहिए तथा महामारी फैलने की आंशका की स्थिति में सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को फोन, फैक्स या ई-मेल द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में सूचना तत्काल भेजी जानी चाहिए।

1. कुक्कुट प्रेक्षत्र पर सामान्य से अधिक मृत्युदर होना।
2. कुक्कुट रोग के लक्षण, जिसका निदान न हो रहा हो।
3. पक्षी विहार में पक्षियों की अकारण मृत्यु होना।

सूचना तन्त्र का विकास, इस प्रकार किया जाना चाहिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारी को कुक्कुट पालक किसी भी संदिग्ध अवस्था में तुरन्त सूचित करें तथा पशुधन प्रसार अधिकारी प्राप्त सूचना को तत्काल पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए

पशुचिकित्साधिकारी समस्त सूचनाएं फोन, फैंक्स या ई-मेल के द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएंगे। पशु अभ्यारण एवं पक्षी विहार के प्रभारी अधिकारी किसी भी सन्देहास्पद स्थिति में अप्रवासी पक्षियों की मृत्यु की सूचना क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएंगे।

- 1.2 निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड समस्त पशुचिकित्साधिकारी एवं रोग नियन्त्रण अधिकारियों को बर्ड फ्लू के बचाव के लिए सलग्नक 1 एवं 2 पर निर्दिष्ट किट्स उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक जनपद स्तर पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय में कम से कम 5 संक्रमित क्षेत्र के दौरे के समय तथा एक जोड़ी सुरक्षा कपड़े, स्थल का दौरा करते समय ले जाने चाहिए।

प्राथमिक सूचना मिलने पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रभावित स्थल का दौरा

- 1.3 कुक्कुट के संक्रमण अथवा उच्च औसत मृत्यु दर या पशु अभ्यारण/पक्षी विहार में पक्षियों के बीमार होने/मृत्यु होने पर पशुचिकित्साधिकारी या अन्य माध्यम से सूचना प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्तर्गत मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रोग निदान अधिकारी के साथ उक्त स्थल का दौरा करना सुनिश्चित करेंगे। पशुरोग निदान अधिकारी के पास सलग्नक 2 के अनुसार एक पशुरोग नियन्त्रण किट होनी चाहिए जिससे कि वह प्राथमिक और नैदानिकी परीक्षण कर सकें और नमूने एकत्र कर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेज सकें। पशुरोग निदान अधिकारी और उसके सहायक को बचाव वाले कपड़े पहनकर संक्रमित स्थल पर जाना चाहिए जहां पक्षियों को रखा गया हो। यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि समस्त वस्त्र और औजार कीटाणु रहित हों और पूर्व में प्रयोग न किये गये हों।

पशु रोग निदान अधिकारी के द्वारा प्राथमिक एवं नैदानिकी परीक्षण

- 1.4 पशु रोग निदान अधिकारी द्वारा समस्त सुरक्षा वस्त्र चेंजिंग रूम में पहनने चाहिए और चेंजिंग रूम में रोग निदान अधिकारी की किट को छोड़ना, जिसमें निम्नलिखित सामान होना चाहिए।

1. लीक प्रूफ वाटर कन्टेनर।
2. नमूने रखने वाला थर्मोकोल बॉक्स।
3. दो जोड़ी सर्जिकल दस्तानें।
4. पाँच आटोक्लेवेबिल प्लास्टिक के बैग्स।
5. पाँच काले रबिड बैग्स।
6. कीटाणुनाशक घोल।

पशुरोग निदान अधिकारी किट का अवशेष सामान अपने साथ कुक्कुट शेड ले जा सकते हैं।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/पशुरोग निदान अधिकारी को निम्नलिखित सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए।

1. सर्व प्रथम उत्पादन इकाईयों, उत्पादन उप-इकाईयों का चिन्हीकरण।
2. प्रक्षेत्र पर कुक्कुट एवं अन्य पशुओं की संख्या।
3. प्रक्षेत्र के कार्यरत कार्मिकों एवं वाहनों की पहचान एवं संख्या।
4. कार्मिकों, उपकरण, वाहन, पशु/कुक्कुट के आवागमन का विवरण।
5. कीटाणु नाशक एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता का विवरण।
6. कुक्कुट एवं पशुओं की रोगों से लड़ने की क्षमता की जानकारी/ टीकाकरण आदि।

संक्रमित एवं संभावित कुक्कुट एवं पशुओं की रोग निदान अधिकारी द्वारा नैदानिकी परीक्षण कर प्रक्षेत्र पर रोग संक्रमण की स्थिति का आंकलन करना चाहिए। प्रक्षेत्र कर समस्त सम्भावित/संक्रमित कुक्कुट एवं पशुओं का

नैदानिकी परीक्षण किया जाना चाहिए। नैदानिकी परीक्षण प्रक्षेत्र की विभिन्न इकाईयों पर पृथक-पृथक किया जाना चाहिए। टीकाकरण कार्यक्रम विवरण को विशेष सावधानी पूर्वक संग्रहित करना चाहिए। पशुरोग निगरानी एवं विवरण संलग्न 3 तीन पर उपलब्ध प्रपत्र पर किया जाना चाहिए तथा विवरण में निम्नलिखित सूचनाएं अवश्य संकलित की जानी चाहिए।

- a. संक्रमण के संकेत मिलने पर पशुओं/कुक्कुट के आवगमन का 20 दिन तक लेखा-जोखा रखना चाहिए।
- b. समस्त प्रक्षेत्र कार्मिकों, उनके संबंधी, पशुचिकित्साधिकारी/एवं अन्य व्यक्तियों के आवागमन का लेखा-जोखा रखना चाहिए।
- c. फार्म पर उपलब्ध समस्त वाहन चाहे इनका सम्बन्ध कुक्कुट/पशुओं से हो या न हो का लेखा जोखा रखा जाना चाहिए।

समस्त पशुरोग निगरानी एवं नियन्त्रण सूचनायें संलग्नक-तीन के अनुसार संकलित कर फैक्स/ई-मेल द्वारा तत्काल निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड को अति शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। प्रत्येक संक्रमित कुक्कुट को प्रजाति के आधार पर चिन्हित कर लेखा-जोखा रखा जाए। जिसमें प्रजाति के साथ-साथ संक्रमण के चिन्ह दिखाई देने की तिथि, रोग के लक्षण तथा मृत्यु दर आदि का विवरण सम्मिलित होना चाहिए।

प्राथमिक एवं नैदानिकी रोग अन्वेषण के द्वारा बर्ड फ्लू होने की संभावना हो तो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को तुरन्त रोग की रोकथाम एवं निगरानी हेतु वर्णित व्यवस्था को प्रभावी बनाना चाहिए। यदि प्राथमिक एवं नैदानिकी परीक्षण के द्वारा बर्ड-फ्लू संमण की संभावना का विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

निदेशक (पशुपालन)/ जिलाधिकारी व अन्य को शीघ्र सूचित करें

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निदेशक, (पशुपालन)/जिलाधिकारी या अन्य किसी भी अधिकारी, जो कि राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी/तहसीलदार स्तर का हो को दूरभाष, फैक्स या ई-मेल द्वारा सूचित करें तथा विभिन्न प्रतिबन्धों को जिनका विवरण निम्नवत है, को प्रभावी रूप से लागू कराने में सहयोग प्राप्त करें।

सर्तकता प्रक्षेत्र का चिन्हीकरण

लगभग 10 कि०मी० का प्रभावित सतता प्रक्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के सभी गांवों को सतता प्रक्षेत्र के अन्दर सम्मिलित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत को अधिकार है, कि वह राजकीय पशुचिकित्साधिकारी एवं अन्य पशुचिकित्साविद् जो भी इस क्षेत्र के अन्तर्गत, पशुचिकित्साव्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करते हों, उनको सावधान किया जाए और उनसे अनुरोध किया जाये कि बर्ड-फ्लू की रोकथाम के लिए प्रभावी रूप से सहयोग करें।

संग्रहित नमूनों को प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए।

निम्न प्रकार पेटोलोजिकल नमूनों को एकत्र करके उच्च सुरक्षा पशु रोग निदान, प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाना चाहिए।

- 1 कम से कम पांच संक्रमित कुक्कुट को शव विच्छेदन जांच के लिए।
- 2 कम से कम पांच कुक्कुट के श्वास नलिकाएं एवं फेफड़ों के नमूने।
- 3 कम से कम पांच पक्षियों की आंतों के नमूने।
- 4 तीस स्वस्थ कुक्कुट या कम से कम 10 स्वस्थ कुक्कुट के क्लोऐकल और ट्रेकियल स्वेब ट्रांसपोर्ट मीडियम/टिशू कल्चर मीडिया में रखकर भेजे जाने चाहिए।
- 5 कम से कम 10 रक्त (सीरम) नमूने जांच हेतु भेजे जाने चाहिए।

समस्त संकलित नमूनों को अच्छी तरह से लीक प्रूफ कन्टेनर में पैक कर कोल्ड चेन बनाते हुए प्रयोगशाला भेजे जाने चाहिए। नमूने ले जाते समय उच्चकोटि की स्वच्छता बनाये रखनी चाहिए। तथा संक्रमण को रोकने

के लिए डबल पैकिंग करनी चाहिए। समस्त नमूने आईस बाक्स जिसमें चिलिंग बोटल्स लगी हो तथा जिनको पूर्णतया: जीवाणु रहित किया गया हो, में संग्रहित कर भेजा जाना चाहिए। समस्त नमूनों के साथ संलग्नक 4 के अनुसार विवरण अंकित होना चाहिए। रोग निदान अधिकारी एवं सहयोग कार्मिक नमूने एकत्रित के दौरान समस्त सुरक्षा वस्त्र चेजिंग रूम में पहनें तथा समस्त उपकरण आदि, जो कि जीवाणु रहित किए गए हो, का उपयोग करें। एक बार प्रयोग में लाई जानी वाली समस्त वस्तुओं को एक पृथक प्लास्टिक बैग में रखा जा सकता है।

मुख्य चिकित्साधिकारी/पशुधन निदान अधिकारी के उस स्थान तक पहुंचने के 24 घण्टे के अन्तर्गत नमूनों को एकत्रित कर, किसी विशेष वाहक द्वारा उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाला, भोपाल के लिए भेजा जाना चाहिए। वह संदेश वाहक जो नमूने लेकर जाए, कि सूचना मुख्य पशुचिकित्साधिकारी /रोग निदान अधिकारी द्वारा निदेशक (पशुपालन) को फोन/फैक्स द्वारा सूचित करें। यह जरूरी नहीं कि लिखित अनुमति प्राप्त की जाए क्योंकि यह जरूरी है, कि नमूने जल्द से जल्द भोपाल पहुंचाएं जाएं। यदि आवश्यक हो तो सूचना वाहक जल्दी पहुंचने के लिए वायुयान का प्रयोग कर सकता है। उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाला, भोपाल से अनुरोध है कि सारी जांच जितनी जल्दी हो सके पूरी कर लें। उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाला, भोपाल को नमूने प्रेषित करने की सूचना जल्द से जल्द टेलीफोन नं० 0155-2759204 फैक्स नं० 0155-2758842 पर अग्रिम रूप से प्रेषित कर दी जाय। उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाला, भोपाल को चाहिए, कि वह संवदेशवाहक के अस्थायी आवास की व्यवस्था स्थानीय रूप से करें। यह बहुत ही आवश्यक है, कि नमूनों की जांच वहां पहुंचने के तीन या चार दिन के अन्दर हो जानी चाहिए।

राज्य आपात पशुरोग नियंत्रण समिति पशुपालन निदेशालय उत्तराखण्ड

1.5 राज्य के मुर्गीपालकों द्वारा अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक उपाय

1. बीमारी फैलने पर राज्य में स्थित सभी कुक्कुट फार्म प्रजनन फार्म बाहर से पक्षी व चूजों का आयात बन्द कर दें, यदि पूर्व के समझौतों से ऐसे आयात किए जा रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आयातित किए जाने वाले स्थान में तीन माह पूर्व बर्ड फ्लू के लक्षणों वाली कोई बीमारी नहीं हुई है।
2. कुक्कुट फार्मों में निर्धारित मानकों व नियमों व स्वच्छता का कड़ाई से पालन किया जाय। कर्मचारियों, उपभोग सामग्री तथा वाहनों को कीटाणु मुक्त करने के पश्चात ही फार्मों के अन्दर आने दिया जाय।
3. सभी फार्म के अन्दर बाहरी व्यक्तियों/दर्शकों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित किया जाय।
4. सभी फार्म कार्मिकों को स्वच्छ सुरक्षात्मक पोशाक, गमबूट, दस्तानें तथा मास्क उपलब्ध कराये जाय।
5. कुक्कुटों को स्वास्थ्य व निरोग रखने के लिए सभी संभव प्रयास जैसे टीकाकरण, पारजीविक दवापान, मिनरल्स व विटामिन्स मिश्रण का प्रयोग आवश्यक है।
6. कुक्कुट में सामक रोग पर नियंत्रण के लिए कड़े सुरक्षात्मक उपाय, साफ-सफाई व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाय।
7. कुक्कुट के पंख त्वचा, मांस, हड्डी, खाद तथा अन्य अनुपयोगी अंगों का निस्तारण कीटाणुयुक्त दवाओं से उपचार करने के उपरान्त गहरे गढ़े में दबाकर करें।
8. एक कुक्कुट बाड़ा की वस्तुएं व कर्मचारी दूसरे कुक्कुट बाड़े में संक्रमण मुक्त करने के पश्चात ही जाएं।
9. सभी कुक्कुट फार्मों पर एक सुरक्षा टीम जो प्रतिदिन पक्षियों की जाँच एवं सुरक्षा सम्बन्धी जांच कर संदेहास्पद मामलों का फार्म स्वामी और पशुपालन विभाग को तत्काल सूचित करें।
10. कुक्कुट में अप्रत्याशित मृत्यु दर, गर्दन का झुकना, लड़खड़ा कर चलना, दस्त आना जैसे लक्षण दिखने पर स्वस्थ कुक्कुट से अलग किया जाय।
11. बीमारी के लक्षण दिखने पर फार्म से कुक्कुट अण्डों एवं अन्य उत्पादों का य-विय बन्द कर दिया जाय। यह प्रिया बीमारी के अन्तिम लक्षण दिखने के 30 दिन बाद भी लागू रहेगी।

12. विदेशों से आने वाले प्रवासी पक्षियों से इस रोग के संक्रमण की वैज्ञानिकों द्वारा आशंका व्यक्त की जा रही है इस सम्बन्ध निम्न सुरक्षा अपनाने की आवश्यकता है:—

- प्रवासी पक्षियों से दूरी बनायी जाए।
- प्रवासी पक्षियों से अपने पक्षियों को दूर रखा जाय।
- ऐसे पक्षियों का शिकार न किया जाय।
- कुक्कुट फार्म पर स्थित ऐसे वृक्ष की छँटाई कर दी जाय जहाँ अन्य पक्षी बैठते हैं।
- कुक्कुट फार्म पर अनावश्यक रूप से बाहरी व्यक्तियों प्रवेश वर्जित किया जाय।
- कुक्कुट फार्म पर प्रवेश करने से पूर्व जूते व चप्पलों को फिनायल से साफ कर लें।
- वाहनों का फार्म में प्रवेश वर्जित कर दिया जाय।

यदि उपरोक्त सावधानियाँ बरती जाय तो कुक्कुट में संक्रमण की कोई सम्भावना नहीं होगी। प्रवासी पक्षियों के ठहरने के स्थानों पर वन विभाग व पशुपालन विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है। यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है कि बर्ड फ्लू रोग का विषाणु गर्म होने पर निक्रिष्य होता है। अतः पका कुक्कुट माँस सेवन हेतु सुरक्षित है।

बर्ड फ्लू के सम्भावित प्रकोप पर निगरानी एवं नियंत्रण हेतु सूचना प्रबन्ध तन्त्र
(Bird Flu Management Information System In Uttarakhand)
पशु पालन विभाग उत्तरांचल

क्र. सं.	सूचना का स्रोत	पशुपालन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम जिन्हें सूचना दी जानी है।	अपेक्षित कार्यवाही
1.	कुक्कुट पालक, कुक्कुट यूनिट/प्रक्षेत्र के प्रबन्धक	निकटतम पशुधन प्रसार अधिकारी/कुक्कुट निरीक्षक/ पशु चिकित्साधिकारी	पशुधन प्रसार अधिकारी/कुक्कुट निरीक्षक /पशुचिकित्साअधिकारी को सूचित करेंगे।
2.	कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद विता/उपभोक्ता एवं जन साधारण	निकटतम पशुधन प्रचार अधिकारी/कुक्कुट निरीक्षक / पशुचिकित्साधिकारी	पशुधन प्रसार अधिकारी/कुक्कुट निरीक्षक/पशुचिकित्साअधिकारी को सूचित करेंगे।
3.	पशुधन प्रचार अधिकारी/कुक्कुट निरीक्षक/पशु चिकित्साधिकारी	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी /रोग निदान अधिकारी	सूचना प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर स्थलीय निरीक्षक एवं निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही।
4.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/ रोग निदान अधिकारी	—	रोग प्रसार अधिकारी के साथ नमूने एकत्र करके उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाला भोपाल को भेजेंगे।
5.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/ रोग निदान अधिकारी	निदेशक पशुपालन/ जिला अधिकारी एवं अन्य।	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निदेशक (पशुपालन) जिलाधिकारी या अन्य किसी भी अधिकारी, जो कि राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी/तहसीलदार स्तर का हो को दूरभाष, फैक्स या ई-मेल द्वारा सूचित करें तथा विभिन्न प्रतिबन्धों को कार्य योजना के अनुसार प्रभावी रूप से लागू कराने में सहयोग प्राप्त करें।

6.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/ रोग निदान अधिकारी	—	प्रभावित क्षेत्र को छोड़ने से पहले मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/रोग निदान अधिकारी को चाहिए कि वह स्थानीय पशुचिकित्साधिकारी को अपने विधिक कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियंत्रण कार्ययोजना प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नामित करें, जो कि कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7.	उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाला भोपाल से पुष्टि होने पर	निदेशक, पशुपालन विभाग एवं सचिव/प्रमुख सचिव, पशुधन	संक्रमित क्षेत्र की परिधि में लगभग 3 किमी. तक के क्षेत्र के गांव एवं उपनगरीय क्षेत्रों के नाम आदि चिह्नित कर सूचना तत्काल निदेशक पशुपालन एवं सचिव/प्रमुख सचिव पशुधन को प्रेषित की जाए ताकि संमित क्षेत्र को अधिसूचना जारी की जा सके। और वहां एक साईन बोर्ड लगाया जाए जिसमें यह अंकित हो कि 3 किमी. वर्ग का इलाका बर्ड फ्लू के अन्तर्गत आता है। यह वहां की स्थानीय भाषा में लिखा होना चाहिए।
8.	सचिव/प्रमुख सचिव पशुधन	पशुपालन आयुक्त तथा संयुक्त सचिव (पशुस्वास्थ्य), पशुपालन डेरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली,	समस्त संबन्धित संस्थाओं (स्थानीय/केन्द्रीय) को बर्ड फ्लू अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध जानकारी उपलब्ध करायेंगे। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समस्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बर्ड फ्लू अधिसूचित क्षेत्र की जानकारी केवल पशुपालन डेरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
9.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी निदेशक पशुपालन एवं सचिव पशुधन	स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी	संक्रमण के लक्षण मनुष्यों में पाए जाने पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, निदेशक, पशुपालन एवं सचिव, पशुधन को यह सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तुरन्त उपलब्ध करायी जानी चाहिए। कुक्कुट प्रक्षेत्र पर कार्यरत कार्मिक, जो कि संक्रमित कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पादों की देख-रेख में संलग्न हो का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए। यदि कुक्कुट प्रक्षेत्र कार्मिकों में बर्ड फ्लू से सम्बन्धित रोग के लक्षण दिखाई दे तो उनकी समुचित सुरक्षा हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। समस्त प्रक्षेत्र कार्मिकों को सुरक्षा वस्त्र एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नियमित रूप से करने हेतु स्पष्ट निर्देश प्रसारित करने चाहिए।

10.	निदेशक पशुपालन एवं सचिव पशुधन	समस्त क्षेत्रीय कुक्कुट उत्पादकों एवं कुक्कुट उद्योग के संचालन कर्ताओं	समस्त कुक्कुट उत्पादक एवं कुक्कुट उद्योग को विश्वास में लेकर नियमित अन्तराल पर बर्ड फ्लू नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाना चाहिए।
11.	सचिव पशुधन	प्रेस/मीडिया/सामाचार पत्र	इस कार्य के लिए राज्य सरकार को एक अधिकारी को नामित करना चाहिए। सूचना में मीडिया को चाहिए कि वह लोगों को सही जानकारी दें। और कुक्कुट उत्पाद के खान-पान के बारे में सही जानकारी दें। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी को इस विषय में प्रेस मीडिया के लिए वक्तव्य जारी करने से स्पष्ट रूप से मना किया जाए।

उत्तरांचल शासन पशुपालन अनुभाग-1
संख्या-786/XV-1/7(50)/2005
देहरादून : दिनांक 7 दिसम्बर, 2005

कार्यालय -आदेश

विषय:- प्रवासी पक्षियों के आगमन से बर्ड फ्लू की आंशका के समाधान हेतु मार्ग निर्देश।

वर्तमान में उत्तरांचल राज्य में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है तथा वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी सम्भावनायें व्यक्त की जा रही हैं कि यह पक्षी बर्ड फ्लू रोग के विषाणु के सम्भावक हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रतिदिन समाचार पत्रों में भी सूचनायें प्रकाशित हो रही हैं। सम्भावित बर्ड फ्लू के नियंत्रण हेतु निम्न प्रकार राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है -

(क) राज्य स्तरीय समिति :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास | अध्यक्ष |
| 2. सचिव, पशुपालन | सदस्य |
| 3. सचिव, स्वास्थ्य | सदस्य |
| 4. सचिव, वन | सदस्य |
| 5. उप कुलपति, गोविन्द वल्लभ पंत वि.वि. के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6. प्रमुख वन संरक्षक | सदस्य |
| 7. महानिदेशक, स्वास्थ्य | सदस्य |
| 8. मुख्य वन जीव प्रतिपालक | सदस्य |
| 9. निदेशक, पशुपालन | सदस्य सचिव एवं संयोजक |

(ख) जनपद स्तरीय समिति :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | सदस्य सचिव एवं संयोजक |
| 3. मुख्य चिकित्साधिकारी | सदस्य |
| 4. जनपद के समस्त प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |

उपरोक्त समितियां राज्य में बर्ड फ्लू के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगी। जिला स्तरीय समिति के निम्न दायित्व होंगे :-

1. राज्य के कुक्कुट पक्षियों में उक्त रोग नहीं देखा गया है तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जनता में भ्रामक स्थिति पैदा न हो, सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक अधिकृत सूचना का प्रसार होना चाहिये। इस हेतु जनपद स्तर पर प्रेस में सूचना देने के लिये जिलाधिकारी ही सक्षम होंगे। कोई भी अन्य अधिकारी इस विषय में प्रेस से वार्ता नहीं करेगा। समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी प्रत्येक सप्ताह अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों तथा वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से सूचना एकत्र कर जिलाधिकारी को सूचित करेंगे।
1. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र के समस्त कुक्कुट पालकों व कुक्कुट व्यापारियों को बर्ड फ्लू के सम्बन्ध में गोष्ठियों एवं साहित्य के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
2. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अपने क्षेत्र के अन्तर्गत स्थिति कुक्कुट परिक्षेत्रों का समय-समय पर स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराते रहें।
3. प्रवासी पक्षियों की मृत्यु होने पर सम्बन्धित वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को सूचित करेंगे तथा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के सहयोग से मृत पक्षी की जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। जांच हेतु उत्तरांचल राज्य में स्थित पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं से भी सहयोग लिया जाये।

प्रमुख सचिव

संख्या-786(1)/XV-1/2005-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. सचिव, स्वास्थ्य, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल।
5. समस्त राज्य स्तरीय समिति के सदस्य।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(दमयन्ती दोहरे)

अपर सचिव

17.3 महत्वपूर्ण सांख्यिकीय सूचनायें :-

सामान्य सूचना

क्र०सं०	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या (2024)	विकास खण्ड (2024)	आबाद ग्राम (2024)	नगर एवं नगर समूह (2024)	न्याय पंचायत (2024)	ग्राम पंचायत (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तरकाशी	6	6	694	3	36	508
2	चमोली	12	9	1170	6	39	610
3	टिहरी	12	9	1774	7	75	1034
4	देहरादून	7	6	731	22	36	401
5	पौड़ी	13	15	3142	9	115	1173
6	रूद्रप्रयाग	4	3	653	2	27	336
7	हरिद्वार	5	6	518	24	46	318
8	पिथौरागढ़	12	8	1572	3	64	686
9	अल्मोड़ा	12	11	2184	5	95	1160
10	नैनीताल	9	8	1097	11	43	479
11	ऊधमसिंहनगर	8	7	674	19	27	375
12	चम्पावत	5	4	662	4	24	313
13	बागेश्वर	6	3	874	1	35	402
सम्पूर्ण राज्य		111	95	15745	116	662	7795

जनगणना वर्ष 2011

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल योग	पुरुष	स्त्री	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	कुल कर्मकर
1	2	3	5	6	7	8	9
1	उत्तरकाशी	330086	168597	161489	80567	3512	157276
2	चमोली	391605	193991	197614	79317	12260	180940
3	टिहरी	618931	297986	320945	102130	875	280442
4	देहरादून	1696694	892199	804495	228901	111663	582768
5	पौड़ी	687271	326829	360442	122361	2215	274152
6	रूद्रप्रयाग	242285	114589	127696	47679	386	113032
7	हरिद्वार	1890422	1005295	885127	411274	6323	578121
8	पिथौरागढ़	483439	239306	244133	120378	19535	216490
9	अल्मोड़ा	622506	291081	331425	150995	1281	298211
10	नैनीताल	954605	493666	460939	191206	7495	376181
11	ऊधमसिंहनगर	1648902	858783	790119	238264	123037	591458
12	चम्पावत	259648	131125	128523	47383	1339	99566
13	बागेश्वर	259898	124326	135572	72061	1982	123638
सम्पूर्ण राज्य		10086292	5137773	4948519	1892516	291903	3872275

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनपदवार जनसंख्या एवं परिवार संख्या							
क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल जनसंख्या			कुल परिवार संख्या		
		कुल योग	ग्रामीण	नगरीय	कुल योग	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तरकाशी	330086	305781	24305	67602	61914	5688
2	चमोली	391605	332209	59396	88964	74318	14646
3	टिहरी	618931	548792	70139	132714	115691	17023
4	देहरादून	1696694	754753	941941	347001	144112	202889
5	पौड़ी	687271	574568	112703	161778	136180	25598
6	रूद्रप्रयाग	242285	232360	9925	53542	50882	2660
7	हरिद्वार	1890422	1197328	693094	338104	204477	133627
8	पिथौरागढ़	483439	413834	69605	114730	96971	17759
9	अल्मोड़ा	622506	560192	62314	140577	125209	15368
10	नैनीताल	954605	582871	371734	191383	114954	76429
11	ऊधमसिंहनगर	1648902	1062142	586760	308581	198645	109936
12	चम्पावत	259648	221305	38343	53953	45741	8212
13	बागेश्वर	259898	250819	9079	58046	55992	2054
सम्पूर्ण राज्य		10086292	7036954	3049338	2056975	1425086	631889

20 वीं पशुगणना वर्ष 2019 के अनुसार पशुधन संख्या

क्र.सं.	जनपद का नाम	गौवंशीय			कुल महिषवंशीय	भेड			कुल बकरी	सूकर		
		क्रास ब्रीड	स्वदेशी	योग		क्रास ब्रीड	स्वदेशी	योग		क्रास ब्रीड	स्वदेशी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उत्तरकाशी	22488	82991	105479	25945	48743	31606	80349	100882	118	151	269
2	चमोली	13460	132165	145625	37922	1670	73747	75417	96861	0	287	287
3	टिहरी	5529	80833	86362	79394	12969	8176	21145	126944	203	420	623
4	देहरादून	106290	87753	194043	52185	182	6040	6222	158314	769	923	1692
5	पौड़ी	20899	235412	256311	30076	117	13159	13276	142816	7	1085	1092
6	रुद्रप्रयाग	2960	71277	74237	31115	819	12265	13084	28363	0	44	44
7	हरिद्वार	115667	63728	179395	214480	488	4209	4697	26594	2273	3856	6129
8	पिथौरागढ़	54452	108417	162869	37056	7335	37198	44533	226060	63	98	161
9	अल्मोड़ा	17042	132038	149080	77444	0	2186	2186	185319	8	351	359
10	नैनीताल	75497	101009	176506	77759	3	825	828	66213	396	383	779
11	ऊधमसिंहनगर	103038	63311	166349	152911	309	1759	2068	51014	4277	1753	6030
12	चम्पावत	34180	45506	79686	18599	0	10	10	60516	1	79	80
13	बागेश्वर	5318	70863	76181	31432	3724	17076	20800	102075	0	114	114
सम्पूर्ण राज्य		576820	1275303	1852123	866318	76359	208256	284615	1371971	8115	9544	17659

20 वीं पशुगणना वर्ष 2019 के अनुसार पशुधन संख्या

क्र० सं०	जनपद का नाम	घोड़े तथा टटटू	खच्चर	गधे	कुल ऊँट	कुल याक	कुत्ते	खरगोश	कुल पशुधन (खरगोश, तथा कुत्तों को सम्मिलित न करते हुए)	कुल पशुधन (खरगोश, तथा कुत्तों को सम्मिलित करते हुए)	कुक्कुट
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	उत्तरकाशी	901	5989	71	0	0	6635	69	319885	326589	30337
2	चमोली	600	4064	4	0	18	14054	287	360798	375139	34875
3	टिहरी	482	2667	8	0	0	12264	154	317625	330043	59815
4	देहरादून	575	1724	254	0	0	53760	667	415009	469436	583703
5	पौड़ी	684	1374	186	0	0	12148	152	445815	458115	64070
6	रूद्रप्रयाग	234	2561	1	0	0	6823	48	149639	156510	25877
7	हरिद्वार	486	18	16	0	0	11315	224	431815	443354	274851
8	पिथौरागढ़	622	2798	18	0	36	19235	1344	474153	494732	95814
9	अल्मोड़ा	340	1392	4	0	0	19501	203	416124	435828	72309
10	नैनीताल	922	1368	2	15	0	32298	303	324392	356993	639479
11	ऊधमसिंहनगर	1200	77	23	0	0	23506	511	379672	403689	2997991
12	चम्पावत	160	547	0	0	0	8654	499	159598	168751	121577
13	बागेश्वर	246	1714	2	0	0	11095	167	232564	243826	17986
सम्पूर्ण राज्य		7452	26293	589	15	54	231288	4628	4427089	4663005	5018684

पशुगणना वर्ष 2012 तथा 2019 का तुलनात्मक विवरण एवं वृद्धि/ह्रास का प्रतिशत

क्र०सं०		2012	2019	वृद्धि/ह्रास का प्रतिशत
1	2	4	4	5
1	दूध दे रही स्वदेशी गाय	346502	341284	-1.51
2	दुधारू स्वदेशी गाय	510018	478235	-6.23
3	दूध दे रही क्रास ब्रीड गाय	185297	247170	33.39
4	दुधारू क्रास ब्रीड गाय	241519	303932	25.84
5	कुल गोवंशीय पशु	2006053	1852123	-7.67
6	दूध दे रही भैंसें	404415	375566	-7.13
7	दुधारू भैंसें	545951	472955	-13.37
8	कुल महिषवंशीय पशु	987775	866318	-12.30
9	कुल बकरी	1367413	1371971	0.33
10	कुल भेड़ें	368756	284615	-22.82
11	कुल सूकर	19907	17659	-11.29
12	कुल घोड़े तथा टट्टू	16358	7452	-54.44
13	कुल गधे	1509	589	-60.97
14	कुल खच्चर	26897	26293	-2.25
15	अंडा देने वाली देशी मुर्गियां	153383	248618	62.09
16	अंडा देने वाली उन्नतशील मुर्गियां	2684176	1808949	-32.61
17	कुल देशी फाउल्स	328874	563374	71.30
18	कुल इम्प्रूव्ड फाउल्स	4281490	4312171	0.72
19	कुल फाउल्स	4610364	4875545	5.75
20	कुल कुक्कुट(बत्तख तथा अन्य सहित)	4641937	5018684	8.12

उत्तराखण्ड में जनपदवार भूमि उपयोग वर्ष 2022-23

(हेक्टेयर में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	वनो के अन्तर्गत क्षेत्रफल	ऊसर एवं खेती के अयोग्य भूमि	खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	कृषि योग्य बेकार भूमि	स्थायी चारागाह तथा अन्य चराई की भूमि	अन्य वृक्षो झाड़ियों, बागों आदि की भूमि का क्षेत्रफल जो वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं है।	वर्तमान परती एवं अन्य परती	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उत्तरकाशी	812689	721664	40936	6697	2928	4345	4327	4350	27442
2	चमोली	851764	506100	90799	17113	12432	47758	143612	3880	30070
3	टिहरी	485517	321564	5784	7754	79910	34	4769	25183	40519
4	देहरादून	363018	201830	2049	24024	54715	9119	16533	23947	30801
5	पौड़ी	669055	385094	36628	17680	58317	32366	53990	61122	23858
6	रूद्रप्रयाग	234796	180365	8424	5922	2588	2496	14325	1806	18870
7	हरिद्वार	243988	84140	3145	32276	1834	71	1147	12624	108751
8	पिथौरागढ़	746734	540150	21231	10893	40317	45137	41740	15187	32079
9	अल्मोड़ा	464942	236184	24420	12879	45687	27652	39529	26854	51737
10	नैनीताल	408064	298236	781	12012	26902	247	21878	10175	37833
11	ऊ०सि०न०	279839	93837	1261	35182	4382	18	683	9487	134989
12	चम्पावत	233225	132338	7371	4762	20305	17733	22070	16965	11681
13	बागेश्वर	207902	110160	6694	5102	12133	20738	28815	4402	19858
सम्पूर्ण राज्य		6001553	6001533	3811662	249523	192296	362450	207714	393418	215982

स्रोत:- मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड

वर्ष 2023-24 का 2022-23 से तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद	इकाई	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2023-24 के गत वर्ष से वृद्धि/ह्रास का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
दुग्ध					
अ-स्वदेशी गाय (अनुमानित पशु संख्या)					
	दूध दे रही	हजार में	368.626	360.000	-2.34
उत्पादकता					
	प्रति दूध दे रही	कि०ग्रा० में	2.363	2.599	9.99
	कुल उत्पादन	हजार मी०टन	318.856	341.556	7.12
ब-क्रास ब्रीड गाय (अनुमानित पशु संख्या)					
	दूध दे रही	हजार में	289.092	295.370	2.17
उत्पादकता					
	प्रति दूध दे रही	कि०ग्रा० में	7.648	7.720	0.94
	कुल उत्पादन	हजार मी०टन	809.253	832.319	2.85
स-भैंस (अनुमानित पशु संख्या)					
	दूध दे रही	हजार में	387.129	398.810	3.02
उत्पादकता					
	प्रति दूध दे रही	कि०ग्रा० में	5.068	5.025	-0.85
	कुल उत्पादन	हजार मी०टन	718.092	731.434	1.86
स-बकरी (अनुमानित पशु संख्या)					
	दूध दे रही	हजार में	315.787	332.350	5.25
उत्पादकता					
	प्रति दूध दे रही	कि०ग्रा० में	0.447	0.428	-4.17
	कुल	हजार	51.638	51.939	0.58

	उत्पादन	मी०टन			
	गाय भैंस तथा बकरी का कुल दुग्ध उत्पादन	हजार मी०टन	1897.840	1957.249	3.13
वर्ष 2024-25 का 2023-24 से तुलनात्मक विवरण					
क्र० सं०	मद	इकाई	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2023-24 के गत वर्ष से वृद्धि/ह्रास का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
ऊन					
	ऊन उतारी गयी भेड़ों की संख्या	हजार में	245.000	243.000	-0.82
	उत्पादकता प्रति भेड़	कि०ग्रा० में	1.884	1.937	2.82
	ऊन उत्पादन	हजार कि०ग्रा० में	461.600	470.730	1.98
अण्डा					
अण्डा देने वाली मुर्गियों की अनुमानित संख्या					
	देशी	हजार में	286.830	286.570	-0.09
	इम्प्रूव्ड	हजार में	2377.380	2492.370	4.84
	सम्पूर्ण	हजार में	2664.210	2778.940	4.31
प्रति मुर्गी वार्षिक अण्डा उत्पादन					
	देशी	संख्या में	123.61	128.79	4.19
	इम्प्रूव्ड	संख्या में	234.96	238.23	1.39
	सम्पूर्ण	संख्या में	222.97	226.94	1.78
कुल अण्डा उत्पादन मुर्गी					
	देशी	लाख में	354.540	369.060	4.10
	इम्प्रूव्ड	लाख में	5585.810	5937.485	6.30
	सम्पूर्ण	लाख में	5940.350	6306.545	6.16
अण्डा देने वाली बत्तख की अनुमानित संख्या					
	देशी	हजार में	0.170	2.250	1223.53
	इम्प्रूव्ड	हजार में	0.000	0.020	-
	सम्पूर्ण	हजार में	0.170	2.270	1235.29
प्रति बत्तख वार्षिक अण्डा उत्पादन					
	देशी	संख्या में	245.66	164.04	-33.22
	इम्प्रूव्ड	संख्या में	-	140.00	-
	सम्पूर्ण	संख्या में	245.7	163.83	-33.31

कुल अण्डा उत्पादन बत्तख					
	देशी	लाख में	0.430	3.691	758.37
	इम्प्रूव्ड	लाख में	0.000	0.028	-
	सम्पूर्ण	लाख में	0.430	3.719	764.88
कुल अण्डा उत्पादन मुर्गी तथा बत्तख		लाख में	5413.015	5413.015	5940.780

वर्ष 2024-25 का 2023-24 से तुलनात्मक विवरण

क्र०सं०	मद	इकाई	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2023-24 के गत वर्ष से वृद्धि/ह्रास का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
मांस					
बध किये गये पशुओं की संख्या					
1	महिषवंशीय	हजार में	9.532	8.681	-8.93
2	भेड़	हजार में	105.695	97.148	-8.09
3	बकरी	हजार में	400.399	413.329	3.23
4	सूकर	हजार में	26.248	25.227	-3.89
5	कुक्कुट	हजार में	9904.411	10395.709	4.96
औसत मांस उत्पादन प्रति पशु					
1	महिषवंशीय	कि०ग्रा० में	129.874	126.824	-2.35
2	भेड़	कि०ग्रा० में	16.531	16.845	1.90
3	बकरी	कि०ग्रा० में	14.635	15.484	5.80
4	सूकर	कि०ग्रा० में	48.589	49.146	1.15
5	कुक्कुट	कि०ग्रा० में	1.458	1.462	0.29
कुल मांस उत्पादन					
1	महिषवंशीय	लाख कि०ग्रा० में	12.379	11.009	-11.07
2	भेड़	लाख कि०ग्रा० में	17.473	16.365	-6.34
3	बकरी	लाख कि०ग्रा० में	58.599	64.000	9.22
4	सूकर	लाख कि०ग्रा० में	12.754	12.398	-2.79
5	कुक्कुट	लाख कि०ग्रा० में	144.396	152.000	5.27
	सम्पूर्ण	लाख कि०ग्रा० में	245.600	255.772	4.14

दूध दे रही स्वदेशी गायों की अनुमानित संख्या वर्ष 2024-2024 (हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	दूध दे रही			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	21.993	26.882	24.048	24.316
2	उत्तरकाशी	14.435	17.283	15.775	15.836
3	पौड़ी	67.516	81.655	73.802	74.347
4	नैनीताल	25.511	31.035	27.891	28.155
5	ऊधमसिंहनगर	15.675	18.140	17.115	16.979
6	अल्मोड़ा	35.291	38.779	38.484	37.516
7	पिथौरागढ़	34.395	37.048	37.488	36.306
8	चम्पावत	11.327	12.334	12.349	12.002
9	बागेश्वर	18.026	20.484	19.673	19.396
10	हरिद्वार	17.477	18.892	19.050	18.471
11	चमोली	33.948	38.254	37.041	36.416
12	टिहरी	18.231	22.005	19.928	20.061
13	रुद्रप्रयाग	19.143	20.600	20.864	20.200
सम्पूर्ण राज्य		346.316	332.967	383.392	363.507

दूध दे रही क्रास ब्रीड गायों की अनुमानित संख्या वर्ष 2024-2025 (हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	दूध दे रही			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	54.135	59.208	59.025	57.452
2	उत्तरकाशी	10.924	11.878	11.909	11.569
3	पौड़ी	10.040	11.458	10.959	10.820
4	नैनीताल	29.488	36.822	32.261	32.871
5	ऊधमसिंहनगर	47.537	52.710	51.849	50.698
6	अल्मोड़ा	8.679	9.846	9.472	9.333
7	पिथौरागढ़	28.376	32.419	30.972	30.592
8	चम्पावत	17.301	18.706	18.859	18.287
9	बागेश्वर	2.721	3.121	2.970	2.937
10	हरिद्वार	54.288	64.753	59.321	59.470
11	चमोली	6.616	7.583	7.222	7.141
12	टिहरी	2.451	2.801	2.676	2.643
13	रूद्रप्रयाग	1.412	1.713	1.544	1.557
सम्पूर्ण राज्य		279.287	273.968	313.019	299.038

दूध दे रही भैसों की अनुमानित संख्या वर्ष 2024-2025 (हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	दूध दे रही			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	21.774	26.658	23.809	24.089
2	उत्तरकाशी	10.557	11.496	11.510	11.187
3	पौड़ी	10.686	12.902	11.680	11.759
4	नैनीताल	32.309	38.398	35.301	35.344
5	ऊधमसिंहनगर	56.169	63.288	61.287	60.250
6	अल्मोड़ा	34.374	41.034	37.562	37.667
7	पिथौरागढ़	18.050	21.741	19.728	19.846
8	चम्पावत	7.867	8.516	8.576	8.319
9	बागेश्वर	17.099	19.610	18.666	18.461
10	हरिद्वार	77.079	91.289	84.210	84.212
11	चमोली	22.406	26.307	24.473	24.400
12	टिहरी	41.783	50.011	45.660	45.830
13	रूद्रप्रयाग	16.385	18.086	17.869	17.446
सम्पूर्ण राज्य		373.487	366.539	429.334	400.332

दूध दे रही बकरी की अनुमानित संख्या वर्ष 2024-2025 (हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	दूध दे रही			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	34.990	42.356	38.249	38.544
2	उत्तरकाशी	21.048	23.070	22.951	22.355
3	पौड़ी	35.763	38.990	38.991	37.912
4	नैनीताल	15.095	16.475	16.458	16.008
5	ऊधमसिंहनगर	11.046	13.746	12.084	12.297
6	अल्मोड़ा	37.144	43.090	40.558	40.270
7	पिथौरागढ़	52.801	65.469	57.756	58.699
8	चम्पावत	15.378	17.535	16.785	16.567
9	बागेश्वर	19.531	24.353	21.367	21.760
10	हरिद्वार	8.820	9.970	9.624	9.472
11	चमोली	20.210	24.349	22.089	22.223
12	टिहरी	28.383	33.313	31.001	30.905
13	रुद्रप्रयाग	4.842	5.875	5.293	5.338
	सम्पूर्ण राज्य	305.052	358.591	333.206	332.350

प्रति स्वदेशी गाय का औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन वर्ष 2024-2025 (कि०ग्रा०)

क्र०सं०	जनपद का नाम	दूध दे रही गायों पर आधारित			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	3.143	2.849	3.135	3.031
2	उत्तरकाशी	2.580	2.388	2.575	2.508
3	पौड़ी	2.148	1.968	2.143	2.079
4	नैनीताल	3.608	3.286	3.599	3.486
5	ऊधमसिंहनगर	4.838	4.632	4.833	4.762
6	अल्मोड़ा	2.138	2.156	2.139	2.145
7	पिथौरागढ़	2.088	2.148	2.089	2.109
8	चम्पावत	2.454	2.497	2.455	2.469

9	बागेश्वर	1.963	1.915	1.962	1.946
10	हरिद्वार	5.417	5.553	5.421	5.465
11	चमोली	2.142	2.106	2.141	2.129
12	टिहरी	2.415	2.217	2.410	2.340
13	रुद्रप्रयाग	1.908	1.965	1.909	1.928
सम्पूर्ण राज्य		2.636	2.537	2.633	2.599

प्रति क्रास ब्रीड गाय का औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन वर्ष 2024-2025 (कि०ग्रा०)

क्र०सं०	जनपद का नाम	दूध दे रही गायों पर आधारित			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	8.076	8.182	8.079	8.114
2	उत्तरकाशी	6.643	6.769	6.646	6.688
3	पौड़ी	7.316	7.104	7.311	7.239
4	नैनीताल	7.874	6.987	7.849	7.531
5	ऊधमसिंहनगर	8.376	8.370	8.376	8.374
6	अल्मोड़ा	6.938	6.777	6.934	6.879
7	पिथौरागढ़	6.343	6.152	6.338	6.273
8	चम्पावत	6.689	6.856	6.693	6.748
9	बागेश्वर	6.912	6.678	6.906	6.827
10	हरिद्वार	8.868	8.239	8.852	8.632
11	चमोली	6.627	6.407	6.622	6.547
12	टिहरी	6.744	6.539	6.739	6.669
13	रुद्रप्रयाग	6.046	5.521	6.032	5.847
सम्पूर्ण राज्य		7.806	7.571	7.800	7.720

प्रति गाय का औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन वर्ष 2024-2025 (कि०ग्रा०)

क्र०सं०	जनपद का नाम	दूध दे रही गायों पर आधारित		
		स्वदेशी	क्रास ब्रीड	सम्पूर्ण
1	2	3	4	6
1	देहरादून	3.031	8.114	6.602
2	उत्तरकाशी	2.508	6.688	4.272
3	पौड़ी	2.079	7.239	2.735
4	नैनीताल	3.486	7.531	5.665

5	ऊधमसिंहनगर	4.762	8.374	7.468
6	अल्मोड़ा	2.145	6.879	3.088
7	पिथौरागढ़	2.109	6.273	4.013
8	चम्पावत	2.469	6.748	5.052
9	बागेश्वर	1.946	6.827	2.588
10	हरिद्वार	5.465	8.632	7.882
11	चमोली	2.129	6.547	2.853
12	टिहरी	2.340	6.669	2.844
13	रूद्रप्रयाग	1.928	5.847	2.208
सम्पूर्ण राज्य		2.599	7.720	4.907

प्रति भैंस का औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन वर्ष 2024-2025 (कि०ग्रा०)

क्र०सं०	जनपद का नाम	दूध दे रही भैंसों पर आधारित			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	4.844	4.384	4.832	4.668
2	उत्तरकाशी	4.971	5.059	4.973	5.002
3	पौड़ी	4.826	4.429	4.816	4.676
4	नैनीताल	4.825	4.499	4.817	4.703
5	ऊधमसिंहनगर	5.790	5.694	5.787	5.755
6	अल्मोड़ा	4.551	4.224	4.542	4.428
7	पिथौरागढ़	4.641	4.269	4.631	4.500
8	चम्पावत	4.091	4.188	4.093	4.125
9	बागेश्वर	5.056	4.885	5.051	4.993
10	हरिद्वार	5.945	5.562	5.935	5.802
11	चमोली	4.102	3.872	4.096	4.017
12	टिहरी	5.050	4.675	5.040	4.909
13	रूद्रप्रयाग	4.202	4.218	4.202	4.208
सम्पूर्ण राज्य		5.128	4.851	5.120	5.025

प्रति बकरी का औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन वर्ष 2024-2025 (कि०ग्रा०)

क्र०सं०	जनपद का नाम	दूध दे रही बकरी पर आधारित			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	0.340	0.311	0.339	0.329
2	उत्तरकाशी	0.521	0.527	0.521	0.523
3	पौड़ी	0.231	0.234	0.231	0.232
4	नैनीताल	0.434	0.440	0.434	0.436
5	ऊधमसिंहनगर	0.451	0.402	0.450	0.432
6	अल्मोड़ा	0.585	0.559	0.584	0.575
7	पिथौरागढ़	0.598	0.534	0.596	0.573
8	चम्पावत	0.487	0.474	0.487	0.482
9	बागेश्वर	0.441	0.392	0.439	0.422
10	हरिद्वार	0.580	0.568	0.579	0.575
11	चमोली	0.318	0.293	0.317	0.308
12	टिहरी	0.289	0.273	0.289	0.283
13	रूद्रप्रयाग	0.347	0.317	0.347	0.336
सम्पूर्ण राज्य		0.437	0.412	0.437	0.428

कुल दुग्ध उत्पादन वर्ष 2024-2025 (हजार मी०टन)

क्र० सं०	जनपद का नाम	स्वदेशी गाय				क्रास ब्रीड गाय			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण	ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	देहरादून	8.434	9.422	9.048	26.903	53.337	59.588	57.220	170.146
2	उत्तरकाशी	4.544	5.077	4.875	14.495	8.852	9.890	9.497	28.239
3	पौड़ी	17.690	19.762	18.977	56.429	8.962	10.012	9.614	28.587
4	नैनीताल	11.229	12.545	12.046	35.820	28.325	31.645	30.387	90.357
5	ऊधमसिंहनगर	9.252	10.336	9.925	29.514	48.576	54.269	52.113	154.958
6	अल्मोड़ा	9.206	10.285	9.877	29.368	7.347	8.208	7.881	23.436
7	पिथौरागढ़	8.760	9.787	9.398	27.945	21.958	24.531	23.556	70.045
8	चम्पावत	3.390	3.788	3.637	10.816	14.120	15.774	15.148	45.042
9	बागेश्वर	4.318	4.824	4.632	13.774	2.294	2.563	2.461	7.319
10	हरिद्वार	11.551	12.904	12.392	36.847	58.737	65.620	63.013	187.371
11	चमोली	8.870	9.909	9.516	28.295	5.349	5.976	5.739	17.065
12	टिहरी	5.372	6.001	5.763	17.136	2.017	2.253	2.164	6.433
13	रूद्रप्रयाग	4.456	4.978	4.780	14.214	1.041	1.164	1.117	3.322
सम्पूर्ण राज्य		107.072	119.618	114.866	341.556	260.917	291.491	279.911	832.319

कुल दुग्ध उत्पादन वर्ष 2024-2025 (हजार मी०टन)

क्र०सं०	जनपद का नाम	सम्पूर्ण गायों पर
---------	-------------	-------------------

		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	61.771	69.010	66.268	197.049
2	उत्तरकाशी	13.397	14.966	14.372	42.735
3	पौड़ी	26.651	29.774	28.591	85.017
4	नैनीताल	39.554	44.189	42.434	126.177
5	ऊधमसिंहनगर	57.828	64.605	62.038	184.471
6	अल्मोड़ा	16.553	18.493	17.758	52.804
7	पिथौरागढ़	30.718	34.318	32.954	97.990
8	चम्पावत	17.510	19.562	18.785	55.857
9	बागेश्वर	6.612	7.387	7.094	21.093
10	हरिद्वार	70.288	78.524	75.405	224.218
11	चमोली	14.219	15.886	15.255	45.360
12	टिहरी	7.389	8.254	7.926	23.569
13	रुद्रप्रयाग	5.497	6.142	5.898	17.537
सम्पूर्ण राज्य		367.988	411.110	394.778	1173.876

कुल दुग्ध उत्पादन वर्ष 2024-2025 (हजार मी०टन)

क्र०	जनपद का	भैंसों पर	बकरी पर
------	---------	-----------	---------

सं०	नाम	ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण	ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	देहरादून	12.305	14.371	12.394	39.070	1.536	1.769	1.215	4.520
2	उत्तरकाशी	6.045	6.318	6.742	19.105	0.996	1.641	1.506	4.143
3	पौड़ी	6.400	8.715	5.905	21.021	1.032	0.795	1.266	3.094
4	नैनीताल	17.694	19.435	19.063	56.192	0.560	0.929	0.992	2.481
5	ऊधमसिंहनगर	34.884	40.178	40.391	115.452	0.712	0.965	0.654	2.331
6	अल्मोड़ा	18.330	24.045	21.358	63.734	2.516	2.831	2.502	7.850
7	पिथौरागढ़	9.742	10.138	10.566	30.446	3.320	3.536	4.129	10.984
8	चम्पावत	4.216	4.778	3.615	12.609	0.566	0.803	0.616	1.985
9	बागेश्वर	9.748	10.378	11.433	31.560	1.087	0.934	1.557	3.577
10	हरिद्वार	50.019	69.307	56.780	176.105	0.480	0.813	0.366	1.660
11	चोली	10.613	12.172	10.514	33.299	0.718	0.864	0.612	2.195
12	टिहरी	24.388	24.962	25.404	74.754	1.153	1.789	1.082	4.025
13	रुद्रप्रयाग	7.549	8.883	8.550	24.982	0.231	0.260	0.255	0.745
सम्पूर्ण राज्य		211.934	253.681	232.714	698.329	14.907	17.929	16.754	49.590

कुल दुग्ध उत्पादन वर्ष 2024-2025 (हजार मी०टन)

क्र०सं०	जनपद का नाम	सम्पूर्ण दुग्ध उत्पादन (गाय भैंस तथा बकरी)
---------	-------------	---

		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	76.089	85.006	81.629	242.724
2	उत्तरकाशी	21.137	23.614	22.676	67.426
3	पौड़ी	33.949	37.928	36.421	108.298
4	नैनीताल	59.373	66.330	63.695	189.399
5	ऊधमसिंहनगर	98.110	109.607	105.253	312.970
6	अल्मोड़ा	38.288	42.775	41.075	122.138
7	पिथौरागढ़	44.788	50.036	48.049	142.873
8	चम्पावत	22.351	24.970	23.978	71.298
9	बागेश्वर	18.209	20.343	19.535	58.088
10	हरिद्वार	126.815	141.675	136.047	404.536
11	चमोली	26.217	29.290	28.126	83.633
12	टिहरी	34.132	38.132	36.617	108.882
13	रुद्रप्रयाग	14.102	15.754	15.128	44.984
सम्पूर्ण राज्य		613.561	685.459	658.229	1957.249

गाय भैंस बकरी का कुल दुग्ध उत्पादन वर्ष 2024-2025 (हजार मी0टन)

क्र0	जनपद का	स्वदेशी	क्रास	योग	भैंस	बकरी	सम्पूर्ण	सम्पूर्ण	
------	---------	---------	-------	-----	------	------	----------	----------	--

सं०	नाम	गाय	ब्रीड गाय	गाय			उत्पादन वर्ष 2022-23	उत्पादन वर्ष 2021-22	वृद्धि/ह्रास का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	देहरादून	26.903	170.146	197.049	41.048	4.627	242.724	229.336	5.84
2	उत्तरकाशी	14.495	28.239	42.735	20.425	4.267	67.426	62.231	8.35
3	पौड़ी	56.429	28.587	85.017	20.071	3.211	108.298	102.785	5.36
4	नैनीताल	35.820	90.357	126.177	60.673	2.548	189.399	190.641	-0.65
5	ऊधमसिंहनगर	29.514	154.958	184.471	126.558	1.941	312.970	298.024	5.02
6	अल्मोड़ा	29.368	23.436	52.804	60.881	8.453	122.138	122.034	0.08
7	पिथौरागढ़	27.945	70.045	97.990	32.599	12.285	142.873	141.785	0.77
8	चम्पावत	10.816	45.042	55.857	12.525	2.916	71.298	67.090	6.27
9	बागेश्वर	13.774	7.319	21.093	33.644	3.351	58.088	55.373	4.90
10	हरिद्वार	36.847	187.371	224.218	178.330	1.989	404.536	402.925	0.40
11	चोली	28.295	17.065	45.360	35.772	2.501	83.633	79.861	4.72
12	टिहरी	17.136	6.433	23.569	82.119	3.194	108.882	102.820	5.90
13	रूद्रप्रयाग	14.214	3.322	17.537	26.793	0.655	44.984	42.934	4.78
सम्पूर्ण राज्य		341.556	832.319	1173.876	731.434	51.939	1957.249	1897.840	3.13

दूध दे रही पशुओं की अनुमानित संख्या(हजार में)

क्र०सं०	वर्ष	दूध दे रही				
		स्वदेशी गाय	क्रास ब्रीड गाय	योग गाय	भैंस	बकरी

1	2001-02	389.554	40.014	429.568	457.600	-
2	2002-03	390.591	40.597	431.188	458.892	-
3	2003-04	385.221	72.308	457.529	485.198	-
4	2004-05	393.580	75.992	469.571	493.471	-
5	2005-06	394.277	77.527	471.804	496.631	-
6	2006-07	395.237	78.894	474.132	498.340	-
7	2007-08	397.419	78.401	475.819	499.975	-
8	2008-09	396.325	83.978	480.303	498.553	-
9	2009-10	437.919	125.956	563.875	513.398	-
10	2010-11	438.917	127.496	566.413	514.412	-
11	2011-12	445.259	132.317	577.576	515.372	-
12	2012-13	457.249	142.648	599.897	529.072	-
13	2013-14	466.06	155.732	621.792	541.939	-
14	2014-15	406.968	203.386	610.354	482.754	-
15	2015-16	367.692	221.270	588.962	456.13	347.86
16	2016-17	355.063	234.237	589.300	456.378	357.509
17	2017-18	346.237	247.669	593.906	457.013	363.277
18	2018-19	341.603	261.598	603.201	455.801	361.991
19	2019-20	332.176	277.020	609.196	448.378	370.152
20	2020-21	349.588	265.932	615.520	390.682	350.470
21	2021-22	339.548	281.456	621.004	397.769	317.413
22	2022-23	343.563	284.723	628.286	385.354	323.113
23	2023-24	368.626	289.092	657.719	387.129	315.787
24	2024-25	360.000	295.370	655.370	398.810	332.350

वर्षवार कुल दुग्ध उत्पादन(हजार मी0टन)

क्र0सं0	वर्ष	स्वदेशी गाय	क्रास ब्रीड गाय	योग गाय	भैंस	बकरी	सम्पूर्ण
---------	------	-------------	-----------------	---------	------	------	----------

1	2001—02	266.170	102.300	368.470	697.750	-	1066.220
2	2002—03	270.340	104.020	374.360	705.270	-	1079.630
3	2003—04	267.634	178.276	445.910	742.432	-	1188.342
4	2004—05	269.617	184.859	454.476	740.303	-	1194.779
5	2005—06	272.096	189.210	461.307	744.222	-	1205.529
6	2006—07	273.060	192.314	465.375	747.946	-	1213.321
7	2007—08	274.928	193.513	468.441	752.299	-	1220.740
8	2008—09	275.127	205.784	480.912	749.485	-	1230.397
9	2009—10	299.587	309.418	609.005	768.213	-	1377.218
10	2010—11	300.484	314.045	614.529	768.823	-	1383.352
11	2011—12	309.401	328.857	638.258	778.629	-	1416.887
12	2012—13	322.153	355.247	677.400	800.953	-	1478.353
13	2013—14	331.866	391.342	723.208	826.940	-	1550.148
14	2014—15	292.945	516.851	809.796	755.548	-	1565.344
15	2015—16	279.680	576.064	855.745	750.882	49.106	1655.733
16	2016—17	273.074	609.400	882.474	758.937	51.006	1692.418
17	2017—18	272.470	648.449	920.919	768.692	52.064	1741.676
18	2018—19	273.047	690.305	963.352	775.620	52.990	1791.962
19	2019—20	272.597	739.866	1012.463	777.303	55.202	1844.968
20	2020—21	311.516	738.054	1049.570	694.008	53.874	1797.452
21	2021—22	306.530	730.751	1089.392	715.623	51.257	1856.272
22	2022—23	313.234	797.396	1110.630	698.329	49.590	1858.550
23	2023—24	318.856	809.253	1128.109	718.092	51.638	1897.840
24	2024—25	341.556	832.319	1173.876	731.434	51.939	1957.249

कुल अण्डा देने वाली मुर्गियों की अनुमानित संख्या वर्ष 2024-2025 (हजार में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	देशी				इम्पूब्ड			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण	ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	देहरादून	23.194	25.831	31.138	26.694	315.166	350.209	401.165	355.249
2	उत्तरकाशी	2.306	2.557	2.788	2.549	15.678	17.390	19.091	17.377
3	पौड़ी	30.615	33.917	36.144	33.545	18.839	20.961	24.724	21.489
4	नैनीताल	14.741	16.357	18.118	16.396	50.560	56.075	61.402	55.983
5	ऊधमसिंहनगर	91.189	100.966	106.028	99.362	1689.849	1876.425	2114.488	1892.330
6	अल्मोड़ा	27.083	30.145	35.865	31.002	11.438	12.717	14.756	12.960
7	पिथौरागढ़	11.832	13.133	14.645	13.195	27.147	30.086	32.359	29.851
8	चम्पावत	4.427	4.905	5.230	4.852	17.390	19.355	22.990	19.893
9	बागेश्वर	2.413	2.678	2.987	2.691	8.614	9.557	10.533	9.563
10	हरिद्वार	22.080	24.521	27.723	24.758	16.797	18.660	21.251	18.889
11	चमोली	15.446	17.185	20.250	17.612	10.146	11.233	11.778	11.049
12	टिहरी	12.428	13.772	14.761	13.648	28.242	31.304	33.779	31.094
13	रूद्रप्रयाग	0.241	0.267	0.290	0.266	14.540	16.183	19.256	16.644
सम्पूर्ण राज्य		257.995	286.233	315.967	286.570	2224.407	2470.154	2787.572	2492.370

कुल अण्डा देने वाली मुर्गियों की अनुमानित संख्या वर्ष 2024-2025 (हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	सम्पूर्ण			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	338.360	376.040	432.303	381.943
2	उत्तरकाशी	17.984	19.947	21.879	19.926
3	पौड़ी	49.454	54.878	60.868	55.034
4	नैनीताल	65.301	72.432	79.520	72.379
5	ऊधमसिंहनगर	1781.038	1977.390	2220.516	1991.692
6	अल्मोड़ा	38.521	42.862	50.621	43.962
7	पिथौरागढ़	38.979	43.219	47.004	43.046
8	चम्पावत	21.818	24.260	28.220	24.746
9	बागेश्वर	11.027	12.234	13.520	12.254
10	हरिद्वार	38.876	43.180	48.974	43.646
11	चमोली	25.592	28.418	32.028	28.660
12	टिहरी	40.670	45.076	48.540	44.742
13	रूद्रप्रयाग	14.780	16.450	19.546	16.910
सम्पूर्ण राज्य		2482.402	2756.387	3103.539	2778.941

औसत अण्डा उत्पादन प्रति मुर्गी वर्ष 2024-2025 (संख्या में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	देशी				इम्पूब्ड			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण	ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	देहरादून	42.54	42.67	37.01	121.42	72.68	73.07	66.70	211.83
2	उत्तरकाशी	38.05	38.34	36.76	113.09	67.76	68.25	65.00	200.84
3	पौड़ी	38.98	39.31	38.57	116.87	70.52	70.81	62.76	203.10
4	नैनीताल	38.25	38.51	36.35	112.99	72.31	72.84	69.55	214.54
5	ऊधमसिंहनगर	41.87	42.25	42.06	126.25	84.16	84.67	78.56	246.90
6	अल्मोड़ा	37.14	37.28	32.76	106.61	66.73	67.06	60.42	193.49
7	पिथौरागढ़	41.03	41.29	38.71	120.85	72.01	72.59	70.57	215.14
8	चम्पावत	35.90	36.20	35.50	107.62	73.25	73.53	64.72	210.36
9	बागेश्वर	40.70	40.97	38.40	119.89	71.55	72.05	68.35	211.75
10	हरिद्वार	75.15	75.60	69.92	220.20	80.21	80.67	74.06	234.33
11	चमोली	42.37	42.55	37.75	122.09	70.44	71.08	70.88	212.51
12	टिहरी	41.27	41.60	40.58	123.45	69.88	70.43	68.25	208.51
13	रूद्रप्रयाग	35.80	36.08	34.77	106.61	63.24	63.48	55.78	181.49
सम्पूर्ण राज्य		43.54	43.85	41.53	128.79	81.25	81.74	75.73	238.23

औसत अण्डा उत्पादन प्रति मुर्गी वर्ष 2024-2025 (संख्या में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	सम्पूर्ण			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	70.61	70.98	64.56	205.51
2	उत्तरकाशी	63.95	64.41	61.40	189.61
3	पौड़ी	50.99	51.34	48.40	150.54
4	नैनीताल	64.62	65.08	61.98	191.53
5	ऊधमसिंहनगर	81.99	82.51	76.82	240.88
6	अल्मोड़ा	45.93	46.12	40.83	132.22
7	पिथौरागढ़	62.60	63.08	60.64	186.24
8	चम्पावत	65.67	65.98	59.30	190.22
9	बागेश्वर	64.80	65.25	61.73	191.58
10	हरिद्वार	77.34	77.79	71.71	226.31
11	चमोली	53.50	53.83	49.93	156.95
12	टिहरी	61.14	61.62	59.83	182.57
13	रूद्रप्रयाग	62.79	63.03	55.47	180.32
सम्पूर्ण राज्य		70.61	70.98	64.56	205.51

कुल अण्डा उत्पादन वर्ष 2024-2025 (लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	देशी				इम्पूड			
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण	ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	देहरादून	9.866	11.022	11.524	32.412	229.063	255.907	267.564	752.535
2	उत्तरकाशी	0.877	0.980	1.025	2.883	10.623	11.868	12.409	34.900
3	पौड़ी	11.934	13.332	13.940	39.206	13.285	14.841	15.518	43.644
4	नैनीताल	5.639	6.300	6.587	18.525	36.558	40.843	42.703	120.104
5	ऊधमसिंहनगर	38.183	42.657	44.600	125.440	1422.141	1588.804	1661.175	4672.121
6	अल्मोड़ा	10.060	11.239	11.751	33.050	7.633	8.528	8.916	25.076
7	पिथौरागढ़	4.854	5.423	5.670	15.947	19.549	21.839	22.834	64.222
8	चम्पावत	1.590	1.776	1.857	5.222	12.738	14.231	14.879	41.848
9	बागेश्वर	0.982	1.097	1.147	3.226	6.164	6.886	7.200	20.249
10	हरिद्वार	16.594	18.538	19.383	54.515	13.473	15.052	15.737	44.262
11	चोली	6.545	7.312	7.645	21.502	7.147	7.985	8.348	23.480
12	टिहरी	5.129	5.730	5.991	16.849	19.735	22.048	23.052	64.836
13	रूद्रप्रयाग	0.086	0.096	0.101	0.283	9.195	10.273	10.741	30.209
सम्पूर्ण राज्य		112.338	125.503	131.220	369.060	1807.304	2019.105	2111.076	5937.485

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल अण्डा उत्पादन वर्ष 2024-2025 (लाख में)					
		सम्पूर्ण उत्पादन 2024-25					
		ग्रीष्म	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण उत्पादन मुर्गियों	सम्पूर्ण उत्पादन बत्तख	सम्पूर्ण उत्पादन मुर्गियों और बत्तख
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देहरादून	238.929	266.929	279.088	784.947	0.000	784.947
2	उत्तरकाशी	11.501	12.848	13.434	37.783	0.000	37.783
3	पौड़ी	25.218	28.174	29.457	82.849	0.000	82.849
4	नैनीताल	42.197	47.142	49.290	138.629	0.028	138.657
5	ऊधमसिंहनगर	1460.324	1631.461	1705.776	4797.561	3.682	4801.243
6	अल्मोड़ा	17.693	19.767	20.667	58.126	0.008	58.135
7	पिथौरागढ़	24.403	27.262	28.504	80.169	0.000	80.169
8	चम्पावत	14.328	16.007	16.736	47.070	0.000	47.070
9	बागेश्वर	7.146	7.983	8.347	23.475	0.001	23.476
10	हरिद्वार	30.067	33.590	35.120	98.777	0.000	98.777
11	चमोली	13.692	15.296	15.993	44.982	0.000	44.982
12	टिहरी	24.864	27.778	29.043	81.685	0.000	81.685
13	रूद्रप्रयाग	9.281	10.369	10.841	30.492	0.000	30.492
सम्पूर्ण राज्य		1919.642	2144.607	2242.296	6306.545	3.719	6310.264

वर्षवार अण्डा देने वाली मुर्गियों की अनुमानित संख्या (हजार में)

क्र०सं०	वर्ष	देशी	इम्पूल्ड	सम्पूर्ण
1	2001-02	208.704	234.674	443.378
2	2002-03	210.338	239.285	449.623
3	2003-04	177.483	765.975	943.458
4	2004-05	181.588	775.518	957.106
5	2005-06	184.093	778.455	962.548
6	2006-07	184.708	780.943	965.651
7	2007-08	184.625	790.566	975.192
8	2008-09	185.877	816.379	1002.256
9	2009-10	153.663	1133.220	1286.882
10	2010-11	156.770	1173.175	1329.945
11	2011-12	156.632	1206.903	1363.534
12	2012-13	168.471	1313.043	1481.513
13	2013-14	185.616	1380.198	1565.814
14	2014-15	197.030	1498.898	1695.928
15	2015-2016	210.191	1583.548	1793.739
16	2016-2017	218.995	1665.183	1884.178
16	2017-2018	228.616	1736.352	1964.969
17	2018-2019	233.229	1834.584	2067.813
18	2019-2020	243.619	1924.870	2168.489
19	2020-2021	229.580	1981.073	2210.653
20	2021-2022	245.400	2049.775	2295.175
21	2022-2023	240.384	2156.200	2396.584
22	2023-2024	286.874	2377.608	2664.482
23	2024-2025	286.570	2492.370	2778.941

वर्षवार कुल अण्डा उत्पादन (लाख में)

क्र०सं०	वर्ष	देशी	इम्पूब्ड	सम्पूर्ण
1	2001—02	340.750	552.950	893.700
2	2002—03	347.750	561.340	909.090
3	2003—04	255.206	1586.550	1841.756
4	2004—05	253.667	1611.893	1865.560
5	2005—06	251.286	1622.024	1873.311
6	2006—07	254.106	1634.562	1888.668
7	2007—08	254.761	1655.730	1910.492
8	2008—09	256.233	1705.544	1961.777
9	2009—10	182.518	2353.195	2535.173
10	2010—11	178.182	2435.663	2613.845
11	2011—12	176.256	2535.665	2711.921
12	2012—13	189.260	2889.906	3079.167
13	2013—14	208.402	3161.339	3369.741
14	2014—15	219.390	3478.039	3697.429
15	2015—2016	234.070	3672.444	3906.514
16	2016—2017	245.356	3873.762	4119.117
16	2017—2018	257.574	4039.979	4297.553
17	2018—2019	262.601	4269.226	4531.827
18	2019—2020	274.911	4511.389	4786.300
19	2020—2021	261.324	4662.812	4924.136
20	2021—2022	280.451	4856.513	5136.963
21	2022-2023	273.918	5139.097	5413.015
22	2023-2024	354.970	5585.810	5940.780
23	2024-2025	372.779	5937.485	6310.264

कुल ऊन उतारी गयी भेड़ों की अनुमानित संख्या वर्ष 2024-2025 (हजार में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	मेंढा/खस्सी			भेड़		
		वर्षा	शरद	सम्पूर्ण	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देहरादून	1.277	1.300	1.288	2.609	2.841	2.725
2	उत्तरकाशी	3.152	3.296	3.224	47.994	54.371	51.182
3	पौड़ी	2.547	2.449	2.498	7.090	6.610	6.850
4	नैनीताल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	ऊधमसिंहनगर	0.161	0.133	0.147	1.061	1.252	1.156
6	अल्मोड़ा	0.637	0.567	0.602	0.872	1.061	0.966
7	पिथौरागढ़	4.131	4.176	4.154	24.220	26.334	25.277
8	चम्पावत	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	बागेश्वर	1.539	1.557	1.548	11.313	12.365	11.839
10	हरिद्वार	0.474	0.458	0.466	2.578	2.597	2.587
11	चमोली	13.998	13.395	13.696	34.257	34.302	34.279
12	टिहरी	3.809	3.726	3.768	7.990	10.575	9.283
13	रूद्रप्रयाग	1.683	1.535	1.609	7.234	8.476	7.855
सम्पूर्ण राज्य		33.408	32.592	33.000	147.217	160.783	154.000

कुल ऊन उतारी गयी भेड़ों की अनुमानित संख्या वर्ष 2024-2025 (हजार में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	मेमना			कुल भेड़		
		वर्षा	शरद	सम्पूर्ण	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देहरादून	1.045	1.120	1.082	4.931	5.261	5.096
2	उत्तरकाशी	18.465	17.674	18.070	69.611	75.341	72.476
3	पौड़ी	1.197	3.045	2.121	10.834	12.104	11.469
4	नैनीताल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	ऊधमसिंहनगर	0.285	0.383	0.334	1.507	1.768	1.637
6	अल्मोड़ा	0.285	0.314	0.299	1.794	1.942	1.868
7	पिथौरागढ़	5.824	8.009	6.917	34.175	38.519	36.347
8	चम्पावत	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	बागेश्वर	3.751	3.757	3.754	16.602	17.678	17.140
10	हरिद्वार	0.987	0.771	0.879	4.039	3.826	3.933
11	चमोली	13.549	18.057	15.803	61.805	65.753	63.779
12	टिहरी	5.735	3.641	4.688	17.534	17.943	17.739
13	रूद्रप्रयाग	1.838	2.266	2.052	10.755	12.277	11.516
सम्पूर्ण राज्य		52.963	59.037	56.000	233.589	252.411	243.000

प्रति भेड़ वार्षिक ऊन उत्पादन (कि०ग्रा० में) 2024-2025

क्र० सं०	जनपद का नाम	मेंढा / खरसी			भेड़		
		वर्षा	शरद	सम्पूर्ण	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देहरादून	1.049	1.077	2.126	1.012	1.059	2.073
2	उत्तरकाशी	1.283	1.313	2.597	1.107	1.170	2.281
3	पौड़ी	0.823	0.853	1.675	0.793	0.806	1.598
4	नैनीताल	-	-	-	-	-	-
5	ऊधमसिंहनगर	0.929	0.945	1.872	0.912	0.924	1.838
6	अल्मोड़ा	1.059	1.061	2.120	1.098	1.111	2.211
7	पिथौरागढ़	1.250	1.372	2.623	1.177	1.375	2.560
8	चम्पावत	-	-	-	-	-	-
9	बागेश्वर	1.413	1.313	2.726	1.277	1.217	2.491
10	हरिद्वार	0.929	0.951	1.880	0.915	0.930	1.845
11	चमोली	1.181	1.283	2.461	1.070	1.084	2.154
12	टिहरी	1.088	1.101	2.188	1.028	1.069	2.102
13	रूद्रप्रयाग	0.820	0.792	1.614	0.921	0.840	1.755
सम्पूर्ण राज्य		1.142	1.204	2.345	1.088	1.142	2.232

प्रति भेड़ वार्षिक ऊन उत्पादन (कि०ग्रा० में) 2024-2025

क्र० सं०	जनपद का नाम	मेमना			कुल भेड़		
		वर्षा	शरद	सम्पूर्ण	वर्षा	शरद	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देहरादून	0.416	0.435	0.852	0.895	0.931	1.827
2	उत्तरकाशी	0.454	0.454	0.908	0.942	1.008	1.953
3	पौड़ी	0.420	0.427	0.850	0.759	0.720	1.476
4	नैनीताल	-	-	-	-	-	-
5	ऊधमसिंहनगर	0.419	0.435	0.856	0.821	0.820	1.640
6	अल्मोड़ा	0.412	0.419	0.831	0.975	0.984	1.960
7	पिथौरागढ़	0.430	0.446	0.879	1.058	1.182	2.247
8	चम्पावत	-	-	-	-	-	-
9	बागेश्वर	0.405	0.417	0.822	1.092	1.055	2.147
10	हरिद्वार	0.424	0.429	0.853	0.797	0.832	1.627
11	चमोली	0.444	0.460	0.906	0.958	0.953	1.911
12	टिहरी	0.441	0.440	0.881	0.849	0.948	1.798
13	रूद्रप्रयाग	0.324	0.441	0.777	0.803	0.760	1.561
सम्पूर्ण राज्य		0.437	0.449	0.886	0.948	0.988	1.937

कुल अनुमानित ऊन उत्पादन(हजार कि०ग्रा० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	वर्ष 2024-2025			गत वर्ष 2023-24
		वर्षा	शरद	सम्पूर्ण	सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	4.415	4.897	9.312	9.067
2	उत्तरकाशी	65.555	75.966	141.521	139.604
3	पौड़ी	8.219	8.713	16.932	16.535
4	नैनीताल	0.000	0.000	0.000	0.000
5	ऊधमसिंहनगर	1.236	1.450	2.686	2.642
6	अल्मोड़ा	1.750	1.912	3.662	3.549
7	पिथौरागढ़	36.170	45.515	81.685	80.083
8	चम्पावत	0.000	0.000	0.000	0.000
9	बागेश्वर	18.137	18.659	36.796	36.129
10	हरिद्वार	3.218	3.182	6.400	6.289
11	चमोली	59.205	62.664	121.869	118.907
12	टिहरी	14.889	17.003	31.892	31.168
13	रूद्रप्रयाग	8.640	9.335	17.975	17.627
सम्पूर्ण राज्य		221.436	249.294	470.730	461.600

वर्षवार ऊन उतारी गयी भेड़ों की अनुमानित संख्या (हजार में)					
क्र० सं०	वर्ष	मेढा / खस्सी	भेड	मेमना	सम्पूर्ण
1	2001-02	75.143	201.446	65.046	341.635
2	2002-03	75.396	202.019	77.606	355.021
3	2003-04	43.650	154.618	69.613	267.881
4	2004-05	45.967	158.597	64.957	269.522
5	2005-06	47.956	160.751	61.194	269.901
6	2006-07	47.052	161.184	61.763	269.999
7	2007-08	47.837	161.176	63.373	272.387
8	2008-09	48.790	161.950	67.517	278.257
9	2009-10	38.803	162.980	55.164	256.947
10	2010-11	38.548	161.573	54.618	254.739
11	2011-12	38.648	161.483	56.077	256.208
12	2012-13	42.924	172.166	61.040	276.129
13	2013-14	49.832	186.463	66.874	302.169
14	2014-15	55.069	200.361	53.827	309.258
15	2015-16	60.590	212.736	68.253	341.579
16	2016-17	63.920	221.788	71.793	357.501
17	2017-18	65.933	230.073	75.595	371.601
18	2018-19	64.416	221.459	73.432	359.308
19	2019-20	57.066	194.100	64.487	315.653
20	2020-21	34.676	163.495	66.476	264.646
21	2021-22	34.627	163.375	66.463	264.465
22	2022-23	35.493	163.249	63.446	262.188
23	2023-24	31.067	153.899	60.098	245.064
24	2024-25	33.000	154.000	56.000	243.000

वर्षवार कुल ऊन उत्पादन (हजार कि०ग्रा० में)					
क्र०सं०	वर्ष	मेढा/खस्सी	भेड	मेमना	सम्पूर्ण
1	2001-02	112.172	272.244	42.054	426.470
2	2002-03	114.370	281.473	48.823	444.666
3	2003-04	70.524	225.848	45.956	342.328
4	2004-05	74.283	232.570	41.948	348.801
5	2005-06	76.188	236.738	39.947	352.872
6	2006-07	76.699	237.820	40.922	355.441
7	2007-08	78.036	238.246	43.834	360.117
8	2008-09	79.743	240.241	47.995	367.979
9	2009-10	63.477	250.874	38.856	353.207
10	2010-11	64.874	259.187	38.141	362.202
11	2011-12	66.484	264.527	39.518	370.53
12	2012-13	73.851	283.087	42.999	399.937
13	2013-14	85.941	307.325	46.902	440.167
14	2014-15	96.690	333.459	38.776	468.926
15	2015-16	107.613	356.082	49.638	513.333
16	2016-17	113.923	371.723	52.599	538.245
17	2017-18	119.182	389.163	55.726	564.070
18	2018-19	117.750	379.742	54.491	551.982
19	2019-20	106.345	341.696	48.645	496.686
20	2020-21	72.365	312.161	51.485	436.012
21	2021-22	73.562	317.326	52.337	443.225
22	2022-23	76.388	324.894	50.438	451.720
23	2023-24	72.197	337.804	51.600	461.600
24	2024-25	77.390	343.720	49.620	470.730

बध किये गये पशुओं की संख्या ग्रीष्म 2024-25 (हजार में)						
क्र०सं०	जनपद का नाम	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	0.000	10.575	12.650	1.375	441.837
2	उत्तरकाशी	0.000	2.061	12.966	0.018	27.992
3	पौड़ी	0.000	5.541	23.396	0.050	170.703
4	नैनीताल	1.403	0.167	3.739	0.226	566.507
5	ऊधमसिंहनगर	0.675	1.101	9.263	4.004	1079.794
6	अल्मोड़ा	0.196	0.115	9.745	0.436	39.708
7	पिथौरागढ़	0.000	0.247	7.513	0.041	86.841
8	चम्पावत	0.000	0.000	5.077	0.083	100.029
9	बागेश्वर	0.000	0.140	3.679	0.018	46.245
10	हरिद्वार	0.000	0.000	0.000	0.000	49.130
11	चमोली	0.000	3.189	5.187	0.097	38.765
12	टिहरी	0.000	0.349	8.795	0.197	36.080
13	रूद्रप्रयाग	0.000	2.096	8.699	0.103	30.718
सम्पूर्ण राज्य		2.274	25.581	110.709	6.648	2714.349

बध किये गये पशुओं की संख्या वर्षा 2024-25 (हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	0.000	14.150	16.815	1.834	589.356
2	उत्तरकाशी	0.000	2.750	17.229	0.023	37.010
3	पौड़ी	0.000	7.415	31.104	0.066	226.255
4	नैनीताल	1.879	0.223	4.980	0.302	761.500
5	ऊधमसिंहनगर	0.902	1.469	12.369	5.354	1450.605
6	अल्मोड़ा	0.260	0.154	12.935	0.579	52.981
7	पिथौरागढ़	0.000	0.328	9.988	0.056	115.537
8	चम्पावत	0.000	0.000	6.801	0.111	105.893
9	बागेश्वर	0.000	0.187	4.883	0.024	61.906
10	हरिद्वार	0.000	0.000	0.000	0.000	91.462
11	चमोली	0.000	4.220	6.888	0.129	51.675
12	टिहरी	0.000	0.463	11.741	0.262	48.147
13	रूद्रप्रयाग	0.000	2.810	11.515	0.138	41.066
सम्पूर्ण राज्य		3.041	34.169	147.249	8.878	3633.392

बध किये गये पशुओं की संख्या शरद 2024-25 (हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	0.000	15.708	17.641	1.979	637.450
2	उत्तरकाशी	0.000	2.983	18.028	0.023	37.005
3	पौड़ी	0.000	8.248	32.693	0.067	231.416
4	नैनीताल	2.103	0.245	5.318	0.337	877.651
5	ऊधमसिंहनगर	0.997	1.586	13.506	5.916	1683.999
6	अल्मोड़ा	0.265	0.173	13.407	0.611	57.440
7	पिथौरागढ़	0.000	0.343	10.500	0.064	102.222
8	चम्पावत	0.000	0.000	7.630	0.118	106.642
9	बागेश्वर	0.000	0.204	5.050	0.026	69.003
10	हरिद्वार	0.000	0.000	0.000	0.000	92.008
11	चमोली	0.000	4.253	7.171	0.131	55.588
12	टिहरी	0.000	0.485	12.781	0.278	52.274
13	रूद्रप्रयाग	0.000	3.171	11.646	0.151	45.272
सम्पूर्ण राज्य		3.365	37.399	155.370	9.701	4047.969

बध किये गये पशुओं की संख्या वर्ष 2024-25 (हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	0.000	40.433	47.106	5.188	1668.643
2	उत्तरकाशी	0.000	7.794	48.223	0.064	102.007
3	पौड़ी	0.000	21.204	87.193	0.183	628.373
4	नैनीताल	5.385	0.634	14.037	0.865	2205.657
5	ऊधमसिंहनगर	2.574	4.156	35.138	15.274	4214.399
6	अल्मोड़ा	0.721	0.441	36.087	1.626	150.129
7	पिथौरागढ़	0.000	0.918	28.001	0.161	304.600
8	चम्पावत	0.000	0.000	19.508	0.312	312.564
9	बागेश्वर	0.000	0.531	13.613	0.068	177.154
10	हरिद्वार	0.000	0.000	0.000	0.000	232.600
11	चमोली	0.000	11.663	19.246	0.358	146.027
12	टिहरी	0.000	1.297	33.317	0.737	136.500
13	रूद्रप्रयाग	0.000	8.078	31.860	0.392	117.056
सम्पूर्ण राज्य		8.681	97.148	413.329	25.227	10395.709

प्रति पशु औसत मांस उत्पादन ग्रीष्म 2024 (कि०ग्रा०)

क्र०सं०	जनपद का नाम	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	-	17.086	17.714	48.754	1.380
2	उत्तरकाशी	-	14.629	14.042	49.679	1.282
3	पौड़ी	-	19.430	17.449	49.271	1.377
4	नैनीताल	124.291	13.903	12.797	51.698	1.594
5	ऊधमसिंहनगर	146.526	17.295	15.488	51.590	1.632
6	अल्मोड़ा	129.456	14.716	12.694	46.488	1.527
7	पिथौरागढ़	-	14.457	14.269	54.534	1.238
8	चम्पावत	-	-	13.515	48.493	1.127
9	बागेश्वर	-	16.587	16.568	48.219	1.474
10	हरिद्वार	-	-	-	-	1.649
11	चमोली	-	17.427	16.966	44.843	1.241
12	टिहरी	-	17.992	15.880	54.239	1.262
13	रूद्रप्रयाग	-	16.527	16.363	50.935	1.766
सम्पूर्ण राज्य		131.335	17.354	15.682	50.590	1.519

प्रति पशु औसत मांस उत्पादन वर्षा 2024 (कि०ग्रा०)

क्र०सं०	जनपद का नाम	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	-	16.932	17.670	48.475	1.372
2	उत्तरकाशी	-	14.537	11.690	49.755	1.286
3	पौड़ी	-	19.249	17.401	49.309	1.377
4	नैनीताल	123.040	13.794	12.739	51.204	1.572
5	ऊधमसिंहनगर	145.277	17.195	18.612	51.152	1.610
6	अल्मोड़ा	129.581	14.562	12.680	46.343	1.518
7	पिथौरागढ़	-	14.425	14.230	53.849	1.234
8	चम्पावत	-	-	13.376	48.314	1.411
9	बागेश्वर	-	16.476	16.553	48.050	1.459
10	हरिद्वार	-	-	-	-	1.175
11	चमोली	-	17.461	16.939	44.885	1.234
12	टिहरी	-	17.953	15.773	54.039	1.254
13	रूद्रप्रयाग	-	16.344	16.389	50.545	1.752
सम्पूर्ण राज्य		130.196	17.226	15.633	50.227	1.505

प्रति पशु औसत मांस उत्पादन शरद 2024-25 (कि०ग्रा०)

क्र०सं०	जनपद का नाम	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	-	15.649	17.281	46.094	1.364
2	उत्तरकाशी	-	13.750	13.739	50.454	1.319
3	पौड़ी	-	17.757	16.987	49.662	1.381
4	नैनीताल	112.768	12.878	12.239	47.123	1.400
5	ऊधमसिंहनगर	134.869	16.334	14.451	47.499	1.459
6	अल्मोड़ा	130.724	13.298	12.551	45.069	1.436
7	पिथौरागढ़	-	14.136	13.889	48.356	0.844
8	चम्पावत	-	-	12.234	46.747	1.063
9	बागेश्वर	-	15.535	16.420	46.576	1.343
10	हरिद्वार	-	-	-	-	1.198
11	चमोली	-	17.776	16.694	45.267	1.177
12	टिहरी	-	17.607	14.866	52.296	1.185
13	रूद्रप्रयाग	-	14.860	16.627	47.267	1.630
सम्पूर्ण राज्य		120.729	16.148	15.202	47.166	1.386

प्रति पशु औसत मांस उत्पादन वर्ष 2024-25 (कि०ग्रा०)

क्र०सं०	जनपद का नाम	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	-	16.474	17.536	47.641	1.371
2	उत्तरकाशी	-	14.260	13.088	49.990	1.297
3	पौड़ी	-	18.716	17.259	49.428	1.378
4	नैनीताल	119.354	13.469	12.565	49.743	1.509
5	ऊधमसिंहनगर	141.573	16.893	16.189	49.852	1.555
6	अल्मोड़ा	129.966	14.107	12.636	45.903	1.489
7	पिथौरागढ़	-	14.326	14.112	51.852	1.105
8	चम्पावत	-	-	12.965	47.771	1.201
9	बागेश्वर	-	16.144	16.508	47.540	1.418
10	हरिद्वार	-	-	-	-	1.284
11	चमोली	-	17.567	16.855	45.014	1.214
12	टिहरी	-	17.834	15.453	53.435	1.229
13	रूद्रप्रयाग	-	15.809	16.469	49.384	1.709
सम्पूर्ण राज्य		126.824	16.845	15.484	49.146	1.462

कुल मांस उत्पादन ग्रीष्म 2024 (लाख कि०ग्रा०)

क्र० सं०	जनपद का नाम	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देहरादून	0.000	1.807	2.241	0.670	6.098	10.816
2	उत्तरकाशी	0.000	0.302	1.821	0.009	0.359	2.490
3	पौड़ी	0.000	1.077	4.082	0.025	2.350	7.533
4	नैनीताल	1.744	0.023	0.478	0.117	9.029	11.391
5	ऊधमसिंहनगर	0.989	0.190	1.435	2.066	17.619	22.298
6	अल्मोड़ा	0.254	0.017	1.237	0.202	0.607	2.317
7	पिथौरागढ़	0.000	0.036	1.072	0.023	1.075	2.206
8	चम्पावत	0.000	0.000	0.686	0.040	1.127	1.854
9	बागेश्वर	0.000	0.023	0.610	0.009	0.681	1.323
10	हरिद्वार	0.000	0.000	0.000	0.000	0.810	0.810
11	चमोली	0.000	0.556	0.880	0.044	0.481	1.960
12	टिहरी	0.000	0.063	1.397	0.107	0.455	2.021
13	रूद्रप्रयाग	0.000	0.346	1.423	0.053	0.543	2.365
सम्पूर्ण राज्य		2.987	4.439	17.362	3.363	41.234	69.385

कुल मांस उत्पादन वर्षा 2024 (लाख कि०ग्रा०)

क्र० सं०	जनपद का नाम	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देहरादून	0.000	2.396	2.971	0.889	8.085	14.341
2	उत्तरकाशी	0.000	0.400	2.014	0.012	0.476	2.901
3	पौड़ी	0.000	1.427	5.413	0.032	3.116	9.988
4	नैनीताल	2.312	0.031	0.634	0.155	11.971	15.103
5	ऊधमसिंहनगर	1.311	0.253	2.302	2.739	23.361	29.965
6	अल्मोड़ा	0.337	0.022	1.640	0.268	0.804	3.072
7	पिथौरागढ़	0.000	0.047	1.421	0.030	1.426	2.924
8	चम्पावत	0.000	0.000	0.910	0.054	1.495	2.458
9	बागेश्वर	0.000	0.031	0.808	0.012	0.904	1.754
10	हरिद्वार	0.000	0.000	0.000	0.000	1.074	1.074
11	चमोली	0.000	0.737	1.167	0.058	0.638	2.599
12	टिहरी	0.000	0.083	1.852	0.142	0.604	2.680
13	रूद्रप्रयाग	0.000	0.459	1.887	0.070	0.719	3.136
सम्पूर्ण राज्य		3.960	5.886	23.020	4.459	54.672	91.997

कुल मांस उत्पादन शरद 2024-2025 (लाख कि०ग्रा०)

क्र० सं०	जनपद का नाम	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देहरादून	0.000	2.458	3.048	0.912	8.696	15.114
2	उत्तरकाशी	0.000	0.410	2.477	0.012	0.488	3.387
3	पौड़ी	0.000	1.465	5.553	0.033	3.197	10.248
4	नैनीताल	2.372	0.032	0.651	0.159	12.283	15.496
5	ऊधमसिंहनगर	1.345	0.259	1.952	2.810	24.568	30.934
6	अल्मोड़ा	0.346	0.023	1.683	0.275	0.825	3.152
7	पिथौरागढ़	0.000	0.049	1.458	0.031	0.863	2.401
8	चम्पावत	0.000	0.000	0.933	0.055	1.133	2.122
9	बागेश्वर	0.000	0.032	0.829	0.012	0.927	1.800
10	हरिद्वार	0.000	0.000	0.000	0.000	1.102	1.102
11	चमोली	0.000	0.756	1.197	0.059	0.654	2.667
12	टिहरी	0.000	0.085	1.900	0.145	0.619	2.750
13	रूद्रप्रयाग	0.000	0.471	1.936	0.071	0.738	3.217
सम्पूर्ण राज्य		4.063	6.039	23.619	4.575	56.094	94.391

कुल मांस उत्पादन वर्ष 2024-2025 (लाख कि०ग्रा०)

क्र.सं.	जनपद का नाम	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट	कुल सम्पूर्ण योग 2022-23	गत वर्ष 2021-22 सम्पूर्ण	वृद्धि / ह्रास का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7
1	देहरादून	0.000	6.895	7.103	2.554	17.178	33.729	21.810	54.65
2	उत्तरकाशी	0.000	1.105	5.887	0.033	0.922	7.947	2.714	192.88
3	पौड़ी	0.000	3.950	13.723	0.093	6.024	23.790	26.739	-11.03
4	नैनीताल	6.821	0.089	1.594	0.456	23.558	32.518	30.828	5.48
5	ऊधमसिंह नगर	3.796	0.715	4.904	8.331	50.358	68.104	54.636	24.65
6	अल्मोड़ा	0.986	0.065	4.162	0.811	1.616	7.639	10.873	-29.75
7	पिथौरागढ़	0.000	0.138	3.455	0.083	2.765	6.441	10.247	-37.14
8	चम्पावत	0.000	0.000	2.242	0.157	2.819	5.219	5.053	3.27
9	बागेश्वर	0.000	0.089	2.132	0.034	1.870	4.125	4.762	-13.37
10	हरिद्वार	0.000	0.000	0.000	0.000	2.205	2.205	2.204	0.06
11	चमोली	0.000	2.091	2.852	0.172	1.240	6.356	5.465	16.28
12	टिहरी	0.000	0.233	4.745	0.400	1.281	6.658	3.495	90.47
13	रूद्रप्रयाग	0.000	1.351	4.604	0.214	1.514	7.684	5.444	41.14
सम्पूर्ण राज्य		11.603	16.721	57.403	13.338	113.350	212.414	184.269	15.27

वर्षवार प्रति पशु औसत मांस उत्पादन (कि०ग्रा० में)

क्र०सं०	वर्ष	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट
1	2002-03	124.727	15.178	14.581	49.324	0.000
2	2003-04	125.270	15.240	14.811	48.333	0.000
3	2004-05	126.085	15.369	14.773	48.451	0.000
4	2005-06	124.791	15.250	14.809	48.150	0.000
5	2006-07	124.833	15.260	14.832	48.246	0.000
6	2007-08	125.085	15.250	14.767	47.548	0.000
7	2008-09	125.231	14.993	14.682	47.556	1.050
8	2009-10	124.970	15.102	14.737	47.410	1.063
9	2010-11	124.770	15.236	14.862	46.714	1.074
10	2011-12	125.106	15.208	14.889	46.602	1.100
11	2012-13	124.777	15.267	14.989	46.277	1.026
12	2013-14	123.724	15.332	14.924	46.166	1.053
13	2014-15	124.450	15.646	14.995	46.793	1.111
14	2015-16	123.418	15.366	15.125	46.308	1.112
15	2016-17	123.361	15.388	15.256	46.663	1.144
16	2017-18	123.442	15.381	15.280	46.763	1.154
17	2018-19	124.217	15.402	15.312	46.793	1.172
18	2019-20	124.777	15.370	15.248	46.855	1.193
19	2020-21	124.072	15.630	15.134	46.957	1.221
20	2021-22	124.406	15.661	15.177	47.258	1.246

21	2022—23	125.671	15.659	15.305	47.070	1.287
22	2023—24	129.874	16.531	14.635	48.589	1.458
23	2024—25	126.824	16.845	15.484	49.146	1.462

वर्षवार कुल मांस उत्पादन (लाख कि०ग्रा० में)

क्र०सं०	वर्ष	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	कुक्कुट	कुल योग
1	2001—02	20.084	13.692	34.679	9.558	0.000	78.013
2	2002—03	21.604	13.956	35.483	9.920	0.000	80.963
3	2003—04	13.588	13.789	34.334	10.597	0.000	72.308
4	2004—05	11.611	13.371	26.905	6.265	0.000	58.153
5	2005—06	14.695	12.684	26.855	7.686	0.000	61.921
6	2006—07	18.063	13.191	30.749	11.301	0.000	73.304
7	2007—08	21.497	13.529	29.914	12.982	0.000	77.922
8	2008—09	26.699	17.073	29.756	11.999	10.604	96.131
9	2009—10	30.003	16.235	29.181	12.182	11.033	98.634
10	2010—11	44.890	17.063	46.032	21.928	12.500	142.413
11	2011—12	43.817	18.112	54.388	23.007	18.171	157.495
12	2012—13	41.547	20.672	79.520	24.660	49.338	215.738
13	2013—14	40.802	18.949	85.679	27.739	63.407	236.575
14	2014—15	39.391	20.500	88.201	31.100	81.200	260.391
15	2015—16	40.490	21.621	96.744	31.344	85.814	276.013
16	2016—17	40.099	22.219	101.496	31.581	88.645	284.040
17	2017—18	42.279	22.862	105.788	31.894	91.646	294.469
18	2018—19	30.336	23.229	110.249	33.051	94.982	291.847
19	2019—20	8.235	20.451	95.767	30.224	97.926	252.604
20	2020—21	7.530	14.092	50.907	18.212	95.087	185.829
21	2021—22	8.103	7.535	44.657	4.902	119.072	184.270
22	2022—23	11.603	16.721	57.403	13.338	113.350	212.414
23	2023—24	12.379	17.473	58.599	12.754	144.396	245.600
24	2024—25	11.009	16.365	64.000	12.398	152.000	255.772

**उत्तराखण्ड की पशुधन संख्या का भारत की पशुधन संख्या से तुलनात्मक अध्ययन
(वर्ष 2019 के अनुसार)**

क्रम सं०	मद	उत्तराखण्ड	भारत	राज्य का अंश (प्रतिशत में)
1	गोवंशीय			
	क्रास ब्रीड	576820	51356405	1.12
	स्वदेशी	1275303	142106466	0.90
	कुल गोवंशीय	1852123	193462871	0.96
2	महिषवंशीय	866318	109851678	0.79
3	भेड़	284615	74260615	0.38
4	बकरी	1371971	148884786	0.92
5	सूकर	17659	9055488	0.20
6	घोड़े तथा टट्टू	7452	342226	2.18
7	खच्चर	26293	84261	31.20
8	गधा	589	123587	0.48
9	याक	54	57570	0.09
10	ऊँट	15	251956	0.01
11	मिथुन	0	386305	0.00
12	कुत्ता	231288	9434039	2.45
13	खरगोश	4628	549941	0.84
15	कुल पशुधन (कुत्ता, हाथी तथा खरगोश को छोड़कर)	4427089	536761343	0.82
16	कुल पशुधन (कुत्ता, हाथी तथा खरगोश को सम्मिलित करते हुए)	4663005	546745323	0.85
17	कुल कुक्कुट	5018684	851809931	0.59

राज्य का देश के कुल दुग्ध उत्पादन में अंशदान (वर्ष 2001-02 से 2024-25 तक)

क्रम सं०	वर्ष	दुग्ध उत्पादन (हजार मी०टन)		राज्य का अंश (प्रतिशत में)
		उत्तराखण्ड	भारत	
1	2001-02	1066	84406	1.26
2	2002-03	1079	86159	1.25
3	2003-04	1188	88082	1.35
4	2004-05	1195	92484	1.29
5	2005-06	1206	97066	1.24
6	2006-07	1213	102580	1.18
7	2007-08	1221	107934	1.13
8	2008-09	1230	112183	1.10
9	2009-10	1377	116425	1.18
10	2010-11	1383	121848	1.14
11	2011-12	1416.887	127904	1.11
12	2012-13	1478.353	132430.59	1.12
13	2013-14	1550.15	137685.89	1.13
14	2014-15	1565.35	146313.55	1.07
15	2015-16	1655.73	155490.51	1.06
16	2016-17	1692.42	165404.38	1.02
17	2017-18	1741.676	176347.35	0.99
18	2018-19	1791.962	187749.46	0.95
19	2019-20	1844.968	198439.76	0.93
20	2020-21	1797.452	209959.88	0.86
21	2021-22	1856.272	221063.5	0.84
23	2023-24	1897.840	239298.99	0.79

24	2024-25	1957.250	247869.98	0.79
----	---------	----------	-----------	------

राज्य का देश के कुल अण्डा उत्पादन में अंशदान (वर्ष 2001-02 से 2024-25 तक)

क्रम सं०	वर्ष	अण्डा उत्पादन(लाख में)		राज्य का अंश (प्रतिशत में)
		उत्तराखण्ड	भारत	
1	2001-02	894	387288	0.23
2	2002-03	909	398228	0.23
3	2003-04	1842	404031	0.46
4	2004-05	1866	452009	0.41
5	2005-06	1873	462307	0.41
6	2006-07	1889	506630	0.37
7	2007-08	1911	535650	0.36
8	2008-09	1962	555624	0.35
9	2009-10	2536	602671	0.42
10	2010-11	2614	630244	0.41
11	2011-12	2711.921	664499	0.41
12	2012-13	3079.167	697307.17	0.44
13	2013-14	3369.741	747518.75	0.45
14	2014-15	3697.420	784838.68	0.47
15	2015-16	3906.514	829294.37	0.47
16	2016-17	4119.117	881369.56	0.47
17	2017-18	4297.553	952169.98	0.45
18	2018-19	4531.827	1038038.93	0.44
19	2019-20	4786.300	1143831.01	0.42
20	2020-21	4924.136	1220486.44	0.40
21	2021-22	5136.963	1296003.08	0.40
22	2022-23	5413.015	1383762.78	0.39
23	2023-24	5940.780	1427716.03	0.42

24	2024-25	6310.260	1491114.25	0.42
----	---------	----------	------------	------

राज्य का देश के कुल ऊन उत्पादन में अंशदान (वर्ष 2001-02 से 2024-25 तक)

क्रम सं०	वर्ष	ऊन उत्पादन (हजार कि०ग्रा० में)		राज्य का अंश (प्रतिशत में)
		उत्तराखण्ड	भारत	
1	2001-02	7.80	1921.83	0.41
2	2002-03	8.10	2113.21	0.38
3	2003-04	7.231	2080	0.35
4	2004-05	5.815	2211	0.26
5	2005-06	6.192	2310	0.27
6	2006-07	7	2302	0.30
7	2007-08	8	4009	0.20
8	2008-09	9.6	4280	0.22
9	2009-10	9.9	4566	0.22
10	2010-11	14.242	4869	0.29
11	2011-12	15.750	5514	0.29
12	2012-13	21.574	5948.17	0.36
13	2013-14	23.64	6235.48	0.38
14	2014-15	26.03	6691.07	0.39
15	2015-16	27.60	7019.96	0.39
16	2016-17	28.404	7385.61	0.38
17	2017-18	29.447	7655.63	0.38
18	2018-19	29.185	8114.45	0.36
19	2019-20	25.260	8599.97	0.29
20	2020-21	18.583	8797.91	0.21

21	2021-22	18.427	9292.13	0.20
22	2022-23	21.241	9768.64	0.22
23	2023-24	24.560	10252.65	0.24
24	2024-25	25.577	10504.54	0.24

राज्य का देश के कुल मांस उत्पादन में अंशदान (वर्ष 2001-02 से 2024-25 तक)

क्रम सं०	वर्ष	मांस उत्पादन (हजार टन)		राज्य का अंश (प्रतिशत में)
		उत्तराखण्ड	भारत	
1	2001-02	7.80	1921.83	0.41
2	2002-03	8.10	2113.21	0.38
3	2003-04	7.231	2080	0.35
4	2004-05	5.815	2211	0.26
5	2005-06	6.192	2310	0.27
6	2006-07	7	2302	0.30
7	2007-08	8	4009	0.20
8	2008-09	9.6	4280	0.22
9	2009-10	9.9	4566	0.22
10	2010-11	14.242	4869	0.29
11	2011-12	15.750	5514	0.29
12	2012-13	21.574	5948.17	0.36
13	2013-14	23.64	6235.48	0.38
14	2014-15	26.03	6691.07	0.39
15	2015-16	27.60	7019.96	0.39
16	2016-17	28.404	7385.61	0.38
17	2017-18	29.447	7655.63	0.38
18	2018-19	29.185	8114.45	0.36
19	2019-20	25.260	8599.97	0.29
20	2020-21	18.583	8797.91	0.21
21	2021-22	18.427	9292.13	0.20
22	2022-23	21.241	9768.64	0.22
23	2023-24	24.560	10252.65	0.24

24	2024–25	25.577	10504.54	0.24
----	---------	--------	----------	------

उत्तराखण्ड 2025 –26 हेतु पशु सेवा सम्बन्धी जनपदवार सूचना।

(वर्ष 2025–26)

क्र.सं.	जनपद /मद	पशु चिकित्सालय	डी श्रेणी पशु औषधालय	पशुसेवा केन्द्र	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	पशु प्रजनन फार्म	अश्व, गर्धभ एवं खच्चर प्रजनन केन्द्र	अंगोरो शशक प्रक्षेत्र	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र / मेड़ा केन्द्र	सूकर प्रक्षेत्र	पोल्ट्री प्रक्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उत्तरकाशी	25	0	45	52	0	0	0	1	25	0	0
2	चमोली	24	0	46	33	1	0	1	1	21	0	1
3	टिहरी गढ़वाल	38	0	91	74	0	0	0	0	9	0	0
4	पौड़ी गढ़वाल	40	1	109	89	0	0	0	0	8	0	1
5	रूद्रप्रयाग	15	0	40	32	0	0	0	0	10	0	0
6	देहरादून	30	2	48	72	2	0	0	0	10	1	1
7	हरिद्वार	16	2	37	56	0	0	0	0	0	0	1
8	पिथौरागढ़	31	0	62	56	0	0	0	0	18	0	1
9	अल्मोड़ा	38	1	78	94	0	0	0	0	3	0	1
10	नैनीताल	28	1	96	111	0	0	0	0	0	0	0
11	बागेश्वर	11	1	33	31	0	0	0	0	9	0	0
12	चम्पावत	15	0	21	34	1	0	1	0	0	0	0
13	ऊधमसिंह नगर	22	2	71	97	0	0	0	0	0	1	1
कुल राज्य		333	10	777	831	4	0	2	2	113	2	7

वर्ष 2024-25 के जनपदवार टीकाकरण के आकड़े

Vaccination Year 2024-25

Serial Number म. संख्या	Name of District जनपद का नाम	Foot and Mouth disease (F.M.D)/ खुरपका मुँहपका रोग	Haemorrhagic Septecemia (H.S.) / गला घोटू रोग	Black Quarter (B.Q.)/ लंगडिया बुखार	Pestes des petitis Ruminants (P.P.R.)/ पीपीआर	Anti Rabies Vaccine (A.R.V.)/ एण्टी रेबीज वैक्सीन	Ranikhet Disease (R.D.)/ रानीखेत डिजीज	Fowl Pox (F.P.)/ फॉउल पोक्स	LSD/ लम्पी रोग	Brucella /ब्रुसेला	Other/ अन्य	Total Vaccination /कुल टीकाकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	NAINITAL नैनीताल	389654	30249	0	48938	10460	55300	54963	107544	6270	558	703936
2	U.S.NAGAR ऊधमसिंह नगर	334794	124397	0	45487	11538	30000	16500	101157	13222	5090	952185
3	ALMORA अल्मोड़ा	439767	0	0	139038	6905	28950	13000	68545	14999	33759	744963
4	BAGESHWAR बागेश्वर	226170	0	0	92012	3367	0	0	40991	7178	0	369718
5	PITHORAGARH पिथौरागढ़	414567	0	0	182520	4356	6300	3830	120823	9099	0	741495
6	CHAMPAWAT चम्पावत	187274	0	0	44288	3975	16000	16000	76416	5563	68	349584
7	DEHRADUN देहरादून	407926	53672	680	126787	14071	15890	18203	140486	10119	1216	789050
8	PAURI पौड़ी	309352	15064	514	100516	3381	0	0	215376	10768	1169	656340
9	TEHRI टिहरी	265847	9908	90	100039	3751	1000	1050	79635	5111	14942	481373
10	CHAMOLI चमोली	285324	0	400	118555	3884	20950	0	92796	5520	227	527656
11	RUDRAPRAYAG रुद्रप्रयाग	178800	1084	405	31370	1025	6771	898	39950	5418	19	265740
12	UTTARKASHI उत्तरकाशी	247130	0	48	118376	2112	500	1000	72881	7343	220	449590
13	HARIDWAR हरिद्वार	473196	47291	0	25163	5542	5000	4840	133502	17508	5876	717918
Total योग		4159801	281665	2137	1173089	74567	456661	130284	1290042	118118	63144	7749508

2025-26 के जनपदवार भौतिक उपलब्धियां का विवरण

विभाग का नाम-पशुपालन विभाग

क्र० स०	जनपद का नाम	इकाई	पशुचिकित्सा	बधियाकरण	टीकाकरण	दवापान बड़े पशुओं	भेड़ों में दवापान	भेड़ों में दवास्नान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नैनीताल	संख्या	412093	11900	798492	419458	67128	64107
2	उधमसिंह नगर	संख्या	541659	13007	856217	548874	67862	54444
3	अल्मोडा	संख्या	321389	12511	773396	545667	74239	60510
4	बागेश्वर	संख्या	148156	5170	462344	210241	92857	105964
5	पिथौरागढ़	संख्या	323161	11407	976308	318351	180024	162658
6	चम्पावत	संख्या	136423	6317	297289	203783	63357	45931
7	देहरादून	संख्या	328179	8621	873126	407876	122481	119946
8	पौड़ी	संख्या	260231	9161	686097	362225	123681	100743
9	टिहरी	संख्या	232083	7457	476769	260105	111787	111807
10	चमोली	संख्या	206692	7825	565174	300835	115809	125200
11	रूद्रप्रयाग	संख्या	96405	4451	281053	196631	47169	0
12	उत्तरकाशी	संख्या	225371	8011	551378	210449	161227	159889
13	हरिद्वार	संख्या	324452	6627	840795	633685	35933	29693
योग		संख्या	3556294	112465	8438438	4618180	1263554	1140892

2025-26 के जनपदवार भौतिक उपलब्धियां का विवरण

विभाग का नाम-पशुपालन विभाग

क्र० स०	जनपद का नाम	इकाई	कृत्रिम गर्भाधान	कृ०ग०से उ० संतति	कुक्कुट इकाईयों की स्थापना	चारा बीज वितरण (कुतलं०)	मिनी कट्स वितर ण	बकरी पालन इकाई की स्था०	भेड पालन इकाई की स्था०	गौ पालन इकाई की स्था०	महिला बकरी पालन योजना
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	नैनीताल	संख्या	95867	33985	620	162.20	102	0	92	40	95867
2	उधमसिंह नगर	संख्या	186294	57814	460	128.30	202	0	149	25	186294
3	अल्मोडा	संख्या	48390	16824	500	116.58	188	0	164	80	48390
4	बागेश्वर	संख्या	31024	11916	800	220.70	135	34	69	18	31024
5	पिथौरागढ़	संख्या	28918	11136	1400	190.03	126	17	13	20	28918
6	चम्पावत	संख्या	45002	15455	400	123.13	189	0	130	45	45002
7	देहरादून	संख्या	67992	22449	1000	200.05	214	17	107	30	67992
8	पौड़ी	संख्या	44127	11931	1200	41.22	162	0	143	40	44127
9	टिहरी	संख्या	37827	13656	675	110.96	157	40	128	40	37827
10	चमोली	संख्या	37226	11445	400	40.92	156	39	55	36	37226
11	रूद्रप्रयाग	संख्या	33079	10758	1380	174.69	115	25	51	20	33079
12	उत्तरकाशी	संख्या	24096	6262	720	241.25	133	30	86	18	24096
13	हरिद्वार	संख्या	164194	36056	1106	296.20	140	0	103	25	164194
योग		संख्या	844036	259687	10661	2046.23	2019	202	1290	437	844036

उत्तराखंड: पशुधन की गणना: प्रतिशत परिवर्तन

20वीं पशुधन गणना 2019 की तुलना 19 वीं पशुधन गणना 2012 के साथ

क्र०सं०	जाति	2012	2019	प्रतिशत परिवर्तन	
1	क्रॉसब्रीड गोवंशीय	497592	576820	15.92	
2	स्वदेशी गोवंशीय	1508461	1275303	-15.46	
3	कुल गोवंशीय	2006053	1852123	-7.67	
4	महिषवंशीय	987775	866318	-12.3	
5	बकरी	1367413	1371971	0.33	
6	भेड़	368756	284615	-22.82	
7	सुअर	19907	17659	-11.29	
8	ऊँट	0	15		
9	याक	62	54	-12.9	
10	मिथुन	0	0	-	
11	घोड़े और टट्टू	16358	7452	-54.44	
12	खच्चर	26897	26293	-2.25	
13	गधे	1509	589	-60.97	
14	कुल पशुधन(कुत्तों और खरगोश को छोड़कर)	4794730	4427089	-7.67	
15	कुल पशुधन(कुत्तों और खरगोश सहित)	5021912	4663005	-7.15	
15	कुल कुक्कुट	4641937	5018684	8.12	

महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट का तालिका प्रारूप														
विभाग का नाम – पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड														
माह—मार्च, 2026														
क्र० सं०	कार्यक्रम	बजट व्यवस्था	अवमुक्त	कुल व्यय		क्रमिक व्यय में से		भौतिक प्रगति					क्रमिक उपलब्धि में से	
				मासिक व्यय	क्रमिक व्यय	एस.सी. पी.	टी.एस. पी.	कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि		एस.सी. पी.	टी.एस. पी.
											मासिक उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि		
केन्द्रपोषित योजना														
1.	पशुरोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यो को सहायता (90 प्र.के.पो.) / एफ०एम०डी० आदि	983.000	270.311	124.809	270.309	44.867	23.244	एच०एस०	संख्या	4.00 लाख	39400	282509	67399	11264
								आर०डी०	संख्या	1.00 लाख	272639	337767	73046	9440
								एफ०पी०	संख्या	1.00 लाख	222973	268666	49981	11103
								ए०आर०बी०	संख्या	1.00 लाख	20578	108753	25315	4470
								बी०क्यू०	संख्या		900	2694	527	90
								जागरूकता कैम्प 1. ब्लॉकस्तरीय	संख्या	190	190	190	0	0
								2. जिला स्तरीय	संख्या	13	13	13	0	0
2.	अन्य टीकाकरण कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एल०एस०डी०	संख्या	14.50 लाख	625764	1558703	385608	62653
								पी०पी०आर०	संख्या	13.16 लाख	411310	448506	101728	49120
								ब्रुसेला	संख्या	1.00 लाख	800	21084	7429	135
								एफ०एम०डी०	संख्या	68.32लाख	36184	5267052	1353156	296804
								अन्य	संख्या		15531	27095	1059	325
3.	पशुरोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यो को सहायता (100 प्र.के.पो.)	34.410	11.660	7.360	11.660	1.940	1.000	पशुचिकित्साधिकारियों का प्रशिक्षण	संख्या		21643	115609	22600	4103
								पैरावैट का प्रशिक्षण	संख्या	20	24	24	0	0
								कार्यशाला / सेमिनार	संख्या			0	0	0
4.	पशुरोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यो को सहायता (50 प्र.के.पो.)	3.060	0.920	0.920	0.920	0.160	0.080	पशुपालको को मुआवजा	संख्या	60	60	60	0	0
5.	वर्तमानपशुचिकित्सालय / पशुऔषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण (एम.वी.यू.)	1515.393	1515.333	704.133	1515.333	279.133	141.667	मोबाईल वेटरनरी यूनिट (एम.वी.यू.)	संख्या		44344	190585	0	0
								एम.वी.यू. द्वारा की गई चिकित्सा	संख्या			0	0	0

महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट का तालिका प्रारूप

विभाग का नाम – पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

माह—मार्च, 2025

क्र० सं०	कार्यक्रम	बजट व्यवस्था	अवमुक्त	कुल व्यय		क्रमिक व्यय में से		भौतिक प्रगति					क्रमिक उपलब्धि में से	
				मासिक व्यय	क्रमिक व्यय	एस.सी.पी.	टी.एस.पी.	कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि		एस.सी.पी.	टी.एस.पी.
											मासिक उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि		
केन्द्रपोषित योजना														
6.	नेशनल लाइवस्टाक मिशन (90 प्रति)	68.540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान हेतु ए0आई0 गन आदि	संख्या	150	—	—		
7.	नेशनल लाइवस्टाक मिशन (100 प्रति)	226.680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	प्रशिक्षण (कुक्कुट विकास)	संख्या			0		
								प्रशिक्षण (भेड विकास)	संख्या			0		
8.	नेशनल लाइवस्टाक मिशन (50 प्रति)	2776.167	741.945	130.831	741.941	250.00	55.556	पशुधन बीमा	संख्या	1.00 लाख	4954	73835	11078	2593
9.	लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र (10 रा०स०)	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लिंग वर्गीकृत वीर्य स्ट्रुा विक्रय	संख्या					
10.	प्रदेश में पशुगणना का कार्य (100प्र.के.पो)	461.680	140.00	0.020	140.00	0.00	0.00	21वीं पशुधन संगणना	संख्या					
11.	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण हेतु पशुपालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना (50 प्र.के.पो.)	129.860	127.510	10.130	112.910	0.00	0.00	सर्वेक्षण कार्य	चक्र	12	ग्रीष्म ऋतु 2025–26 के प्रथम चक्र का कार्य प्रारम्भ है।			
12.	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण हेतु सांख्यिकीय इकाई की स्थापना प्रकोष्ठ (100 प्र.के.पो.)	127.520	80.000	0.020	0.020	0.00	0.00							
13.	नेशनल लाइवस्टाक मिशन (50 प्रति) (राज्य आकस्मिकता निधि)	-0.010	-0.020	-0.020	-0.020	0.00	0.00							

14	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण हेतु सांख्यिकीय इकाई की स्थापना प्रकोष्ठ (100 प्र. के.पो.)	10.100	5.000	5.000	5.000	0.00	0.00							
योग (केन्द्र पोषित योजना) (लाख में):-		6336.430	2892.659	983.203	2798.073	576.100	221.547							

महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट का तालिका प्रारूप

विभाग का नाम – पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

माह-मार्च, 2026

क्र 0 सं0	कार्यक्रम	बजट व्यवस्था	अवमुक्त	कुल व्यय		क्रमिक व्यय में से		भौतिक प्रगति					क्रमिक उपलब्धि में से	
				मासिक व्यय	क्रमिक व्यय	एस.सी.पी.	टी.एस.पी.	कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि		एस.सी.पी.	टी.एस.पी.
											मासिक उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि		
राज्य सैक्टर योजना														
1.	निदेशालय अधिष्ठान	31350.60	31330.60	5299.65	27570.34	0.00	0.00	पशुचिकित्सा	संख्या	26.00 लाख	480569	3556294	930229	124733
								बधियाकरण	संख्या	1.00 लाख	14655	112465	29204	3714
								कृत्रिम गर्भाधान	संख्या	8.50लाख	200175	844036	171824	22925
								कृ०ग०से उ० संतति	संख्या	3.25 लाख	106564	259687	52083	7308
								भेड़ों में दवापान	संख्या		1456	1456	0	0
								भेड़ों में दवास्नान	संख्या		59281.600	400243.195	0	0
								प्रक्षेत्रों (फार्म) में पशुधन संख्या	संख्या		44	308	0	0
								प्रक्षेत्रों (फार्म) में दुग्ध उत्पादन	कि०ग्रा०	35	0	0	0	0
								प्रक्षेत्रों (फार्म) में उत्पन्न संतति	संख्या	26.00 लाख	480569	3556294	930229	124733
								मोबाईल वेटरनरी यूनिट(एम.वी.यू.)	संख्या	1.00 लाख	14655	112465	29204	3714
2.	पशुपालन विभाग में राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण (पूँजीगत)	1000.00	915.67	323.46	915.67	0.00	0.00	पशुचिकित्सालय कालाढूगी	संख्या / प्रतिशत	1	90 %	90 %	0	0
								स्टेट ऑफ आर्ट प०चि० डोईवाला (बड़े पशु)	संख्या / प्रतिशत	1	35%	35%	0	0
								पशुलोक –ऋषिकेश में डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण	संख्या / प्रतिशत	1	90 %	90 %	0	0

								3. राजकीय पशुचिकित्सालय मोहनचट्टी, पौड़ी	संख्या / प्रतिशत	1	80%	80%	0	0	
								4. राजकीय पशुचिकित्सालय खेतीखान, चम्पावत	संख्या / प्रतिशत	1	30%	30%	0	0	
								5. राजकीय पशुचिकित्सालय सिप्टी, चम्पावत	संख्या / प्रतिशत	1	40%	40%	0	0	
								6. राजकीय पशुचिकित्सालय रुड़की, हरिद्वार	संख्या / प्रतिशत	1	45%	45%	0	0	
								7. पशुसेवा केन्द्र नेहरूग्राम का निर्माण	संख्या / प्रतिशत	1	05%	05%	0	0	
								8. पशुसेवा केन्द्र मालदेवता का निर्माण	संख्या / प्रतिशत	1	10%	10%	0	0	
								9. पशुसेवा केन्द्र भानियावाला का निर्माण	संख्या / प्रतिशत	1	05%	05%	0	0	
								10. पशुसेवा केन्द्र, पूलनबांगर, जनपद-रूद्रप्रयाग का निर्माण कार्य।	संख्या / प्रतिशत	1	0	0	0	0	
								11. पशुसेवा केन्द्र, तैला, सिलगढ जनपद-रूद्रप्रयाग का निर्माण कार्य।	संख्या / प्रतिशत	1	0	0	0	0	
								12. राजकीय पशुचिकित्सालय नामती, चेटाबगड का निर्माण कार्य।	संख्या / प्रतिशत	1	0	0	0	0	
								13. राजकीय पशुचिकित्सालय सुयालबाडी का निर्माण कार्य।	संख्या / प्रतिशत	1	0	0	0	0	
3.	राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत पशुधन बीमा	0.010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
4.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हेतु बायफ	2082.460	1823.600	749.720	1819.860	0.00	0.00	टैबलेट कनेक्टिविटी	संख्या	1661	36	55			
								कुल केन्द्र	संख्या	100	100	100			

	केन्द्रों का संचालन							कृत्रिम गर्भाधान	संख्या	42000	5127	28329	0	0
								स्ट्रॉ उत्पादन	संख्या	3.00 लाख	47533	298543	0	0
								स्ट्रॉ विक्रय	संख्या	3.00 लाख	24490	133890	0	0
								कृत्रिम गर्भाधान	संख्या	3.00 लाख	116421	231374	0	0
								कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति	संख्या	1.10 लाख	35647	71703	0	0
								प्राईवेट AI कार्यकर्ताओं की संख्या	संख्या	1202	832	832	0	0
								प्राईवेट AI कार्यकर्ताओं की संख्या जिन्हें प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की गई	संख्या		256	391	0	0
								प्राईवेट AI कार्यकर्ताओं द्वारा की गई AI	संख्या		110183	385425	0	0

महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट का तालिका प्रारूप

विभाग का नाम – पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

माह—मार्च, 2026

क्र० सं०	कार्यक्रम	बजट व्यवस्था	अवमुक्त	कुल व्यय		क्रमिक व्यय में से		भौतिक प्रगति					क्रमिक उपलब्धि में से		
				मासिक व्यय	कमिक व्यय	एस.सी.पी.	टी.एस. पी.	कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि		एस.सी.पी.	टी.एस.पी.	
											मासिक उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि			
राज्य सैक्टर योजना															
5.	औषधि आदि का क्रय	1034.965	1034.965	138.634	1034.964	0.00	0.00	भेड़-बकरियों में दवापान	संख्या	10 लाख	137926	1263554	330711	78996	
								भेड़-बकरियों में दवास्नान	संख्या	10 लाख	145438	1140892	292770	75721	
								बड़े पशुओं में दवापान	संख्या	42 लाख	821842	4618180	1106721	153351	
								संक्रामक रोगों से बचाव	संख्या		0	0	0	0	
6	गौ सदन /ग्राम्य गौ सेवक योजना का संचालन/गो संरक्षण को बढ़ावा	6000.00	4910.420	2075.030	4801.360	0.00	0.00	पंजीकृत गौ सदनों की संख्या	संख्या	95	95	95	0	0	
								पंजीकृत गौ सदनों की संख्या जिन्हें भरण पोषण हेतु	संख्या	95	95	95	0	0	

	(आबाकारी सेस)							अनुदान दिया गया						
7	स्वरोजगार लाभार्थीपरक योजना	4196.970	3361.880	1017.790	3352.870	1091.970	64.800	महिला बकरी पालन इकाई की स्था।	संख्या	437	256	437	0	0
								कुक्कुट वैली	संख्या	543	72	299	0	0
								बायलर फार्म	संख्या	1360	366	904	0	0
								बकरी पालन ईकाई की स्था।	संख्या	2019	604	2019	840	57
								भेड पालन ईकाई की स्था।	संख्या	202	26	202	179	23
								गौ पालन ईकाई की स्था।	संख्या	1290	241	1290	1250	40
								डेरी इकाईयों की स्थापना	संख्या	518	200	911	0	0
								खच्चर इकाईयों की स्थापना	संख्या	295	30	121	0	0
								भेड़ एवं बकरी इकाईयों की स्थापना	संख्या	786	155	580	0	0
								सूकर इकाईयों की स्थापना	संख्या	43	4	5	0	0
								कुक्कुट इकाईयों की स्थापना	संख्या	173	23	81	0	0

महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट का तालिका प्रारूप विभाग का नाम – पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड माह-मार्च, 2026														
क्र० सं०	कार्यक्रम	बजट व्यवस्था	अवमुक्त	कुल व्यय		क्रमिक व्यय में से		भौतिक प्रगति					क्रमिक उपलब्धि में से	
				मासिक व्यय	क्रमिक व्यय	एस.सी.पी.	टी.एस.पी.	कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि		एस.सी.पी.	टी.एस.पी.
											मासिक उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि		
राज्य सैक्टर योजना														
8.	नाबार्ड पोषित	2700.00	2700.00	201.460	2700.00	0.00	0.00	1.राजकीय सूकर प्रजनन	संख्या	1	85%	85%	0	0

								का निर्माण कार्य							
								13. मॉडल पशुचिकित्सालय, नन्दप्रयाग, जनपद-चमोली का निर्माण कार्य	संख्या	1	10%	10%	0	0	
								14. मॉडल पशुचिकित्सालय, श्रीनगर, जनपद-पौड़ी का निर्माण कार्य	संख्या	1	0	0	0	0	
								15. मॉडल पशुचिकित्सालय, लोहाघाट जनपद-चम्पावत का निर्माण कार्य	संख्या	1	0	0	0	0	
								16.मॉडल पशुचिकित्सालय, मुनिकीरेती, जनपद-टिहरी का निर्माण कार्य	संख्या	1	0	0	0	0	
								17.मॉडल पशुचिकित्सालय, गरुड, जनपद-बागेश्वर का निर्माण कार्य	संख्या	1	5%	5%	0	0	
								18.मॉडल पशुचिकित्सालय, डीडीहाट, जनपद-पिथौरागढ़ का निर्माण कार्य	संख्या	1	0	0	0	0	
								19.राजकीय पशुचिकित्सालय सेरा जनपद पिथौरागढ़ का नव निर्माण कार्य।	संख्या	1	0	0	0	0	
								20.राजकीय पशुचिकित्सालय झूलाघाट, जनपद पिथौरागढ़ का नव निर्माण कार्य।	संख्या	1	0	0	0	0	
								21.राजकीय पशुचिकित्सालय तलवाडी, जनपद चमोली का नव निर्माण कार्य।	संख्या	1	10%	10%	0	0	
								22.राजकीय पशुचिकित्सालय किच्छा जनपद उधमसिंहनगर के	संख्या	1	0	0	0	0	

								का नव निर्माण कार्य।								
9.	चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण	125.00	125.00	49.050	125.00	0.00	0.00	प्रस्तावित चारा बैकों की संख्या	संख्या							
								कुल चारा बैकों की स्थापना	संख्या	130	130	130	0	0		
								1. फीड ब्लाक (माह में/वर्ष में)	संख्या	मांगनुसार	25781	87254	0	0		
								2. चाटन भेली (माह में/वर्ष में)	संख्या	मांगनुसार	1522	6054	0	0		
								चारा बीज वितरण की योजना	कुन्तल में		0.00	0.00	0	0		
								जीवित भेड बकरी व कुक्कुट की आपूर्ति	किलो ग्राम		65086.21	438577.75	0	0		
10	आई0टी0पी0बी0पी0 को जीवित भेड बकरी व कुक्कुट की आपूर्ति	1366.00	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00									
11	गौ सदनों का निर्माण	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	योग (राज्य सैक्टर योजना) (लाख में)	51331.820	48416.070	7419.644	45005.424	1091.970	64.800									
	सम्पूर्ण आयोजनार्गत का योग	57668.250	51308.729	8402.847	47803.497	1668.070	286.347									
विभाग का नाम – पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड																
माह—मार्च, 2026																
क्र० सं०	कार्यक्रम	बजट व्यवस्था	अवमुक्त	कुल व्यय		क्रमिक व्यय में से		भौतिक प्रगति						क्रमिक उपलब्धि में से		
				मासिक व्यय	क्रमिक व्यय	एस.सी.पी.	टी.एस.पी.	कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि		एस.सी.पी.	टी.एस.पी.		
											मासिक उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि				
राज्य सैक्टर योजना																
								8. पशुचिकित्सालय, ट्रांजिट हॉस्टल, एनिमल शेड रुद्रा पॉइंट श्री केदारनाथ—रुद्रप्रयाग का निर्माण कार्य	संख्या	1	68%	68%				
								9. पशुचिकित्सालय, ट्रांजिट हॉस्टल, एनिमल शेड बड़ी लिन्चौली रुद्रप्रयाग का निर्माण कार्य	संख्या	1	65%	65%				

							10. राजकीय पशुचिकित्सालय, बाण, चमोली का नव निर्माण	संख्या	1	90 %	90 %			
							11. जनपद देहरादून के अन्तर्गत हीफर रियरिंग फार्म पशुलोक-ऋषिकेश के निर्माण कार्य	संख्या	1	85%	85%			
							12. जनपद देहरादून के अन्तर्गत यू0एल0 डी0बी0 ऋषिकेश में ट्रेनिंग सेन्टर के नव निर्माण कार्य।	संख्या	1	75%	75%			
							13.राजकीय सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र, श्यामपुर,—ऋषिकेश का निर्माण कार्य।	संख्या	1	20%	20%			
							14. अतिहिमकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर ऋषिकेश का सुदृढीकरण कार्य	संख्या	1	15%	15%			

महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट का तालिका प्रारूप

विभाग का नाम – पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

माह—मार्च, 2026

क्र० सं०	कार्यक्रम	बजट व्यवस्था	अवमुक्त	कुल व्यय		क्रमिक व्यय में से		भौतिक प्रगति					क्रमिक उपलब्धि में से	
				मासिक व्यय	क्रमिक व्यय	एस.सी.पी.	टी.एस.पी.	कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि		एस.सी.पी.	टी.एस.पी.
											मासिक उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि		
राज्य सैक्टर योजना														
								15. मॉडल पशुचिकित्सालय, सितारंगंज, जनपद—यू. एस. नगर का निर्माण कार्य	संख्या	1	0	0		
								16. राजकीय पशुचिकित्सालय नारसन— हरिद्वार में राज्य स्तरीय पशुरोग नियंत्रण चौकी का निर्माण	संख्या	1	8%	8%		
								17. राजकीय पशुसेवा केन्द्र, गुरना, जनपद—पिथौरागढ़ का नव निर्माण	संख्या	1	0	0		
								18. राजकीय पशुसेवा केन्द्र, चहज, पिथौरागढ़ का नव निर्माण	संख्या	1	0	0		
								19. राजकीय पशुसेवा केन्द्र, आदिग्राम फलेरिया, जनपद—अल्मोड़ा का नव निर्माण	संख्या	1	0	0		
								20. राजकीय पशुसेवा केन्द्र, मण्डलक, चम्पावत का नव निर्माण	संख्या	1	0	0		
								21. राजकीय पशु सेवा केन्द्र दिक्कली, जनपद—नैनीताल का नव निर्माण	संख्या	1	0	0		

महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट का तालिका प्रारूप
विभाग का नाम – पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड **माह—मार्च, 2026**

क्र० सं०	कार्यक्रम	बजट व्यवस्था	अवमुक्त	कुल व्यय		क्रमिक व्यय में से		भौतिक प्रगति					क्रमिक उपलब्धि में से		
				मासिक व्यय	कमिक व्यय	एस.सी.पी.	टी.एस.पी.	कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि		एस.सी.पी.	टी.एस.पी.	
											मासिक उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि			
राज्य सैक्टर योजना															
1.	पशु चिकित्सा हेतु दवा बैक्सीन आदि क्रय/शिविरों का आयोजन	1820.980	1820.980	349.360	1818.980	613.070	130.450	बांझपन शिविरों का आयोजन	संख्या	2000	477	3072	525	148	
								लाभान्वित पशु	संख्या	60000	15601	88238	19519	3130	
2.	दारिन्दा पद्धति पर निःशुल्क बकरा सांड वितरण की योजना	216.680	216.680	3.980	216.680	23.250	3.430	बकरा सांड वितरण	संख्या	208	61	298	55	9	
3.	ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु पदर्शनी का आयोजन	73.900	73.900	8.680	73.900	16.100	3.250	पशु प्रदर्शनियां	संख्या	95	55	103	19	5	
4.	स्वरोजगारपरक कुक्कुट पालन इकाई की स्थापना	663.540	663.540	256.510	663.540	305.410	57.980	कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना	संख्या	10661	6356	10661	6657	822	
5.	चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण	105.870	105.870	62.400	105.870	26.600	4.980	चरा बीज वितरण	कुन्तल	प्राप्तानुसार	593.33	2046.23	636.144	22.83	
6.	पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का भवन निर्माण	511.860	511.860	50.240	511.560	0.00	0.00								
7.	वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण	432.480	432.480	29.450	432.480	65.120	2.600	कृत्रिम गर्भाधन केन्द्रों की स्थापना	संख्या	100	1	35			
8.	माईक्रो गोद वैली	60.200	60.200	23.100	60.200	0.00	0.00								
9.	अभिनव योजनान्तर्गत स्वरोजगार कलस्टर	585.050	585.050	148.420	585.050	112.020	52.860								

	आधारित बकरी पालन योजना/गौट वैली की स्थापना													
10.	सामान्य जाति हेतु गौ पालन	14.400	14.400	0.00	14.400	0.00	0.00							
11.	दुधारू भैंस युनिट की स्थापना	15.750	15.750	0.00	15.750	0.00	0.00							
	योग जिला सेक्टर योजना	4500.710	4500.710	932.140	4498.710	1161.580	255.550							

प्रदेश में कार्यरत भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की प्रगति

क्र० सं०	विवरण	उपलब्धि				2025-26
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
1.	प्रक्षेत्र संख्या	11	11	11	11	11
2.	प्रारम्भिक अवशेष					
	अ. मेढे	40	41	66	46	42
	ब. भेड़	1897	2017	2097	2150	2053
	स. मैमने	1344	1214	1393	1135	1327
	योग-	3281	3272	3556	3331	3422
3.	जन्म	814	979	1026	783	848
4.	प्राप्त	372	339	309	449	329
5.	मृत्यु	400	250	239	576	499
6.	नीलाम	208	118	103	96	172
7.	वितरण	738	654	966	731	216
8.	अन्तिम शेष अ. मेढे	28	44	65	55	49
	ब. भेड़	1782	2037	2094	2110	1942
	स. मैमने	1311	1334	1453	1280	1435
	योग-	3121	3415	3547	3445	3426
9.	ऊन उत्पादन (कि०ग्रा०)	3309.00	5596.20	5052.06	5718.00	5941.53

भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों/मेढ़ा केन्द्रों की प्रगति

क्र० सं०	विवरण	उपलब्धि				
		21-22	22-23	23-24	24-25	25-26
1.	केन्द्रों की संख्या	113	113	113	113	113
2.	प्रारम्भिक अवशेष मेढे					
		120	82	64	45	37
3.	प्राप्त	00	00	01	0	0
4.	मृत्यु	13	4	06	08	04
5.	नीलाम	17	1	10	0	0
6.	वितरण	8	13	04	0	0
7.	अन्तिम शेष मेढे	82	64	45	37	33
8.	गर्भाधान	6340	2853	3524	1617	984
9.	उत्पन्न संतति	3185	1371	2234	943	659
10.	दवापान	23326	16515	13026	26276	12052
11.	दवास्नान	22670	17402	11159	18688	10806
12.	चिकित्सा	13783	10776	8786	13317	10248
13.	टीकाकरण	15014	19211	35166	47141	52093
14.	बधियाकरण	1015	862	633	978	394

ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की प्रगति

क्र० सं०	विवरण	उपलब्धि				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	ऊन के नमूनों का संचय	1144	2490	1194	2174	2064
2.	ऊन के नमूनों का विश्लेषण	1242	1043	1344	1303	1096

राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों की प्रगति

क्र० सं०	प्रगति मद	वर्ग	उपलब्धि				
			21-22	22-23	23-24	24-25	25-26
1.	औसत पक्षी	कायलर	17031	14492	15340	13280	9270
2.	अण्डा उत्पादन	कायलर	1389311	1224667	1515672	1240977	1140708
3.	चूजा उत्पादन	कायलर	1152834	839385	1025750	883563	825523
4.	चूजा वितरण	कायलर	1122776	839920	1035856	879283	8160998

राजकीय सघन कुक्कुट विकास प्रायोजनाओं की प्रगति

क्र.सं.	प्रगति विवरण	इकाई	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26
1	प्रशिक्षित कुक्कुट पालक	संख्या	1038	306	1086	1077	430
2	नये स्थापित कुक्कुट प्रक्षेत्र	संख्या	538	271	713	636	394
3	नये स्थापित कुक्कुट इकाई	संख्या	14689	9015	17929	15018	7740
4	चालू प्रक्षेत्रों की संख्या	संख्या	1175	4170	1674	1803	1149
5	चालू इकाईयों की संख्या	संख्या	33162	34144	47230	185608	182642
6	अण्डा उत्पादन संख्या (राजकीय प्रक्षेत्र/इकाई से)	संख्या	426814642	469279271	469602845	312128147	93783749
7	चूजा वितरण	संख्या	5347930	732898	6184492	5317048	1475411
8	टीकाकरण	संख्या	134921	103760	138289	242314	107085

राजकीय सूकर प्रक्षेत्र की प्रगति

क्र. सं.	विवरण	पशुलोक					काशीपुर				
		21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26
1.	प्रारम्भिक शेष प्रजनन में										
	अ. नर	07	07	05	05	05	04	04	10	04	04
	ब. मादा	37	37	24	22	21	14	14	44	40	40
	स. अन्य	09	18	58	50	33	18	36	61	35	105
2.	बाहर से प्राप्त / क्रय	00	00	00	00	00	36	08	0	—	—
3.	उत्पन्न बच्चे, प्राप्त	128	272	268	189	157	184	285	311	314	144
4.	मृत्यु	02	15	13	05	03	01	02	05	04	06
5.	वितरण / नीलाम	130	221	264	201	140	201	230	342	240	196
6.	अन्तिम शेष	49	85	76	59	73	54	145	79	149	91
7.	सूकर विक्रय प्राप्त आय (धनराशि रु०)	296170.00	574780	0.00	58290.00	416900.00	512550.	66534.	30900.00	81120.0	798300.00

17.5 पशु पालन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों एवं अन्य विभागीय संस्थाओं की जनपदवार सूची :-

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विधान क्षेत्र का नाम	पशु चिकित्सालय का नाम	अटल आदर्श के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों /पशु सेवा केन्द्रों का नाम	पशु सेवा केन्द्र का नाम	“द” श्रेणी प०चि०	प्रक्षेत्र/अन्य संस्थायें	अभ्युक्ति
1	देहरादून	चकराता	चकराता	1-चकराता	जाड़ी	1-मोहनासावड़ा, 2-मानथात 3-मयफावटा, 4-कोटीसावड़ा 5-क्वासी, 6-मसक 7-पूनापोखरी	—	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र मसक	—
				2-क्वानू	—	8-दसऊ	—	—	—
				3-त्यूनी	—	9-चिल्हाड़, 10-कथियान	—	—	—
				4-लाखमण्डल	—	11- पुना पोखरी	—	—	—
				5-काण्डोईभरम	—	—	—	—	—
		कालसी	चकराता	6-कालसी	—	11-थैना, 12-कोटी	—	—	—
				7-सहिया	—	13-कोरूवा, 14-नगऊ, 15-गांगरौ	—	—	—
				8-लखवाड़	खाड़ी	16-नागथात, 17- कामला,	—	—	—
				9-पंजिटिलानी	नराया	18-भंजरा	—	—	—
		विकासनगर	विकासनगर	10-विकासनगर	—	19-जीवनगढ़, 20-विन्हार, 21-रूद्रपुर,	—	—	—

						22-पृथ्वीपुर खेड़ा, 23-समेत 24-मदसू			
			11-हरबर्टपुर	—		25-जमानीपुर, 26-होरवाला, 27-कुन्जाग्रंट	—	—	—
			12- शीशमबाड़ा	सभावाला,		—	—	—	—
			13- बाड़वाला						
		सहसपुर	सहसपुर	14-सहसपुर	—	28-सेलाकुई,	—	—	—
		मसूरी	मसूरी	15-मसूरी	—	29-मालसी	—	—	—
		सहसपुर	सहसपुर	16-प्रेमनगर	—	30-गढ़ीकैन्ट, 31-पण्डितवाड़ी	—	—	
			17-नयागांव,पोलियो	—	32-उमेदपुर,	—	—	—	
		मसूरी	18-गुजराड़ा	—	33-पौधा,	भारुवाला	—		
		रायपुर	रायपुर	19-रायपुर	—	34-मालदेवता, 35-गुजराडा सरोना 36-छमरौली 37-भोपालपानी	—	—	
		दून कैन्ट	20-सुभाषनगर	—	38-मेंहूवाला,	—	—	—	
		धर्मपुर	21-अजबपुर	—	39-नवादा, 40-नेहरूग्राम	—	—	—	
		ऋषिकेश	22-थानौ	—	—	धारकोट	—		
			23-सचल	—	—	—	—	—	
		दून कैन्ट	24-सदर	—	—	—	—	—	
		राजपुर	25-राजपुर	—	—	—	—	—	
		डोईवाला	डोईवाला	26-डोईवाला	—	41-भानियावाला, 42-दुधली, 43-लालतप्पड़	—	—	

2	पौड़ी		ऋषिकेश	27—ऋषिकेश	—	—	—	—	
				28—श्यामपुर	—	44—इठाराना, 45—रायवाला	—	—	
				29—बालावाला	—	—	—	—	
			डोईवाला	30—रानीपोखरी	—	46—बुल्लावाला	—	—	
		पौड़ी	पौड़ी	1—पौड़ी	कण्डारा	1—अमकोटी, 2—खाण्डयूसैण 3—परसुण्डाखाल, 4—सत्यखाल, 5—पिसौली	—	—	
				2—डडुवादेवी	—	6—घटगौला	—	—	
		कोट	पौड़ी	3—कोट	पोखरी	7—बहेड़ाखाल, 8—घिण्डवाड़ा, 9—बसन्तपुर, 10—दौन्दल	—	—	
				4—कमलपुर	—	11—जमलाखाल, 12—देहलचौरी, 13—सबधरखाल	—	—	—
				5—घुसगली	—	—	—	—	—
		कल्जीखाल	पौड़ी	6—कल्जीखाल	पीपलपानी, सांगुड़ा, नगर, पंचाली	14—घण्डियाल, 15—सूला, 16—भेंटी, 17—अगरोड़ा	—	—	—
				7—सरोड़ा मरोड़ा	—	—	—	—	—
		खिर्सू	श्रीनगर	8—खिर्सू	—	18—पोखरी, 19—ढामकेश्वर,	—	भे0ऊ0प्र0के0 पिटुण्डी	—
				9—श्रीनगर	—	20—चमधार	—	—	—
				10—डेवलगढ़	—	—	—	—	—
		पाबो	श्रीनगर	11—पाबो	पीपली, सैजी, मरोड़ा	21—सीकू, 22—चिपलघाट,	—	—	—

						23-चौपड़यू 24-पोखरीखेत			
		थलीसैण	श्रीनगर	12-थलीसैण	पित्रसैण, स्योली मल्ली	25-बूंगीधार, 26-बसोलागड़	—	भे0ऊ0प्र0के0 जखोलाताल, पीरसैण	—
				13-चाकीसैण		27-तरपालीसैण, 28-बगेली, 29-चौरीखाल	—	भे0ऊ0प्र0के0रिस्ती, जाखगांव	—
				14-कल्याणखाल	—	—	—	—	—
		एकेश्वर	चौबट्टाखाल	15-एकेश्वर	कोटा, धरासू, स्योली, मौन्दाड़ी	30-श्रीकोटखाल, 31-किर्खू, 32-नौगांवखाल	अमोठा	—	—
				16-रीठाखाल	—	33-संगलाकोटी	—	—	—
				17-सतपुली	—	—	—	—	—
		द्वारीखाल	यमकेश्वर	18-चैलूसैण	पुल्यांस, सिराई, किनसूर, सुराडी,	34-देवीखेत, 35-ग्वील	—	—	—
				19-सतपाली	—	—	—	—	—
				20-कटूड़वाड़ा	—	36-सुमेरसैण	—	—	—
				21-काण्डाखाल	—	—	—	—	—
				22-डाडामण्डी	—	37-पाली	—	—	—
		दुगड़डा	कोटद्वार	23-डुगड़डा	फरसूला, दुणीमाण्डई, हर्षू, सिमलना	38-रामणी, 39-पौखाल	—	—	—
				24-कोटद्वार	—	40-स्नेह	—	—	—
				25-कलालघाटी	मोटाढांक	41-सिगड़डी	—	—	—
				26-कालागढ़	—	—	—	—	—
		यमकेश्वर	यमकेश्वर	27-यमकेश्वर	मांगथा, नौगांवमल्ला	42-आमसैण	—	—	—
				28-अमोला	—	43-धारकोट	—	—	—
				29-मोहनचट्टी	—	44-गंगाभोगपुर	—	—	—
				30-थलनदी	—	45-सार	—	—	—
		जयहरीखाल	लैंसडौन	31-जयहरीखाल	खैरासैण, सेन्दीखाल, घेरूवा,	46-दुधारखाल,	—	—	—

					धौलखेतखाल कुणजोली,	47-ढौटियाल, 48-अधारियाखाल			
		पोखड़ा	चौबट्टाखाल	32-पोखड़ा	देवराड़ीदेवी, मंजगांव, गडरी (कोटखाल)	49-गवाणी, 50-देवराजखाल, 51-दान्था 52-कुण्जखाल	—	भे0ऊ0प्र0के0 गेंहूलाड	—
		बीरोंखाल	चौबट्टाखाल	33-बीरोंखाल	स्यूसी, कोटा, ग्वीन,	53-बैजरो, 54-भरोलीखाल, 55-मैठाणाघाट 56-दुनाव	—	भे0ऊ0प्र0के0 चोपताखाल	—
				34-कोलादरिया	—	—	—	—	—
				35-चौखाल	—	—	—	—	—
		नैनीडाण्डा		36-नैनीडाण्डा	चोरगढ़, बिलखेत, डुंगरी	57-हल्दूखाल, 58-सल्डमहादेव	—	—	—
				37- धुमाकोट	—	59-भौन, 60-दिगोलीखाल, 61- गोलीखाल	—	भे0ऊ0प्र0के0 धुमाकोट	—
		रिखणीखाल	चौबट्टाखाल	38-रिखणीखाल	चुरानी ढाबखाल, ढौटियाल	62-किल्बौखाल, 63-अंगणीखाल, 64-मन्जयाड़ीसैण	—	—	—
				39-कोटलीसैण	—	65-नौदांनू, 66-बसड़ा	—	—	—
				40-बुलेखाखाल	—	—	—	—	—
3	टिहरी	फकोट	नरेन्द्रनगर	1-फकोट	—	1-दिउली, 2-ओड़ाडा	—	—	—
				2-खाड़ी					
				3-पावकी देवी		1-नसोगी, 2-गूलर, 3-कौडियाला, 4-कखूर			

				4-चाका	—	3-पोखरी, 4-नौघर, 5-पालकोट	—	—	
				5-नरेन्द्रनगर	—	6-देवलधार	—	—	
				6-मुनिकीरेती	—		—	ऊन श्रेणीकरण केन्द्र मुनिकीरेती	
		प्रतापनगर	प्रतापनगर	7-प्रतापनगर	भेनगी	11-माजफ	—	—	—
				8-लम्बगांव	—	12-सदङगांव 13-पनियाला, 14-कोटलगांव, 15-मोल्या, 16-द्विजुला हलेथ, 17-चौँधार	—	—	—
		थौलधार	टिहरी गढवाल	9-छाम	सरोट	18-कटखेत, 19-मजकोट 20-डडोली 21-थौलधार	—	स0कु0वि0प्रा0 छाम	—
				10-मैण्डखाल					
				11-कमान्द	—	22-नैरी 23-घोन	—	—	—
				12-काण्डीखाल	—	24-पाली, 25-काफलपानी, 26-क्यारी डांग	—	—	—
		चम्बा		13-चम्बा	डडूर	27-बहेडा, 28-नागनी, 29-रानीचौरी,	—	—	—

						30—जड़ीपानी, 31—नागदेव पथल्ल			
				14—नई टिहरी	—	32—पांगरखाल, 33—ज्ञानसू	—	—	—
				15—नकोट	—	34—नैचोली	—	—	—
				16—गजा	—	—	—	—	—
		भिलंगना		17—घनसाली	—	35—मगरौ, 36—कुलसिलदेवठ, 37—डागीनैलचामी, 38—कोटीजाख, 39—घोण्टी, 40—घुत्तु	—	भे०प्र०प्र०कोपड़धार, अं०श०प्र०प्र० कोपड़धार, भे०ऊ० प्र०के०अगुण्डा / अमरसर / गंगी / देवलंग / अखोड़ी (बन्द)	—
			घनसाली	18—चमियाला	—	41—नागेश्वर सौड़, 42—भटगांव, 43—दल्ला	—	—	—
				19—बिनकखाल	—	44—थाती बूढ़ाकेदार, 45—अमरसर,(बन्द)	—	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र अगुण्डा, अमरसर	—
				20—कटुड़ हिन्दाव	—	46—चौजी, 47—हुलानाखाल 48—मथकुड़ीसैण	—	—	—
		जाखणीधार	टिहरी गढवाल	21—जाखणीधार	—	49—अजनीसैण, 50—लामरीधार, 51—लगोईगांव 52—सुनहरीगांड	—	—	—
				22—पीपलडाली	—	53—देवताधार	—	—	—
				23—धारकोट	—	54—मदननेगी, 55—रजाखेत	—	—	—

		हिण्डोलाखाल	देवप्रयाग	24—हिण्डोलाखाल	—	56—आमणी, 57—पौडीखाल, 58—नैखरी, 59—रूमधार	—	—	—
				25—देवप्रयाग	—	60—खरसाडी			
				26—बछेलीखाल		61 चौण्ड मूलधार			
				27—बगवान		62—हिसरियाखाल			
		कीर्तिनगर		28—कीर्तिनगर	—	—	—	—	—
						63—सिल्काखाल, 64—डांगचौरा, 65—डांगडूगरी, 66—ढुण्डसिर, 67— मैखण्डी			
				29—न्यूली	—	68—बैजवाड़ी, 69—पाव, 70—सेन्द्री, 71—कमान्द	—	—	—
				30—बड़ियारगढ़	—	72—आछरीखुण्ट	—	—	—
		जौनपुर	धनौल्टी	31—थत्यूड 32—भवान	—	73—बंगसील 74—ख्यासी 75—साबली 76—कण्डालगांव	—	—	—
				33—सत्यौ	—	77—आनन्दचौक 78—कुमालडा 79—रगड़गांव 80—गोठ (जमठियालगांव) 81—हटवालगांव	—	—	—
				34—पन्तवाड़ी	—	82—मैर, 83—श्रीकोट	—	भे0ऊ.प्र.के.पन्तवाड़ी	—
				35—नैनबाग	—	84—जमुनापुल,	—	—	—

4	चमोली			36—कैम्पटी		85—भटोली 86—डांडाकीबेली			
				37—परोगी	—	87—द्वारगढ़	—	—	—
				38—म्याणी		88—शीर्ष			
						89—चामासारी			
						90—कांडाजाख			
		जोशीमठ	श्री बद्रीनाथ	1—जोशीमठ	—	1—लंगसी, 2—हेलंग	—	भे०ऊ०प्र०के०हेलंग भे०ऊ०प्र०के०उर्गम, कलगोट, थेंग	—
				2—तपोवन	—	3—पाण्डुकेश्वर, 4—मलारी, 5—लाता, 6—सुराही ठोठा	—	भे०ऊ०प्र०के० बडागांव, झेलम	—
		दशोली		3 चमोली	—	7—मायापुर, 8—पीपलकोटी, 9—छिनका, 10—गाड़ी	—	भे०ऊ०प्र०के०पाणा, मानुरा,भे०प्र०प्र० पीपलकोटी	—
				4—गोपेश्वर	—	11—बैरागंना	—	भे०ऊ०प्र०के०मैकोट	—
				5—बछेर	—	12—टगंसा	—	—	—
6—नन्द्रप्रयाग 7— पीपलकोटि	—			13—मैठाणा	—	—	—		
पोखरी				7—पोखरी	—	14—सोडमंगरा, 15—डुंगर चौण्डी, 16—त्रिशुला	—	भे०ऊ०प्र०के० नैलनौली,भे०प्र०प्र० केदारकांठा	—
		8—सरमोला	—	17—सिवाई 18—उड़ामांडा	—	—	—		
कर्णप्रयाग	थराली	9—कर्णप्रयाग	—	19—थिरपाक, 20—लंगासू 21—सिमली,	—	—	—		

5	उत्तरकाशी	गैरसैंण	बद्रीनाथ			22—नौली, 23—भटोली					
				10—गौचर	—	24—सिद्धोली	—	—	—		
				11—नौटी	—	25—जाख	—	—	—		
				12—नैनीसैंण	—	26—कनखुल	—	—	—		
		नारायणबगड़		16—बछुवाबाण	—	34—नैल	—	—	—		
				17—नारायणबगड़	—	35—कोठली, 36—हरमनी, 37—रैंसचौपता, 38—कण्डवालगांव	—	भे0ऊ0प्र0के0 किमोली, पैतोली	—		
				थराली	थराली	18—थराली	—	39—डुंगरी	—	भे0ऊ0प्र0के0डुंगरी	—
						19—तलवाड़ी	—	40—केईपेंटी	—	अ0ब0 / अ0श.प्र0 प्र0 ग्वालदम	—
		छेवाल	20—देवाल	—		41—नलधूरा, 42—बूरागाड	—	—	—		
			21—मुन्दोली	—		43—बलाण	—	भे0ऊ0प्र0के0 मनमती, बलाण, मुन्दोली, बाण	—		
			22—बाण								
		घाट	23—घाट	—		44—मटई, 45—काण्डई,	—	भे0ऊ0प्र0के0बूरा, कनोल, पगना , भैंटी,भे0प्र0प्र0 बंगाली	—		
		भटवाड़ी	गंगोत्री	1—भटवाड़ी	—	1—झाला, 2—मनेरी, 3—गौरसाली, 4—गंगनानी	—	मेंढा केन्द्र भटवाड़ी मेढा केन्द्र रैथल, मेंढा केन्द्र सिल्ला, ब0से0के0भटवाड़ी	—		
				2—मुस्टिकसौड़	—	5—मानपूर	—	—	—		
				3—भंकोली	—	—	—	मे0के0 गजाली में0के0 गंगोरी	—		

		डुण्डा		4-ज्ञानसू	—	6-साल्ड	—	सघन कु0वि0 ज्ञानर	—
				5-धौन्तरी	—	—	—	में0के0 कुमारकोट	—
				6-रायमेर	—	—	—	—	—
		डुण्डा		7-भटवाड़ी धनारी	—	7-थपली, 8-फोल्ड, 9-पुजारगांव	—	—	—
				8-डुण्डा	—	10-गैवला, 11-सिंगोट	—	भे0प्र0प्र0डुण्डा,मे0 के0भरणगांव	—
		चिन्यालीसौण	यमुनोत्री —	9-स्यालना	—	12-घटवालधार, 13-जुणगा	—	—	—
				10-चिन्यालीसौंड	—	14-बल्डोगी, 15-बडेथी, 16-पीपलखण्डा 17-कान्सी 18-बादसी 19-कवागड़ी 20-ज्येष्ठवाड़ी	—	—	—
				11-दिचली	—	21-खालसी	—	—	—
				12-श्रीकोट	—	22-इन्द्राटिपरी	—	—	—
				13-बनचौरा	—	23-गडोली 24-बनाड़ी	—	—	—
				14-छैज्युला	—	25-बदालड़ा	—	में0के0 क्वाटा	—
				15-हनुमानचट्टी	—	26-स्यानाचट्टी	—	में0के0वाडिया	—
				16-बड़कोट	—	27-गंगाणी	—	—	—
				17-राजगढ़ी	—	28-सरनौल	—	—	—
				18-नौगांव	—	29-बगासू 30-कलोगी 31-सुकण	—	में0के0छमरोटा, मे0के0कफनौल	—
				19-डामटा	—	32-गढ़देवल,	—	—	—
						33-कण्डारी			

						33-जुगड़गांव			
				20-हुडोली	—	34-कन्ताड़ी	—	—	—
				21-पुरोला	—	35-ढकाड़ा	—	मे0के0सरबडियार, मे0के0थलकुण्डी, मे0प्र0प्र0थलकुण्डी	—
				22-गुन्दियाटगांव	—	—	—	—	—
				23-आराकोट	—	36-टिकोची, 37-ठडियार	—	मे0के0पाजूधार	—
				24-नैटवाड़	—	38-मेरी, 39-सांकरी, 40-गडुगांड	—	में0के0गडुगाड, में0के0जखोल, में0के0 भितरी, में0के0सिदरी, में0के0गंगाड, में0के0 मसरी, में0के0फिताड़ी, में0के0गैच्चाणगांव, में0के0 दोणी	—
				25- नैताना	—	—	—	—	—
		नौगांव		—	—	भाटियागांव	—	—	—
6	रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रुद्रप्रयाग	1-रुद्रप्रयाग	मरोड़ा	1-खेड़ाखाल	—	मे0एवं ऊ0प्र0के0 तोलगांव	—
				2-अगस्तमुनि	—	—	—	—	—
				3-चोपड़ाधारकोट	सरी	2-बैरांगना काण्डई	—	—	—
				4-काण्डई बच्छणस्यूं	बाड़ा (पीपली)	3-रतूड़ा, 4-नगरासू, 5-तोलगांव, 6-दशजुला, काण्डई, 7-बीरोधनपुर, 8-मरोड़ा, 9-बाड़ा पीपली 10-चन्द्रनगर	—	—	—
			केदारनाथ	5-चन्द्रापुरी 6-दुर्गाधार	भीरी चोपता	11-देवलाधार 12-मयकोटी,	—	मे0के0धिमतोली	—

				7—रामपुर 8—'कयेंजा		13—द्वारीखाल (बिजराकोट) 14—जखोट, 15—डमार, 16—नैनीपोण्डार, 17—नागजगई, 18—सतेराखाल, 19—भीरी, 20—चोपता, 21—सारी			
		ऊखीमठ		9—ऊखीमठ	मनसूना	22—मक्कू	—	मे०के०कोटमा	—
				10—गुप्तकाशी	—	23—पलदाड़ी	—	मे.ऊ.प्र.के.दैडाताल	—
				11—फाटा	—	24—राऊलेख, 25—गिरिया, 26—ल्वारा, 27—नारायणकोटी, 28—खड़िया, 29—मनसूना	—	मे०ऊ०प्र०के०गिरिया, मे०ऊ०प्र०के०राशी, मे०ऊ०प्र०के०रामपुर	—
		जखोली		12—जखोली	कोटबांगर	30—सिमली 31—पूलनबांगर	—	मे०ऊ०प्र०के०भुधार	—
				13—मुन्नादेवल	—	32—तिमली 33—घंघासू 34—भूधार	—	मे०ऊ०प्र०के० बक्सीरबांगर	—
			रुद्रप्रयाग	14—सुमाड़ीभरदार	रौठिया (जवाड़ी)	35—रायड़ी	—	मे०ऊ०प्र०के० मुन्नादेवल	—
				15—चौरियाभरदार	—	36—डांगीभरदार, 37—सौराखाल, 38—देवीधार सिलगढ़, 39—कोटगबांगर, 40—जवाड़ी	—	मे०ऊ०प्र० खलियानबांगर	—

7	हरिद्वार	बहादुराबाद	बी.एच.ई. एल.	1—बहादुराबाद	—	1—पथरी	—	कु0प्र0बहादुराबाद शल्य चिकित्सा चारा बैंक बहादुराबाद	—
			हरिद्वार ग्रामीण	2—लालढांग	बदशाहपुर	2—फेरूपुर, 3— श्यामपुर	—	—	—
			हरिद्वार	3—हरिद्वार	—	4—ज्वालापुर	—	—	—
			ज्वालापुर	4—तेलीवाला	खेड़ीशिकोहपुर, मानूबास, राजपुर	5—अलावलपुर, 6—नसीरपुर, 7—मानुबांस, 8—सलेमपुर,	—	—	—
		नारसन	झबरेड़ा	5—झबरेड़ा	लखनौता	9—ब्रहमपुरजट, 10—मुण्डलाना, 11—लिबबरहेडी, 12—ढडरा	—	—	—
				6—मंगलौर	—	—	—	—	—
			मंगलौर	7—नारसन	—	—	—	चाराबैंक नारसन	—
				8—लण्ढौरा	—	—	—	—	—
		भगवानपुर	भगवानपुर	9—भगवानपुर 10—सिकरौड़ा	चौलीशाहपुर, सिकन्दरपुर भैंसवाल, हबीबपुर, नवादा	13—मानकपुर, 14—सिकन्दरपुर भैंसवाल 15—चौलीशाहपुर 16—हल्लूमाजरा 17—बुग्गावाला 18—खेड़ीशिकोहपुर 19—हबीबपुर नवादा	चुड़ियाला	चरा बैंक चुड़ियाला	—
		लक्सर	लक्सर	11—लक्सर 12—रायसी	मौम्मदपुर बुर्जग, मुण्डाखेड़ा कला	20—ऐंथल, 21—मुण्डाखेड़ाक्ला 22—मो0पुर बुर्जग 23—निरंजनपुर 24—भिवकमपुर	—	चाराबैंक रायसी	—

						जीतपुर			
		खानपुर	खानपुर	13-खानपुर	ढंढेरा	25-पौड़ीवाली	—	चाराबैंक खानपुर	—
				14-गोवरधनपुर	पौड़ीवाली	26-गैँडीखाता	—	—	—
		रुड़की	कलियर	15-बेलड़ी	भौरी	27-मेवड़कला, 28-खताखेड़ी, 29-खुण्डेवाली 30-दौलतपुर 31-खंजरपुर, 32-नन्हेडा 33-मगरूबपुर दीदाहेर	—	चाराबैंक बेलड़ी	—
			रुड़की	16-रुड़की	खंजरपुर	—	—	—	—
8	नैनीताल	भीमताल	भीमताल	1-भीमताल	—	1-नौलाधारा, 2-जन्तवालधूरा 3-सलड़ी 4-सुर्यागांव 5-जंगलियागांव, 6-रानीबाग, 7-हैडाखान, 8-रौसिल, 9-बानना	—	—	—
			नैनीताल	2-भवाली	—	10-गेठिया 11-महरागांव 12-घोड़ाखाल	—	—	—
			नैनीताल	3-नैनीताल	—	13-अधौड़ा 14-खुर्पाताल 15-बल्दियाखान 16-ज्योलीकोट 17-मंगोली	—	—	—
		हल्द्वानी	हल्द्वानी	4-हल्द्वानी	—	18-गौजाजाली 19-नरसिंहपुर	—	—	—

						20-सांगुडीगांव 21-दमुआदूंगा 22-करायल 23-लोहरियासाल 24-मोटाहल्दू 25-देवलचौड़			
		लालकुंआ	5-लालकुंआ 6- बिन्दुखाता	-		26-हल्दूचौड़ 27-राधानिवाड़ 28-बौड़खत्ता 29-सांपकठानी 30-पीपलपड़ाव 31-आदर्शनगर	-	-	-
		कालादूंगी	7-फतेहपुर	-		32-बसानी 33-चौसला 34-लामाचौड़	-	अश्व प्रजनन प्रद्वोत्र कालादूंगी	-
		लालकुंआ	8-चोरगलिया	-		35-दौलाबाजपुर, 36-किशनपुर	-	-	-
			9-कुंवरपुर	-		37-खेड़ा, 38-लछमपुर, 39-दौलतपुर	-	-	-
	रामनगर	रामनगर	10-रामनगर 11-मालधनचौड़	-		40-जस्सागांजा 41-हल्दुआ 42-सेमलखलिया 43-ढिकुली 44-पाटकोट 45-नरसिंहपुर 46-पीरूमदारा	पीरूमदारा,	-	-
			12-बैलपड़ाव 13-छोई	-		47- पवलगढ़	-	-	-
	कोटाबाग	कालादूंगी	14-कोटाबाग	डोला-रानीकोटा		48-बजूनियाहल्दू, 49-डौनपरेवा,			

						50-अमगड़ी, 51-अमोठा, 52-कुनखेत, 53-सौण, 54-बगड़ 55-डोला (रानीकोटा)			
				15-कालाढूंगी		56-देवीपुरा 57-कमोला 58-धमोला			
		बेतालघाट	नैनीताल	16-बेतालघाट	—	59-मल्लीसेठी 60-बर्धो 61-रिखोली 62-जिनोली 63-घिरोली 64-थुवाब्लाकहरिनगर	—	—	—
				17-खैरना	—	65-रातीघाट 66-धनियाकोट 67-घूना 68-गरजोलीचक दरमाड़ी 69-सिलटोना	—	—	—
				18-सिमल्खा	—	—	—	—	—
				19-ऊंचाकोट	—	70-कालाखेत 71-हरचनोली	—	—	—
		रामगढ़	भीमताल	20-रामगढ़	—	72-चांफी, 73-सिनौली, 74-रीठा, 75-सतबुंगा, 76-कफूडा 77-खेरदा 78-दरमोली	—	—	—

						79—गहना			
			नैनीताल	21—सुयालबाड़ी	—	80—छयोड़ी	—	—	—
			भीमताल	22—भियालगांव	—	—	—	—	—
			नैनीताल	23—दियारी	—	81—मौना,	—	—	—
				24—कूल	—	—	—	—	—
		ओखलकाण्डा	भीमताल	25—ओखलकाण्डा	—	82—व्यूरीगाड़ 83—कालाआगर 84—डालकन्या 85—तल्लीपोखरी 86—नाई 87—तुषराड़ 88—गरगड़ी	—	—	—
				26—ढोलीगांव	—	89—सुनकोट,	—	—	—
		धारी	भीमताल	27—धारी	—	90—दुदुली 91—सलियाकोट 92—पदमपुरी 93—चौखुटा 94—बड़ियाड़ 95—सुन्दरखाल	चौखुटा	—	—
				28—पहाड़पानी	—	—	—	—	—
		9	अल्मोड़ा	हवालबाग	अल्मोड़ा	1—अल्मोड़ा	—	1—लोधिया 2—सरना	—
2—एन0टी0डी0	—					3—बिन्तोला 4—चिन्तई	—		—
3—हवालबाग	ममड़छीना				5—भगतोला 6—पातलीबगड़	—	—	—	
सोमेश्वर	4—धामस			—	7—बिमैला	—	—	—	
	5—दौलाघट			—	8—बैसखेत	—	—	—	
तकुला	सोमेश्वर			6—सोमेश्वर	भैंसड़गांव	9—विजोरिया	—	—	—

						10-चनौदा 11-मनान 12-ढौनिगाड़			
				7-बसोली		13-चौपता 14-घूराफाट	—	—	—
				8-कफड़खान	—	—	—	—	—
		लमगड़ा	जागेश्वर	9-लमगड़ा	बडियार बिष्ट	15-चायखान 16-पौधार 17-खेरदा 18-स्वाल	—	अंगोरा शशक प्रक्षेत्र लमगड़ा	—
				10-जैती		19-पुर्भोऊ 20-मोतियापाथर 21-शहरफाटक 22-बसगॉव 23-बसन्तपुर	—	—	—
				11-कोलदोड़म		24-बमनस्वाल 25-पनुवानौला 26-मेहरागॉव	—	—	—
		धौलादेबी	अल्मोड़ा	12-धौलादेबी	अण्डोली	27-नैनी 28-खेती 29-आरासलफड 30-जागेश्वर 31-दन्या 32-ध्याड़ी	बमनस्वाल	—	—
				13-भनोली		33-गुणादित्य 34-चौनडुगरी			
				14-बानठौक		—			
		भैसियाछाना	जागेश्वर	15-धौलछीना	सल्ला भाटकोट	35-भैसियाछाना 36-कनारीछीना	—	—	—
				16-बाछेछीना	—	37-देवड़ा 38-धनियान	—	—	—

				17—धौलनैली	—	—	—	—	—
				18—नैणी बाराकोट	—	—	—	—	—
		ताड़ीखेत	रानीखेत	19—ताड़ीखेत	सगनेठी काकड़ीघाट	39—सोनी 40—विल्लेख 41—चमड़खान 42—चौमुधार 43—शेरबमस्यू 44—विशालकोट 45—सिलोर महादेव 46—अम्याड़ी 47—गंगोड़ा 48—चौकुनी 49—खिरखेत 50—पिलखोली	—	अंगोरा शशक प्रक्षेत्र ताड़ीखेत	—
				20—रानीखेत		—	—	—	—
		द्वाराहाट	रानीखेत	21—द्वाराहाट	पैठानी	51—कफड़ा 52—कालीखोली 53—दूनागिरी 54—असगोली	—	—	—
				22—जालली	—	55—सूरईखेत	—	—	—
			द्वाराहाट	23—बग्वालीपोखर	—	56—पारकोट 57—छानागोलू	—	—	—
				24—मजखाली	—	58—कुवांली 59—सिमोली	—	—	—
		चौखुटिया	द्वाराहाट	25—चौखुटिया	आदिग्राम फुलोरिया	60—दिगौत 61—रामपुर 62—महाकालेश्वर 63—चित्रेश्वर 64—खीड़ा 65—तड़ागताल 66—बसभीड़ा	—	—	—

						67—खडकतया			
				26—मांसी		68—भगौती	—	—	—
				27—जौरासी		—			
		भिकियासैण	द्वाराहाट	28—भिकियासैण	विनायक, बमयोली	69—चौनलिया 70—सिनौड़ा 71—पाली 72—सगनेठी 73—रीठामहादेव 74—नौला	—	—	—
			सल्ट	29—बासोट			—	—	—
				30— भतरोजखान					
		स्यालदे	रानीखेत	31—स्यालदे		75—सराईखेत 76—तुराचौरा	—	—	—
						77—मटेलामहादेव			
				32—देघाट		78—मालीखेत			
		सल्ट	सल्ट	33—मौलेखाल	—	79—मछोड़ 80—पैसिया 81—टुकरा	—	—	—
				34—मानिला	—	82—कुनहील 83—क्वैराला	—	भे0एवं0ऊन प्र0 केन्द्र झीमार	—
				35—भौनखाल	—	—	—	—	—
				36—भैरगंखाल	—	—	—	—	—
				37—सांकर	—	84—पनुवाद्यकौन	—	—	—
				38—झीपा	—	—	—	—	—
					—	85— मलाड़ी 86— बटगल रोहतेला	—	भे0एवं ऊ0प्र0केन्द्र गुदलेख, भे0एवं ऊ0प्र0केन्द्र चिन्तोली	—
		10	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	1—बागेश्वर	पन्द्रहपाली, फल्याटी, स्वालडोबा, डोब खटम्टा, भेटा	1—चौरा 2—बमराड़ी	—

						3-काफलीगैर 4-भटखोला 5-कमेड़ीदेवी 6-सानिउड़ियार 7-खातीगॉव 8-मंयू 9-बनलेख			
				2-काण्डा		10- भण्डारीसेरा	—	—	—
				3-बोहला	सैज		—	—	—
		गरुड़	बागेश्वर	4-गरुड़	हरीनगरी, तिलसारी	11-जखेडा 12-कन्धार 13-वज्यूला 14-मैगडी 15-सीर 16-धैना 17-पाटली 18-दैयनाई	—	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र गनीगांव	—
				5-डंगोली			—	—	—
		कपकोट	कपकोट	6-कपाकोट	दियाली करोली	19-माजखेत 20-पोथिंग 21-गोलना 22-कन्यालीकोट 23-होराली	—	एस0आर0सी0 बदियाकोट, बघर, सोराग,गड़ियातोली सूपी, चौड़ास्थल, गोगीना, लीती, भेड़ फार्म शामालीती कर्मी	—
				7-स्याकोट	—	—	फरसाली	—	—
				8-कर्मी	—	—	—	—	—
				9-सौंग	—	—	—	—	—
				10-खाती	—	—	—	—	—
				11-नामतीचेताबगड़	—	—	—	—	—
11	ऊधमसिंह	जसपुर	जसपुर	1-जसपुर	—	1-बेडियोवाला	—	—	—

	नगर					2-आसपुर 3-पतरामपुर 4-रामनगरवन 5-तालबपुर 6-महुवाडाबरा			
				2-करनपुर	—	7-लालपुर 8-गढीनेगी 9-बेतवाला 10-शिवराजपुरपट्टी	—	—	—
		काशीपुर	काशीपुर	3-काशीपुर	खड़गपुर देवीपुरा	11-ढकिया 12-बघेलेवाला 13-कुण्डेश्वरी 14-मानुपर / बांसखेडा 15-खड़गपुर देवीपुरा	—	सूकर प्रक्षेत्र काशीपुर	—
				4-प्रतापुर	—	16-जुडका 17-गुलजारपुर	—	—	—
				5-म0खे0गंज	—	18-बरखेडापाण्डे 19-बरखेडी	—	—	—
		बजपुर	बाजपुर	6-बाजपुर	—	20-संतोषपुर 21-भजुवानगला 22-बाजपुरगाँव 23-नमूना 24-धूरिया	—	—	—
				7-बन्नाखेडा	—	25-रैटा 26-जोगीपुरा	—	—	—
				8-सुल्तानपुर	—	27-लुधपुरा 28-परमानन्दपुर 29-महेशपुरा	—	—	—
				9-केलाखेडा	—	30-सरकडी 31-खेमपुर 32-चन्दनपुरा	—	—	—

						33—बेरियादौलत			
		गदरपुर	गदरपुर	10—गदरपुर	—	34—फतेहगंज 35—सकैनिया	—	—	—
				11—आदर्शनगर	—	36—विशनपुर 37—गुलरभोज	गुलरभोज	—	—
				12—दिनेशपुर	—	38—जाफरपुर 39—कालीनगर 40—धीमरीब्लाक	—	—	—
		रुद्रपुर	रुद्रपुर	13—रुद्रपुर	—	41—छतरपुर 42—भगवानपुर 43—बगवाडा	—	—	—
				14—रामेश्वरपुर	—	44—आनन्दपुर 45—प्रतापपुर 46—गंगापुर 47—मलसागिरधरपुर	—	—	—
			किच्छा	15—किच्छा	—	48—गिधपुरी 49—देवरिया 50—मिलक	—	—	—
				16—बरा	—	51—बब्बरपुर 52—सेमलपुर	—	—	—
				17—शांतिपुरी	—	53—गोकुलनगर 54—शां0पुरी-4	—	—	—
		सितारगंज	नानकमत्ता	18—सितारगंज	—	55—बिज्जी 56—सिसैया 57—सिसौना 58—मैनाझुण्डी	—	—	—
				19—शक्तिफार्म	—	59—तिलियापुर 60—पाँचक्वाटर 61—रतनफार्म न0 2	—	—	—
				20—नानकमत्ता	—	62—लांमाखेड़ा 63—बलखेड़ा	—	—	—

						64-बिडौरा 65-कैथुलिया			
		खटीमा	खटीमा	21-खटीमा	—	66-अशोकफार्म 67-नौसर 68-कंचनपुरी 69-चकरपुर 70-बग्गा	नौसर	—	—
				22-झनकट	—	71-प्रातपपुर 72-दीया 73-श्रीपुरबिचवा	—	—	—
12	पिथौरागढ़	विण	पिथौरागढ़	1-पिथौरागढ़		1-पिथौरागढ़ 2-नैनीसैनी 3-गुरना 4-सेरीकुम्हार 5-विण	—	कु0प्रक्षेत्र विण	—
				2-जाखपुरान	गणकोट	6-खडकुभल्या	—	—	—
				3-सिन्तोली	—	7-कुमार्यौचौड़ 8-खतीगाँव			
		मूनकोट	पिथौरागढ़	4-मूनाकोट	कुमलतानाघर	9-सिरकुच 10-मड़मानले 11-सातशिलिंग 12-मरसोली 13-सकुन	—	—	—
				5-बड़ावे	—	14-सल्ला 15-सौनगाँव	—	—	—
				6-झूला घांट	—	16-चौपता 17-गौड़ीहाट	—	—	—
		गंगोलीहाट	गंगोलीहाट	7-गंगोलीहाट	—	18-पोखरी	—	—	—
				8-राममंदिर	—	19-चौनाला	—	—	—
				9-चौरपाल	—	—	—	—	—
				10-गणार्ई	थ्समलता	20-बनकोट	—	—	—

						21-पिल्खी 22-बज्यूडा			
				11-पव्वाधर	—	23-चहज	—	—	—
		कनालीछीना	डीडीहाट	12-कनालीछीना	—	24-रसैपाटा 25-देवलथल 26-सिलचमू 27-आणागोव	—	—	—
				13-पीपली	—	—	—	—	—
				14-अस्कोट	—	28-सिघाली 29-हचीला	—	—	—
				15-भागीचौरा	—	—	—	—	—
		डीडीहाट	डीडीहाट	16-डीडीहाट	मसमोली	30-चौबाटी 31-लामाघर 32-खेतार 33-जौरासी 34-सेरासुनाली	—	—	—
				17-थल	—	35-मुवानी 36-आमथल 37-भट्टीगोव	—	—	—
		बेरीनाग	गंगोलीहाट	18-बेरीनाग		38-पुरानाथल 39-जयनगर 40-चामाचौड़ 41-चौसला	—	—	—
				19-पाँखू	—	42-कोटमन्या	—	—	—
		मुनस्यारी	धारचूला	20-मुनस्यारी	लेलम	43-दुम्मर 44-केठी	—	भेड़ फा0बारापट्टा भे0ऊ0प्र0के0नाभिक क्वीटी,	—
				21-तेजम	—	45-क्वीटी	—	भे0ऊ0प्र0के0केठी, बोना, होकरा, उछैती, गांधीनगर	—
				22-मदकोट		46-मवानी-दवानी	—	मुनस्यारी, बुईपातों,	—

						47-सेरा		समकोट	
				23-नाचनी	—	48-बौसबगड़ 49-खतेडा	—	—	—
		धारचूला	धारचूला	24-धारचूला	गुंजी	50-सिद्धाग 51-रौथी 52-कुरीला 53-जिप्ती 54-खुमती 55-सुवा 56-दस्तेजम 57-पाँगू 58-जाराजेवली	—	भेंड फार्म पाँगू भेंड ऊ०प्र०केन्द्र जिप्ती, कुरील, पाँगू, खुमती, सुवाराथी, दस्तेजम	—
				25-खेत	—	59-खेला 60-पांगला	—	—	—
				26-बलुवाकोट	—	61-पय्यौपौड़ी	—	भे०ऊ०प्र०के० जारजिब्ली	—
				27-बरम	—	62-चामी	—	—	—
				28-जौलजीवी	—	63-कनार	—	—	—
		चम्पावत	चम्पावत	1-चम्पावत	मौनपोखरी	1-बनलेख	—	रा०प०प्र०प्र० नरियालगांव अंगोरा शशक प्रज प्रक्षेत्र चम्पावत	—
				2-सिप्ती	—	2-ओखलढूंगा	—	—	—
				3-नरसिंहडांडा	दूबड़जैनल	3-स्वाँला	—	—	—
				4-चल्थी	—	4-सूखीढाँग	—	—	—
				5-टनकपुर	—	5-उचोलीगोट	—	—	—
13	चम्पावत			6-बनबसा	—	6-तामली 7-मौनपोखरी 8-मंच	—	—	—
		लोहाघाट	लोहाघाट	7-लोहाघाट	बसेड़ी	9-कर्णकरायत	—	—	—

				8-चमदेवल	—	10-खतेड़ा 11-पुल्ला 12-रौसाल 13-बसेड़ी 14-मडलक	—	—	—
		बाराकोट	लोहाघाट	9-बाराकोट	—	15-चौमेल	—	—	—
				10-बर्दाखांन	—	16-इजड़ा	—	—	—
				11-रेगंडू	—	17-रैघाँव 18-मिर्तोली	—	—	—
		पाटी	लोहाघाट	12-पाटी	—	19-देवीधूरा	—	—	—
				13-खेतीखान 14-चौडामहता	—	20-मूलाकोट 21-जोस्यूड़ा 22-भिगराड़ा	—	—	—

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 में नये स्थापित पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों की सूची :-

क्र. स.	जनपद का नाम	नव सृजित पशुचिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र का नाम		संस्था के सृजन का शासनादेश संख्या एवं दिनांक
		पशुचिकित्सालय	पशु सेवा केन्द्र	
1	अल्मोड़ा	1. पशुचिकित्सालय भतरौजयान (उच्चीकृत)		शासनादेश संख्या 2016 / XV-1 / 25-7(20) / 2021 / 4 7050 दिनांक 10 अक्टूबर, 2025

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में नये स्थापित पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों की सूची :-

क्र. स.	जनपद का नाम	नव सृजित पशुचिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र का नाम		संस्था के सृजन का शासनादेश संख्या एवं दिनांक
		पशुचिकित्सालय	पशु सेवा केन्द्र	
1	टिहरी	2. पशुचिकित्सालय म्याणी (उच्चीकृत)		शासनादेश संख्या 233 / XV-1 / 7(17) / 08 TC दिनांक 05.03.2014
		3. पशुचिकित्सालय कैम्पटी (उच्चीकृत)		शासनादेश संख्या 324 / XV-1 / 7(27) / 14 दिनांक 31. 03.2015
		4. पशुचिकित्सालय भवान (उच्चीकृत)		
			1. पशु सेवा केन्द्र साबली (वि.ख.जौनपुर) 2. पशु सेवा केन्द्र ख्यासी (वि.ख.जौनपुर) 3. पशु सेवा केन्द्र रगड़गांव (वि.ख.जौनपुर)	शासनादेश संख्या 120 / XV-1 / 14 / 7(8) / 13 दिनांक 27.01.2014
	योग:-	03	03	
2	उत्तरकाशी	—	1. पशु सेवा केन्द्र बनाड़ी (वि0ख0 चिन्यालीसौड)। 2. पशु सेवा केन्द्र कान्सी (वि0ख0 चिन्यालीसौड) 3. पशु सेवा केन्द्र सरनोल (वि.ख.नौगांव) 4. पशु सेवा केन्द्र जुगड़गांव के चकरीगांव (वि.ख.नौगांव) 5. पशु सेवा केन्द्र बदालडा (वि0ख0चिन्यालीसौड)	शासनादेश संख्या 120 / XV-1 / 14 / 7(8) / 13 दिनांक 27.01.2014
	योग:-	—	05	
3	रुद्रप्रयाग	1. पशुचिकित्सालय फाटा रामपुर		शासनादेश संख्या-163 / XV-1 /

				15/6(1)/13 दिनांक 16.02.2015
	योग:-	01	-	
4	नैनीताल	1. पशुचिकित्सालय मालधनचौड़ (उच्चीकृत) 2. पशुचिकित्सालय छोई		शासनादेश संख्या 233/ XV- 1/7/(17)/08 TC दिनांक 05.03. 2014
	योग:-	02		
5	अल्मोड़ा	1. पशुचिकित्सालय धौलनैली 2. पशुचिकित्सालय नैणी बाराकोट		शासनादेश संख्या 189/ XV- 1/7/(17)/08 TC दिनांक 28.02. 2014
	योग:-	02		
6	पिथौरागढ़	1. पशुचिकित्सालय राममंदिर		शासनादेश संख्या 190/ XV- 1/15/6 (3)/14 दिनांक 24.02.2015
	योग:-	01		
7	चम्पावत	-	1. पशु सेवा केन्द्र मड़लक	शासनादेश संख्या 284/ XV- 1/14/6 (2)/13 दिनांक 03.03. 2014
	योग:-		01	
	महायोग	09	09	

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में नये स्थापित पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों की सूची :-

क्र. स.	जनपद का नाम	नव सृजित पशुचिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र का नाम		संस्था के सृजन का शासनादेश संख्या एवं दिनांक
		पशुचिकित्सालय	पशु सेवा केन्द्र	
1	चम्पावत	5. पशुचिकित्सालय चौडामहता	-	शासनादेश संख्या 1673/XV-1/24/7(24)14/37281 30 अक्टूबर, 2024

नोट :- वर्ष 2014-15 में 09 पशुचिकित्सालय एवं 09 पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है।

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में नये स्थापित पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों की सूची :-

क्र.सं.	जनपद का नाम	नव सृजित पशुचिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र का नाम		संस्था के सृजन का शासनादेश संख्या एवं दिनांक
		पशुचिकित्सालय	पशु सेवा केन्द्र	
1	टिहरी	1. पशुचिकित्सालय पावकी देवी 2. पशुचिकित्सालय खाड़ी		शासनादेश संख्या 1077 / XV-1/15/7(27)/ 14 दिनांक 31.12.2015
			1. पशु सेवा केन्द्र भटोली(वि.ख.जौनपुर) 2. पशु सेवा केन्द्र मजकोट (नगुण) (थौलधार) 3. पशु सेवा केन्द्र नैरी (थौलधार) 4. पशु सेवा केन्द्र गोठ (जमठियालगांव) (वि.ख.जौनपुर)	शासनादेश संख्या 426 / XV -1/15/7(5)/14 दिनांक 07.05.2015
			5. पशु सेवा केन्द्र थौलधार 6. पशु सेवा केन्द्र शीर्ष	शासनादेश संख्या 995 / XV -1/15/7(5)/14 दिनांक 26.11.2015
			7. पशु सेवा केन्द्र कांडाजाख 8. पशु सेवा केन्द्र चामासारी 9. पशु सेवा केन्द्र डडोली	शासनादेश संख्या 774 / XV -1/15/7(5)/14 दिनांक 31.08.2015
			10. पशुसेवा केन्द्र घोन (थौलधार) 11. पशुसेवा केन्द्र डांडा की बेली(जौनपुर)	शासनादेश संख्या-245/ XV -1/16/ (5)/ 14 दिनांक 22.03.2016
	योग	02	11	
2	उत्तरकाशी	-	1. पशु सेवा केन्द्र बादसी (वि0ख0चिन्यालीसौड) 2. पशु सेवा केन्द्र कवागड़ी (वि0ख0चिन्यालीसौड)	शासनादेश संख्या 426 / XV -1/15/7(5)/14 दिनांक 07.05.2015

			3. पशु सेवा केन्द्र ज्येष्ठवाडी (वि०ख०चिन्त्यालीसौड) 4. पशु सेवा केन्द्र सुकण (वि.ख.नौगांव)	
		—	5. पशुसेवा केन्द्र गंगाड़ (मोरी)	शा०स०-247/ XV -1/16/ 6(14) /15 दि० 22.03.2016
	योग	—	05	
3	देहरादून		1. पशु सेवा केन्द्र जाखन, ग्राम पंचायत मदर्सू	शासनादेश संख्या 358 / XV -1 / 15 / 6(1) / 15 दिनांक 13.04.2015
	योग:-	—	01	
4	रुद्रप्रयाग	—	1. पशु सेवा केन्द्र चन्द्रनगर	शासनादेश संख्या 505 / XV -1 / 15 / 6(5) / 15 दिनांक 29.05.2015
			2. पशु सेवा केन्द्र घंघासू	शासनादेश संख्या 714 / XV -1 / 15 / 6(9) / 15 दिनांक 13.08.2015
			3. पशु सेवा केन्द्र भूधार	
			4. पशु सेवा केन्द्र पूलनबांगर	शासनादेश संख्या 719 / XV -1 / 15 / 6(7) / 15 दिनांक 14.. 08.2015
			5. पशु सेवा केन्द्र द्वारीखाल (बिजराकोट)	शासनादेश संख्या 718 / XV -1 / 15 / 6(8) / 15 दिनांक 14..08.2015
	योग:-	—	05	
5	हरिद्वार	—	1. पशु सेवा केन्द्र गैडीखता	शासनादेश संख्या 774 / XV -1 / 15 / 7(5) / 14 दिनांक 31.08.2015
	योग:-	—	01	
6.	चमोली	1. पशुचिकित्सालय वांण		शासनादेश संख्या 183 / XV -1 / 16 / 6 / (11) / 15दिनांक 29..02.2016
	योग:-	01		
7	नैनीताल	1. पशुचिकित्सालय बिन्दुखत्ता		शासनादेश संख्या 372 / XV -1 / 15 / 6 (2) / 15 दिनांक 17.04.2015

	योग:-	01	—	
8	अल्मोड़ा	—	1. पशु सेवा केन्द्र मलाड़ी	शासनादेश संख्या 360 / XV -1 / 15 / 6 (5) / 14 दिनांक 13.04.2015
			2. पशु सेवा केन्द्र बटगल रोहतेला	शासनादेश संख्या 359 / XV -1 / 15 / 6 (6) / 14 दिनांक 13.04.2015
			3. पशु सेवा केन्द्र भैसियाछाना (तोक सिंगलाचूर)	शासनादेश संख्या 893 / XV -1 / 15 / 6 (10) / 15 दिनांक 09.10.2015
			4. पशुसेवा केन्द्र जीनापानी	शासनादेश संख्या 248 / XV -1 / 16 / 6 (17) / 15 दिनांक 22.03.2016
	योग:-	—	04	
9	पिथौरागढ़	1. पशुचिकित्सालय ख्वांकोट		शासनादेश संख्या 94 / XV -1 / 6 / (02) / 16 दिनांक 03.02.2016
		2. पशु चिकित्सालय मढ़मानले (उच्चीकृत)		शासनादेश संख्या 164 / XV -1 / 16 / 6 / (13) / 2015 दिनांक 24.02.2016
		3. पशुचिकित्सालय सिरतोला सेरा		शासनादेश संख्या-218 / XV -1 / 16 / 6 (15) / 15 दिनांक 11 मार्च, 2016
			1. पशु सेवा केन्द्र पाभैं	शासनादेश संख्या 1005 / XV -1 / 6 / (16) / 2015 दिनांक 03.12.2015
	योग:-	03	01	
10	बागेश्वर	—	1. पशु सेवा केन्द्र भण्डारीसेरा	शासनादेश संख्या 720 / XV -1 / 15 / 6 (6) / 15 दिनांक 14.08.2015
	योग:-	—	01	
	महायोग	07	29	

नोट :- वर्ष 2015-16 में 07 पशुचिकित्सालय एवं 29 पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है।

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में नये स्थापित पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों की सूची।

क्र०	जनपद का	नव सृजित पशुचिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र का नाम	संस्था के सृजन का शासनादेश संख्या एवं
------	---------	--	---------------------------------------

सं०	नाम			दिनांक
		पशुचिकित्सालय	पशु सेवा केन्द्र	
1	बागेश्वर	1. पशुचिकित्सालय नामतीचेताबगड		शासनादेश संख्या 1402 / XV-1/21-6 / (2)2021 दिनांक 16.12.2021
2	उत्तरकाशी	—	1. पशु सेवा केन्द्र भाटियागांव	शासनादेश संख्या 1935 / XV-1 / 21.7(16)2021 / 13 दिनांक 24.12.2020
	योग	01	01	

नोट— वर्ष 2021–22 में 01 पशुचिकित्सालय एवं 2020–21 में 01 पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है।

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में नये स्थापित पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों की सूची।

क्र० सं०	जनपद का नाम	नव सृजित पशुचिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र का नाम		संस्था के सृजन का शासनादेश संख्या एवं दिनांक
		पशुचिकित्सालय	पशु सेवा केन्द्र	
	बागेश्वर	1— पशुचिकित्सालय नामतीचेताबगड		शासनादेश संख्या 1402 / XV-1/21-6 / (2)2021 दिनांक 16.12.2021
2	उत्तरकाशी	—	1. पशु सेवा केन्द्र भाटियागांव	शासनादेश संख्या 1935 / XV-1 / 21.7(16)2021 / 13 दिनांक 24.12.2020
	योग	04	03	

नोट— वर्ष 2021–22 में 01 पशुचिकित्सालय एवं वर्ष 2020–21 में 01 पशु सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है।

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

जनपदवार विभागीय संस्थाये : वर्ष 2025-26

0सं 0	जनपद	पशु चिकित्साल य	पशु सेवा केन्द्र	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	पशुधन प्रक्षेत्र	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र	कुक्कुट प्रक्षेत्र	अंगोरा शशक प्रक्षेत्र	सूकर प्रक्षेत्र	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र	रोग निदान प्रयोगशा ला	ऊन विश्लेषण प्रयोगशा ला
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	नैनीताल	28	96	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	ऊधमसिंहनगर	22	71	97	—	—	—	01	—	01	—	01	—
3	अल्मोड़ा	38	78	94	—	—	—	01	02	—	03	01	—
4	बागेश्वर	11	33	31	—	02	—	—	—	—	09	—	—
5	पिथौरागढ़	31	62	56	—	02	—	01	—	—	18	—	—
6	चम्पावत	15	21	34	01	—	—	—	01	—	—	—	—
	योग —कुमाऊं मण्डल	145	361	423	01	04	—	03	03	01	30	02	—
7	देहरादून	30	48	72	02	—	—	01	—	01	10	01	01
8	पौड़ी गढ़वाल	40	109	89	—	—	—	01	—	—	08	03	—
9	टिहरी	38	91	74	—	01	—	—	—	—	09	—	—
10	चमोली	24	46	33	—	03	01	01	01	—	21	—	—
11	रुद्रप्रयाग	15	40	32	—	02	—	—	—	—	10	—	—
12	उत्तरकाशी	25	45	52	—	01	01	—	01	—	25	—	—
13	हरिद्वार	16	37	56	—	—	—	01	—	—	—	—	—
	योग—गढ़वाल मण्डल	188	416	408	02	07	02	04	02	01	83	04	01
	कुलयोग— उत्तराखण्ड	333	777	831	03	11	02	07	05	02	113	06	01

17.6 महत्वपूर्ण शासनादेश :-

संख्या 1020/XV-1/12/2(18)/05

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 25 जुलाई, 2013

विषय: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों को गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर में बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० डिग्रीकोर्स में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-390/XV-1/12/2(18)/05 दिनांक 15 मई, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत, जो पशुधन प्रसार अधिकारी गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा आयोजित बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० डिग्रीकोर्स की प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हैं, उनसे एक शपथ पत्र प्राप्त कर अवकाश लेकर बिना वेतन स्वयं के खर्चे पर बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० डिग्री कोर्स की प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये थे।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० डिग्री कोर्स हेतु नामित कार्मिक के अवकाश खाते में उपलब्ध अवकाश की सीमा तक उन्हें उतनी अवधि का अवकाश नियमानुसार वेतन सहित देय होगा। तदुपरान्त अवशेष अवधि के लिए संबंधित कार्मिकों को नियमानुसार अवकाश लेकर बिना वेतन स्वयं के खर्चे पर बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० डिग्री कोर्स किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 15 मई, 2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,

प्रेषक,

आर०सी० पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 15 मई, 2012

विषय: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों को गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर में बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० डिग्रीकोर्स में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-104/स्था०एक/(B.V, Sc. – A,H)/2012 दिनांक 7 अप्रैल, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत, जो पशुधन प्रसार अधिकारी गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा आयोजित बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० डिग्रीकोर्स की प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हैं, उन पशुधन प्रसार अधिकारियों से इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि वे अवकाश लेकर बिना वेतन स्वयं के खर्चे पर बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० डिग्री कोर्स करना चाहते हैं। तत्पश्चात् ही उन्हें गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा आयोजित बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० डिग्री कोर्स की प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति निर्गत की जाय।

भवदीय

(आर० सी० पाठक)
सचिव,

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 16 जनवरी, 2014

विषय: राज्य में स्थित शासकीय संस्थाओं द्वारा गोवंशीय पशुओं के निस्तारण/छंटनी हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

राज्य में स्थित पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध उन्नत गोवंशीय पशुओं का लाभ राज्य के पशुपालकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3858/पशुधन-तीन/यू०एल०डी०बी०/2013-14 दिनांक 21 नवम्बर, 201 के सन्दर्भ में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं में उपलब्ध सरप्लस गोवंशीय पशुओं के निस्तारण/छंटनी हेतु पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय तत्काल प्रभाव से निम्नवत नीति निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. गोवंशीय पशुधन प्रक्षेत्रों में उत्तम गुणवत्ता के पशुओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रक्षेत्र पर निर्धारित गोवंशीय पशु क्षमता के अनुरूप ही पशु संख्या रखी जायेगी तथा प्रक्षेत्र की निर्धारित क्षमता से अधिक गोवंशीय पशुओं का निस्तारण/छंटनी वर्ष में एक बार की जायेगी, जिसके लिए एक समिति निम्नवत गठित की जाती है:-

- | | |
|---|---------|
| 1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू०एल०डी०बी०, देहरादून | सदस्य |
| 3. संबंधित प्रक्षेत्र के परियोजना निदेशक | सदस्य |
| 4. वित्त/लेखाधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 5. प्रक्षेत्र पर कार्यरत वरिष्ठतम पशुचिकित्साधिकारी | संयोजक |

उक्त समिति द्वारा प्रक्षेत्रों के पशुओं का स्थल निरीक्षण उपरान्त गोवंशीय पशुओं की छंटनी कर उनके निस्तारण करने की संस्तुति की जायेगी। जिससे सरप्लस पशुओं का निस्तारण पशुपालकों के हित में संभव हो सके तथा प्रक्षेत्र की उत्पादकता में सुधार हो। अध्यक्ष सहित दो सदस्यों के उपस्थित रहने पर समिति पूर्ण मानी जायेगी तथा छंटनी की कार्यवाही की जायेगी।

2. ऐसी गायों जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता अपनी ब्रीड औसत से कम हो अथवा उसके द्वारा 3 ब्यांत पूर्ण कर लिये हो का निस्तारण/छंटनी की जायेगी।
3. ऐसी गायों, जिनका दुग्ध उत्पादन अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एम०एस०पी० (Minimum Standard Protocol) से अधिक होगा, का निस्तारण/छंटनी पांच ब्यांत पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
4. कमेटी की संस्तुति पर राज्य के पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों को कमेटी द्वारा निर्धारित कीमत/बुक वेल्यू पर पशुओं का विय, वृहद प्रचार-प्रसार के उपरान्त प्रथम आगत प्रथम पावक के आधार किया जायेगा।
5. अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एम०एस०पी० के तय मानकों से नीचे के सांड बछड़ों को उपरोक्त कमेटी की संस्तुति एवं कमेटी द्वारा निर्धारित कीमत/बुक वेल्यू पर बधिया कर बैल बनाकर कृषकों को वितरित/विय किया जायेगा।
6. अनुत्पादक, कम उत्पादनशील, अलाभकर, मादा एवं नर पशु जिनमें किसी भी ब्यांत या उम्र पर असहाय रोग, बांझपन, फ्री मार्टिन एवं शारीरिक/अनुवांशिक रूप से अक्षम हो अथवा ऐसे पशु जिनका कमेटी द्वारा निस्तारण हेतु संस्तुति की गई है तथा उनको राज्य के पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों के द्वारा भी य नहीं किया गया हो, को राजकीय शुष्क डेरी फार्म कृषि विभाग, मान्यता प्राप्त गोसदनो/पशु कल्याण संस्थओं को अथवा गो सेवा हेतु समर्पित पशुपालकों को निःशुल्क हस्तांतरित किया जायेगा।

7. ओसर एवं युवा सांडो को प्रजनन हेतु परिपक्वता की मानक अवधि गोवंशीय पशुओं में 3 वर्ष व महिषवंशीय पशुओं में 3.5 वर्ष में आनी चाहिए। यदि उक्त अवधि में प्रजनन योग्य परिपक्वता न आए तो इनकी छंटनी/निस्तारण पर भी विचार किया जायेगा।
8. प्रौढ़ मादाओं में प्रजनन में नियमित होना आवश्यक है, इसमें किसी प्रकार का मानसिक, शारीरिक व प्रजनन संबंधी जटिल रोग ग्रसित होने पर छंटनी कर दी जाय। इसी प्रकार युवा सांडों में किसी प्रकार का शारीरिक प्रजनन संबंधी व सामक, जटिल रोग से ग्रसित होने पर छंटनी कर दिया जाय।
9. छंटनी/निस्तारण के समय पशुओं की आयु नस्ल की अनुरूपता, रुग्णता (किसी संमण रोग से ग्रसित होने पर) प्रजनन की क्षमता, मां का दुग्ध उत्पादन सरप्लस बच्चों, हीफर्स व युवा सांडों में वृद्धि दर तथा शारीरिक दोष को ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

गोवंशीय पशुओं हेतु छंटनी-निस्तारण का प्रारूप:-

0सं0	ब्रांड/टैग न0	नस्त	जन्म तिथि	उम्र	सभी ब्यांतों का ब्यांतवार दुग्ध उत्पादन कि0ग्रा0 में व दूध के दिन	ब्यांत संख्या
1	2	3	4	5	6	7

वर्तमान स्थिति दूध में/सूखी	अन्तिम ब्यांत तिथि	दो ब्यांत का अधिकतम मध्यान्तर दिनों (ब्यांत सं0/दिन)	अधिकतम शुष्क अवधि (ब्यांत सं0/दिन)	पुस्तकीय मूल्य रु0 में	अनुमानित बाजार मूल्य रु0 में	छंटनी/निस्तारण का विस्तृत कारण	कमेटी द्वारा संस्तुत विय मूल्य
8	9	10	11	12	13	14	15

उपरोक्त प्रारूप पर छंटनी/निस्तारण योग्य गोवंशीय पशुओं का विवरण तैयार करने के उपरान्त छंटनी/निस्तारण की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित गोवंशीय पशुधन प्रक्षेत्रा में पशुओं के निस्तारण/छंटनी हेतु नीति के यिन्वयन हेतु निदेशक, पशुपालन विभाग तथा यू0एल0डी0बी0 द्वारा संचालित गोवंशीय प्रक्षेत्र/पशुधन के निस्तारण/छंटनी हेतु नीति के यिन्वयन हेतु मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड अधिकृत होंगे।

भवदीय

(डा0 रणवीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या 1889(1)/XV-1/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड देहरादून।
4. परियोजना निदेशक, भरारीसैण प्रक्षेत्र, चमोली/कालसी प्रक्षेत्र, देहरादून।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डी0एम0एस0 राणा)
अनु सचिव

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 05 मार्च, 2014

विषय: **भेड़पालन समुदाय के उत्थान के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में निवासरत भेड़पालन समुदाय के उत्थान हेतु आहिल्याबाई होल्कर के नाम कार्ययोजना बनाये जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिसमें उक्त समुदाय के व्यक्तियों को उनके व्यवसाय हेतु चुगान क्षेत्रों का आवंटन उनके स्थाई आवासों की व्यवस्था, शिक्षा-दीक्षा आदि प्रावधानित की जाय।

2. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों से सम्प स्थापित कर शीघ्रातिशीघ्र कार्ययोजना का यिन्वयन प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा० रणवीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या 308 (1) / XV-1 / 2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि राज्य में निवासरत भेड़पालन समुदाय के व्यक्तियों की शिक्षा-दीक्षा हेतु कार्ययोजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ कि राज्य में निवासरत भेड़पालन समुदाय के व्यक्तियों को उनके व्यवसाय हेतु चुगान क्षेत्रों का आवंटन किये जाने हेतु कार्ययोजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-1
संख्या 55/XV-1/7/7(35)/09
देहरादून दिनांक 05 मार्च, 2014

अधिसूचना

निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या-6398/पशुधन-तीन/भरारीसैण प्रक्षेत्र/2013-14 दिनांक 11 नवम्बर, 2013 एवं पत्र संख्या-4366/पशुधन-तीन/भरारीसैण प्रक्षेत्र/2013-14 दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 के सन्दर्भ में विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली, जो इस समय पशुपालन विभाग के स्वामित्व में कार्यरत है, की समस्त परिसम्पत्तियों यथा पशुधन, भूमि, आवासीय भवन, अनावासीय भवन, समस्त पद एवं प्रक्षेत्र पर रखे गये उपकरण सहित तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड को हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण चमोली में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी यथावत बने रहेंगे।

भवदीय

(डा० रणवीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या 55(1)/XV-1/7(35)09 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके उक्तांकित पत्रों के सन्दर्भ में।
2. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, देहरादून।
3. परियोजना निदेशक, भरारीसैण प्रक्षेत्र, चमोली।
4. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल एवं चमोली।
5. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप निदेशक, राजकीय आटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को राज्य सरकार के असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करके अधिसूचना की 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव

प्रेषक,

डा० रणवीर सिंह,
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. कार्यकारी अध्यक्ष पशु कल्याण परिषद, उत्तराखण्ड।
2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, एस०पी०सी०ए०, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, देहरादून उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 22 जुलाई, 2013

विषय:- पशुरता निवारण अधिनियम-1960 की धारा-32 व 34 के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या -722/XV-1/2(72)/2005, दिनांक 04 नवम्बर, 2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पशुरता संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही किये जाने हेतु आदर्श कार्यवाही प्रिया निर्धारित की गई है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, अधिसूचना संख्या-704/XV-1/2(72)/2005 दिनांक 03.12.2005 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की जानी वाली कार्यवाही हेतु शासनादेश संख्या - 722/XV-1/2(72)/2005, दिनांक 04 नवम्बर, 2006 को अवमित करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. पशुओं के प्रति रूता का निवारण अधिनियम व एतदधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत होने वाले अपराधों के लिए अभियोजन संस्थित करने के प्रारूप को घटना स्थल पर भरकर अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

2. पशु परिवहन सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन की दशा में यथा सम्भव आवश्यकतानुसार पुलिस व प्रशासन की मदद से वाहन को रूकवाकर पशुओं की धारा-34 पशुओं के प्रति रूता का निवारण अधिनियम की अपेक्षानुसार पशुचिकित्सक के पास चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले जाया जायेगा और जिस व्यक्ति की अभिरक्षा से पशु बरामद किये जायेंगे उसे भी पशुचिकित्सक के पास परीक्षण स्थल तक ले जाया जायेगा।

3. सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पशुरता के प्रकरणों में अगले कार्यदिवस के भीतर चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट (परिस्थितियों के अनुरूप यदि आवश्यक हो) पंचनामा, चालानी नोटिस तथा अन्य अभिलेखों की दो प्रतियां सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (जनपदीय नोडल अधिकारी, पशुरता निवारण) के कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।

4. धारा-32,34 के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण समय, स्थान, दिनांक के साथ पंचनामा चालानी नोटिस में अंकित किया जायेगा। पंचनामा चालानी नोटिस तीन प्रतियों में भरी जायेगी। पंचनामा चालानी नोटिस की दो प्रतियां सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

5. पशुओं के विरुद्ध होने वाले अन्य अपराधों की दशा में बरामद रुदा/जब्त रुदा पशुओं का चिकित्सीय परीक्षण अवश्य कराया जायेगा और भार साधक व्यक्ति से परीक्षा स्थल तक जाने की अपेक्षा की

जायेगी। घटना का विवरण विहित प्रपत्र के अनुसार भरकर संलग्नकों सहित घटना के अगले कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6. वाहन से परिवहन की दशा में वाहन रोकने के सभी संभव उपायों के बावजूद यदि वाहन रोकने में असफलता रहती है, तो वाहन की संख्या, किस्म, प्रकार, रंग आदि विवरण अंकित कर लेना चाहिए और यदि वाहन उत्तरांचल में पंजीकृत है तो परिवहन कार्यालय में जनपद का नाम पता करते हुए सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/सहायक परिवहन क्षेत्रीय अधिकारी को वाहन की संख्या आदि का विवरण देते हुए वाहन के स्वामी का नाम पता प्राप्त किया जाय। पत्र की प्रति सम्बन्धित जिले के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को भी इस आशय के साथ भेजी जाय कि वे विशेष वाहन द्वारा परिवहन कार्यालय से उक्त वाहन संख्या के स्वामी का नाम पता ज्ञात करके सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय में रीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायें।

7. ऐसे वाहन जो प्रदेश से भिन्न अन्य प्रान्तों में पंजीकृत हो, वहां पर राज्य के परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर सम्बन्धित जिला व परिवहन पंजीयन कार्यालय का नाम पता ज्ञात किया जाय और पता ज्ञात होने पर सम्बन्धित अधिकारी को पत्र लिखकर वाहन स्वामी का नाम पता ज्ञात करें। विशेष परिस्थितियों में विशेष वाहक भेजकर भी वाहन स्वामी का नाम पता ज्ञात करवाया जायेगा।

8. भागे हुए वाहन स्वामियों का नाम पता ज्ञात होने पर घटना के तीन माह के भीतर विहित प्रपत्र भरकर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय के माध्यम से न्यायालय में अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में नियुक्त लिपिक संवर्ग के दक्ष कार्मिक द्वारा अभियोजन लिपिक के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। अभियोजन लिपिक द्वारा पशुरता के समस्त प्रकरण पर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिदिन समस्त पंचनामा चालानी नोटिस तथा अन्य अभिलेख जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाये जायेंगे। अभियोजन लिपिक द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, समस्त अपेक्षित अभिलेख एवं सूचनाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी।

10. अभियोजन लिपिक के पास उन कागजों को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक अभिलेख/रजिस्टर होंगे, जो प्रतिदिन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अवलोकित किये जायेंगे।

11. अभियोजन लिपिक द्वारा निम्न रजिस्टर रखे जायेंगे :-

1. केस रजिस्टर
2. पंचनामा नोटिस पत्रावली
3. पत्राचार पत्रावली
4. अन्य आवश्यक रजिस्टर जो परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समझें जायें।

12. जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त प्रकरण मा० न्यायालय में प्रस्तुत कर पैरवी की जायेगी। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय के अभियोजन लिपिक द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशों के अनुरूप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय से अपेक्षित समस्त अभिलेख अभियोजन कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।

13. पशुओं के प्रति रूता का निवारण अधिनियम, 1960 के मामलों में न्यायालय द्वारा दिये गये अर्थदण्डों का पूरा विवरण केस रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। प्रत्येक माह में न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माने की राशि का विवरण शासन को भेजा जायेगा।

14. न्यायालय द्वारा मांगी गयी समस्त सूचना समय से भेजी जा रही है। इसका अनुश्रवण मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपलब्ध पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

15. इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति/पशुचिकित्सा अधिकारी अपनी उपलब्धता सम्बन्धित समस्त सूचनायें मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय में देंगे।

16. न्यायालय द्वारा साक्ष्य में किन्ही कारणों से बुलाये जाने पर उसकी सूचना मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा तत्काल अधिकृत व्यक्ति को दी जायेगी।

3. पशुरता निवारण हेतु समस्त प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा एक समान कार्यवाही प्रणाली अपनाये जाने के दृष्टिकोण से यह अपेक्षा की जाती है कि, भविष्य में पशुरता के प्रकरणों पर उपरोक्त दिशा-निर्देशों एवं संलग्न प्रारूपानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोपरि।

(डॉ० रणवीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या – 911 (1)/XV-1/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 19 जुलाई, 2007 ई०

आषाढ़ 28, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1114/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007

देहरादून 19 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड गो-वंश संरक्षण विधेयक, 2007 पर दिनांक 17 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06, सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड गो-वंश संरक्षण अधिनियम, 2007

(उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 06, वर्ष 2007)

उत्तराखण्ड में गाय एवं गाय के वंश संरक्षण के लिए
अधिनियम

भारतीय गणतन्त्र के 58वें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षक,
प्रारम्भ तथा प्रसार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड गो-वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
(3) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

2

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 19 जुलाई, 2007 ई0 (आषाढ़ 28, 1929 शक सम्वत्)

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
(क) "गौमांस" से गो वंश का मांस अभिप्रेत है;
(ख) "गौमांस" में गाय, बैल, सांड, बछिया अथवा बछड़ा अभिप्रेत है;
(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन विहित नियम अभिप्रेत है;
(घ) "वध" से किसी ढंग द्वारा, चाहे जो भी हो, मारना अभिप्रेत है और इसमें ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना व अपंग करना अथवा विष देना सम्मिलित है, जो सामान्य अनुम में मृत्यु कारित करेगा;
(ङ) "सक्षम अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है; जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाय;
(च) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(छ) "अलाभकार गाय" से भटकती हुई दुर्बल, अक्षम, रूग्ण अथवा बन्ध्या गाय अभिप्रेत है;
(ज) "स्वतन्त्र/आवारा विचरण" से शहरी क्षेत्र में विचरण अभिप्रेत है
(झ) "शहरी क्षेत्र" से नगर निगम/नगर पालिका के क्षेत्र अभिप्रेत है;

गो वध का प्रतिषेध

3. तत्समय किसी विधि में कोई बात, प्रतिकूल रुढ़ि अथवा प्रथा के होते हुए भी—
(1) कोई व्यक्ति,
(क) गाय का, या
(ख) गो वंश का न तो वध करेगा और न ही वध करायेगा, ना ही ऐसा प्रस्ताव करेगा, ना ऐसा प्रस्ताव करायेगा।

रोगी अथवा आहत
गो वंश के सम्बन्ध
में धारा 3 का लागू
न होना

4. (1) धारा 3 की कोई ऐसी बात किसी ऐसे गो वंश पर लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार विज्ञापित—
(क) किसी असाध्य एवं पीड़ाजनक परिस्थिति में हो, अथवा
(ख) ऐसे सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग से ग्रस्त हो, जिसके संमण से पशुधन के साथ-साथ मानव के लिए खतरा उत्पन्न हो गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त उपधारा(क) तथा (ख) के सम्बन्ध में असाध्य एवं पीड़ाजनक स्थिति अथवा सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग के सम्बन्ध में स्थानीय प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी द्वारा आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाना होगा।

- (2) उपधारा(1) के अधीन निस्तारित पशु के शव का निस्तारण इस प्रकार किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय।

गौमांस कब्जे में रखने एवं बेचने का प्रतिषेध 5. किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति किसी भी रूप में गोमांस अथवा तदसम्बन्धी पदार्थ को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से न तो कब्जे में रखेगा, न ही बेचेगा, न परिवहन करेगा, न बेचने अथवा परिवहन के लिए प्रस्तावित करेगा और न बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा।

गो वध को परिबहन का विनियमन 6. (1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर, किसी स्थान को, सिवाय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा पत्र और उसमें उपबन्धित निबन्धन और शर्तों के अनुसार गो वंश का वध जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है, का न तो परिवहन, न परिवहन करने के लिए प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 19 जुलाई, 2007 ई० (आषाढ़ 28, 1929 शक सम्बत्) 3

- (2) उपधारा(1) के अधीन सक्षम अधिकारी उपधारा(3) के प्राविधान का अनुपालन के सम्बन्ध में सन्तुष्ट होने पर प्रत्येक गो वंश के लिए 500 रुपये शुल्क का संदाय करने पर अनुज्ञा-पत्र जारी करेगा।
- (3) उपधारा(1) के अधीन अनुज्ञा केवल गौ वंश के पालन, संरक्षण अथवा संवर्द्धन के लिए प्रदान की जा सकेगी।
- (4) अनुज्ञा और उसके लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप तथा आवेदन-पत्र के लिए निस्तारण की प्रिया ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।
- (5) राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सक्षम अधिकारी इस धारा के अधीन की गयी कार्यवाही की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए प्रयोजनार्थ किसी समय किसी मामले के अभिलेख को परीक्षण हेतु मांग सकता है और उस पर ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।

स्वतन्त्र विचरण का प्रतिषेध 7. कोई व्यक्ति—
(क) गो वंश को आवारा नहीं छोड़ेगा,
(ख) गाय को दुहने के पश्चात् स्वतन्त्र विचरण नहीं करने देगा।

शहरी क्षेत्र में गो वंश का पंजीकरण 8. शहरी क्षेत्र में गो वंश के पालन के लिए सम्बन्धित नगर के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशाली अधिकारी से गो वंश के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना बाध्यकारी होगा तथा रेडियो फ़्रिक्वेन्सी पहचान अथवा इससे बेहतर किसी तकनीक से, जैसी राज्य सरकार नियत करे, प्रत्येक गो वंश की व्यक्तिगत पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

संस्थाओं की सीपना 9. राज्य सरकार और कोई गैर सरकारी संस्था अलाभकार गायों की देखरेख के लिए आवश्यकतानुसार संस्थाएँ स्थापित कर सकेगी: परन्तु यह कि गैर सरकारी संगठनों को संस्थाएँ स्थापित करने से पूर्व सूचना विहित प्रारूप पर जिले के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को देनी होगी।

अधिभार अथवा शुल्क का उद्ग्रहण 10. राज्य सरकार या गैर सरकारी संस्था, संस्थाओं में अलाभकार गायों को रखने के निमित्त ऐसा अधिभार अथवा शुल्क उद्ग्रहीत कर सकती है, जैसा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से संस्था द्वारा नियम किया जाय।

शास्ति 11. (1) जो कोई धारा 3 अथवा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने को दुष्प्रेरित करता है, तो वह कठोर कारावास, जो न्यूनतम तीन वर्ष एवं अधिकतम दस वर्ष तक का हो सकेगा एवं जुर्माना, जो न्यूनतम पाँच हजार रुपये एवं अधिकतम दस हजार रुपये तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई धारा 6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह

किसी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकेगा एवं जुर्माना, जो न्यूनतम दो हजार रुपये एवं अधिकतम दो हजार पाँच सौ रुपये प्रति गो वंश तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

- (3) जो कोई धारा 7 एवं 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो वह साधारण कारावास, जो न्यूनतम एक सप्ताह एवं अधिकतम एक माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा 12. दण्ड प्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 11 की उपधारा(1) एवं (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे।

4 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 19 जुलाई, 2007 ई0 (आषाढ़ 28, 1929 शक सम्वत्)

- नियम बनाने की शक्ति** 13. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशिष्टतया और उपधारा(1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा –
(क) धारा 4 की उपधारा(2) के अधीन पशु के शव के निस्तारण की रीति,
(ख) धारा 6 की उपधारा(4) के अधीन अनुज्ञा-पत्र का प्रारूप तथा आवेदन पत्र के निस्तारण के प्रिया,
(ग) धारा 8 के अधीन सक्षम अधिकारी के कृत्य और शक्तियां तथा उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रिया,
(घ) धारा 9 में अभिविष्ट संस्थाओं के अधिष्ठान, रख-रखाव, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण के सम्बद्ध विषय, और
(ङ) अन्य कोई विषय जो विहित किये जायें।
- निरसन और व्यावृत्ति** 14. (1) उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1956) (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन वाद अथवा कार्यवाही जो लम्बित एवं जारी है, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद भी जारी रहेगी और निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार निस्तारित की जायेगी जैसे कि यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।